लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
13-8-92
Fumigated
On 15-3-84
Parliament Library

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7–बुधवार, 22 नवम्बर, 1972/1 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 7—Wednesday, November 22, 1972/Agrahanaya 1, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
122	दिल्ली के लिए सीमेंट के कोटे में कमी	Reduction in Cement Quota for Delhi .	1
123	घाटे की अर्थ व्यवस्था को सीमा के अन्दर रखने के बारे में योजना आयोग का सुझाव	Planning Commission's suggestion on keeping Deficit Finance within limit . . .	3
125	पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलचित्र वित्त निगम द्वारा बनाई जानेवाली रंग शालाएं (थियेटरस)	Theatres proposed to be built by Film Finance Corporation in Fifth Five Year Plan .	8
126	आशय पत्रों और लाइसेंसों की क्रियान्विति	Implementation of letters of Intent and Licences	9
128	आकाशवाणी के तेजपुर केन्द्र के लिये स्थान का चयन	Site Selection for Tezpur Radio Station .	10
129	आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	AIR Employees on Strike	11
130.	पांजवीं योजना में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल	Emphasis on Production of Essential Consumer Goods during Fifth Plan	14
131	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टैंट ग्रेड की परीक्षा की आयु सीमा में वृद्धि और परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में वृद्धि	Enhancement of age limit and increase in the number of chances for Assistant's Grade Examination of UPSC	17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
137	राज्य स्तर पर योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Planning Machinery at State Level .	19
140	थुम्बा राकेट केन्द्र केरल के निकट पाकिस्तान में निर्मित शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद की बरामदगी	Recovery of Arms and Ammunitions of Pakistani make near Thumba Rocket Centre, Kerala . . .	20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
121	चतुर्थ योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कमियां	Shortfalls in various Fields during Fourth Plan .	21
124	पांचवी योजना के दौरान कागज़ की मांग	Demand for Paper during fifth Plan . . .	22
127	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन	Proposed Radio Stations in Fifth Five Year Plan	23
132	परमाणु ऊर्जा के 10 वर्षीय कार्यक्रम का पुनरीक्षण	Revision of Ten Year Profile on Atomic Energy	23
133	लघु उद्योगों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey of Small Scale Industries for their requirements . .	23
134	राज्यों में औद्योगिक विकास	Industrial Development in States . . .	24
135	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटी, की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Capacity in Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd., Ooty . .	24
136	स्वतन्त्रता सैनानियों को दी जाने वाली पेंशन का वार्षिक व्यय	Annual Expenditure for Grant of Pension to Freedom Fighters .	25
138	कलकत्ता स्थित साहा इंस्टीट्यूट आफ न्युक्लियर फिजिक्स को सीधा परमाणु ऊर्जा विभाग का एकक बनाना	Saha Institute of Nuclear Physics Calcutta to be Direct Unit of Atomic Energy Department .	26
139	विदेशी सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रम	Private and Public Undertakings in M.P. with Foreign Collaboration .	27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1201	शेरशाह सूरी की स्मृति में डाक टिकट	Postage Stamp Sher Shah Suri . . .	28
1202	मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Foreign Countries to Religious Institutions in Madhya Pradesh .	28
1203	राज्यों द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिये भेजी गई योजनाएं	Schemes submitted by States for Removing Unemployment . .	29
1205	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशियों को सेवा संबंधी मामलों में विशेष रियायतें देना	Implementation of Special Concession to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates in Service matters . .	31
1206	एच०एम०टी० की घड़ियों की मांग और उनका उत्पादन	Demand and Production of H.M.T. Watches .	31
1207	डाक तथा तार महानिदेशालय में डिवीजनल इंजीनियरों और निदेशकों के चयन के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Selection of Divisional Engineers and Directors in D.G. P. & T. . . .	32
1208	तार तथा टेलीफोन विभाग के डिवीजनल इंजीनियर के एक स्थान पर ठहरने की अवधि	Duration of Stay at one place of Divisional Engineer of Telegraph and Telephone Department	33
1209	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये चयन सूची	Select List of Central Secretariat Service Officers for Appointment as Joint Secretaries .	34
1210	नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा भारत को अपने दस्तावेज सप्लाई करने में भेदभाव किया जाना	Discrimination by NASA on Supply of its Documents to India . .	34
1211	आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन अभी भी बन्दी व्यक्तियों की संख्या	Number of persons still under arrest under Maintenance of Internal Security Act . .	35
1212	देश में संकटकालीन स्थिति को समाप्त करना	Lifting of Emergency in the country . .	35

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1213	सोवियत आयोजकों की भारत यात्रा	Visit of Soviet Planners to India . . .	36
1214	कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक संवर्द्धन के लिये पांचवी योजना के दौरान विशेष योजनायें	Special Schemes during Fifth Plan for the Promotion of Educational and Economic Interests of Weaker Sections . . .	36
1215	मैसूर जिले को सहायता	Assistance to Mysore District . . .	36
1216	केरल में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System in Kerala . . .	37
1217	कालीकट आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Calicut Radio Station . .	37
1218	दक्षिण भारत में टेलिविजन केन्द्र	T. V. Station in South India . . .	38
1219	राज्यों में कृषि आय की वृद्धि दर	Growth Rate of Agricultural Income in States .	38
1220	छात्रों में असन्तोष	Student Unrest .	39
1221	इन्डियन आक्सिजन लिमिटेड द्वारा गैसों का वितरण	Distribution of Gases by Indian Oxygen Ltd. .	39
1222	राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी कानून का अधिनियम	Enactment of Law on National Security .	40
1223	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ द्वारा प्रस्तुत योजना नीतियों सम्बन्धी दस्तावेज	Document on Plan Policies submitted by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry . . .	40
1224	उपग्रह छोड़ने का स्थान थुम्बा से अन्यत्र ले जाया जाना	Transfer of Satellite Launching Section from Thumba Launching Station to some other place . . .	40
1225	वर्ष 1972–73 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं	Schemes for providing employment to educated unemployed during 1972-73 . . .	41
1226	कार्मिक सुधारों सम्बन्धी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee of Secretaries on Personnel reforms . .	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1227	गुजरात तथा मैसूर में साम्प्रदायिक दंगें	Communal riots in Gujarat and Mysore . .	41
1228	बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्योगों में लगी पूंजी	Investment in Small Scale and Medium Industries in the backward areas of Bihar . . .	42
1229	विदेशी जासूसी एजेंसियों की देश में गतिविधियां	Activities of Foreign Espionage Agencies in the country . .	43
1230	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक आदि के सम्बन्ध में समाचार प्रसारित करने के लिये अलाट किया गया समय	Time allotted to new's broadcast concerning AICC meeting etc. .	43
1231	आकाशवाणी के कलकत्ता और दिल्ली केन्द्रों से बंगाली में प्रसारित समाचारों का उच्चारण	Pronunciation of Bengali News Broadcast over Calcutta and Delhi Stations of All India Radio . . .	44
1232	आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के निदेशक के निवासस्थान पर छापा	Raid on the Residence of a Director of Anand Bazar Partika, Calcutta	44
1233	मैसूर राज्य में जमाखोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Hoarders in Mysore State . .	45
1234	वस्तुओं की चोर बाजारी करने पर दिल्ली में व्यातारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Traders in Delhi for Blackmarketing of Commodities . .	45
1235	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी में बदलना	Conversion of Hindustan Machine Tools Limited into a Holding Company . . .	45
1236	शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना	Scheme for Educated Unemployed . . .	46
1237	सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों को पेंशन	Pension to retired ICS Officers . . .	47
1238	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात	Exports of HMT Goods .	47
1239	बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जांच आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर व्यय	Expenditure on Staff working in Commission of Inquiry on large Industrial Houses .	48

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1240	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities . . .	48
1241	इंजीनियरों को रोजगार देनें हेतु बनाई गई योजनाओं के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Schemes to provide Employment to Engineers . .	49
1242	आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वत: नियोजन सम्बन्धी योजनायें	Self Employment Schemes for Educated Unemployed in Andhra Pradesh . . .	49
1243	सोवियत संघ द्वारा भारत से पारस्परिक आर्थिक सहयोग संघ की परिषद में शामिल होने की पेशकश	Soviet Offer to India to join the Council of Mutual Economic Cooperation Union .	49
1244	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister by Central Government Employees . . .	50
1245	बेरोजगारी दूर करने सम्बन्धी योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh Schemes to deal with unemployment .	51
1246	आंतरिक व्यापार में बिचौलियों को समाप्त करना	Elimination of Middle men in Internal Trade	51
1247	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय	Per capita National Income	51
1248	उच्चतम तथा न्यनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य	States having the Highest and Lowest per capita Income . . .	53
1249	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का पौलैन्ड कें साथ घड़ियों का निर्यात करने सम्बन्धी करार	Agreement for Export of watches with Poland by HMT . . .	54
1250	अधिक मूल्य वसूल करने को दण्डनीय अपराध घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to make the charging of High Prices a Cognizable Offence .	57
1251	मैसूर में सीमेंट के कारखानों की मांग	Demand for Cement Factories in Mysore . .	57
1252	उद्योगों को हुई क्षति	Loss suffered by Industries	57

अतां० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1253	उत्तर प्रदेश में एटामिक विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य	Construction work at Atomic Power Station in U.P. . . .	59
1254	नई दिल्ली में अपराध और दंड के बदलते हुए ढांचे के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी	Seminar on Changing Pattern of Crime and Punishment held in New Delhi . . .	59
1255	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था किये जाने का अनुमान	Estimated number of Additional jobs to be created at the end of Fourth Plan . .	59
1256	दिल्ली पुलिस के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment in various Ranks of Delhi Police .	61
1257	पूना प्रसारण केन्द्र को चालू करना	Commissioning of Poona Relay Station . .	61
1258	भारतीय डाक टिकटों के स्तर में सुधार	Improvement in Quality of Indian Stamps .	61
1259	दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Students Hijacking DTC Buses .	62
1260	गुंडों द्वारा एक मकान पर हमला किये जाने के बारे में दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत	Complaint lodged with the Sarai Rohilla Police Station, Delhi about attack on a house by Goondas . . .	62
1261	नैशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किराया खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई	Supply of Machines by NSIC on Hire Purchase Basis . .	62
1262	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मद्रास तथा हैदराबाद में प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केंन्द्रों की स्थापना	Setting up of Proto-type Development and Trainning Centres in Madras and Hyderabad by NSIC	63
1263	स्कूटर तथा मोटर साइकिलों का निर्माण करने वाली एककों का विस्तार	Expansion of Scooter and Motorcycle Manufacturing Units . .	63
1265	स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल (प्रोग्राम)	Staff Training School (Programme) . .	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1266	आकाशवाणी से प्रसारित समाचार बुलेटिनों की भाषाएं	Languages of News Bulletins Broadcast over AIR . .	65
1267	हिमाचल प्रदेश के लिये डाक सर्कल	Postal Cirlce for H.P. .	65
1269	योजना अवधि में लघु तथा बड़े उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Scale and Big Industries during Plan Period .	65
1270	उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industry . .	66
1271	जम्मू और काश्मीर के भारत में विलय के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य	Statements by Sheikh Abdullah regarding J & K Accession to India . . .	67
1272	राकेट छोड़ने के थुम्बा स्थित केन्द्र से छोड़े गये राकेट	Rockets launched from Thumba Rocket launching Station . .	67
1273	योग्यता प्राप्त इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु योजनायें	Schemes for providing Employment to qualified Engineers and Scientists	68
1274	अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्	Inter State Council	69
1275	अलग थलग पड़ी डाक वस्तुएं	Stranded Postal Articles .	69
1276	स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक	Memorial to Freedom Fighters . . .	70
1278	कागज बनाने वाली मशीनों का उत्पादन	Production of Paper Manufacturing machines .	70
1280	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना का शामिल किया जाना	Inclusion of Small Car Project in Fifth Plan .	71
1281	आकाशवाणी द्वारा विपक्षी राजनीतिक दलों के समाचारों का सम्पादन	Editing of News by AIR concerning Political Parties (Opposition)	71
1282	आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र को पूर्णकालिक रिपोर्टर	Whole time Reporters of Calcutta AIR .	71
1283	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in M.P. .	72
1284	मध्य प्रदेश में वी० एच० एफ० टैलीफोन पद्धति	V.H.F. Telephone System in M.P. . . .	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1285	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station in M.P. in 5th Five Year Plan .	73
1286	भूतपूर्व नरेशों द्वारा सम्पत्ति का बेचा जाना	Disposal of properties by Former Rulers .	73
1288	वर्ष 1972–73 में राज्यवार नये डाक घर	Statewise New Post Offices in 1972-73 .	73
1289	रात्रि वायु डाक सेवा	Night Air Mail Service .	75
1290	बिहार में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Bihar . . .	75
1291	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children in Delhi . . .	76
1292	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा कैथोड रे आस्सीलोस्कोप्स के फास्फर के लिये विकसित की गई प्रक्रिया	Process Developed by National Physical Laboratory for Phospher for Cathode Ray Oscilloscopes . . .	76
1293	औद्योगिक गैस के लिये मशीनों के निर्माण में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का पीछे रहना	Indian Oxygen Limited Defaulting Manufacture of Machinery for Industrial Gases . .	77
1294	कुडालूर जेल में रखे जा रहे पश्चिम बंगाल के कैदियों का स्थानान्तरण करने के लिये तमिलनाडु सरकार की ओर से अनुरोध	Request from Tamilnadu Government for the Transfer of West Bengal Detenus being kept in Cuddalore Jail .	78
1295	औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना	Liberalization of Industiral Licensing Policy .	78
1296	राज्य उद्योग विकास निगमों द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in Execution of Schemes Sponsored by State Industrial Development Corporations	78
1297	केंन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिकारियों को दण्ड दिया जाना	Officers punished on the basis of inquiries made by CBI . . .	79
1298	विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रोद्योगिकी अनुसंधान के लिये तैयार की गयी योजना	Plan for Technology Research Prepared by National Committee on Science and Technology . . .	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1299	राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in Rajasthan . . .	80
1300	उदारकृत उद्योगों में उनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन	Production in Liberalised Industrias to their Capacity . . .	81
1301	पाकिस्तान समर्थक षड़यंत्रकारियों की बिहार और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ	Infiltration of Pro-Pakistani Collaborators into Bihar and West Bengal	82
1302	दूर संचार सुविधाओं का विकास	Development of Telecommunication Facilities . . .	82
1303	दिल्ली में जमाखोरों की गिरफ्तारियां	Arrest of Hoarders in Delhi . . .	82
1304	योजना मंत्री द्वारा रूस यात्रा	Planning Minister's visit to USSR . . .	83
1305	औद्योगिक गृहों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Industrial Houses . .	83
1306	कच्चे माल की मांग	Demand for Raw Material	83
1307	संगीत और नाटक विभाग से वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी	Costumes, bulbs and wood work missing from Song and Drama Division . . .	84
1310	त्रिपुरा में लघु उद्योग तथा औद्योगिक समूहों में उत्पादन	Production in Small Scale Industries and Industrial Estates of Tripura .	85
1311	राजनीतिक दलों की पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Journals, Souvenirs, etc., brought out by Political Parties . .	85
1312	राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Licences for setting up of Industries in Rajasthan . . .	86
1313	श्री हरिकोट राकेट रेंज से एक उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of a Satellite from Sriharikota Rocket range . . .	87
1314	भारत में रूसी समाचारों का वितरण	Distribution of Soviet News in India . .	87
1315	दिल्ली में प्रादेशिक परीक्षण केंन्द्र	Regional Testing Centre in Delhi . . .	87
1316	इंजीनियरी उद्योग में उत्पादन की दर में वृद्धि	Growth rate of production in Engineering Industry	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1317	पिछड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन	Exploitation of Natural Resources in Backward Areas . . .	88
1319	बिहार में उद्योग समूह	Industrial Complex in Bihar . . .	89
1320	जिला एवं खण्ड स्तर पर योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधायकों का सहयोग	Cooperation of Local M.Ps., and M.L.As. in the Implementation of Plans at District and Block level	89
1321	यूनेस्को का संचार आयोग	Communications Commission of UNESCO .	90
1322	मैसूर में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Industrial Projects in Mysore .	90
1323	सामग्री आयोजन और नियतन बोर्ड का गठन	Composition of Materials Planning and Allocation Board . .	91
1324	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सलाह लेना	Advice of Industrial Costs and Prices . .	91
1325	वृत्त चित्रों का टेलीविजन पर दिखाया जाना	Telecasting of Feature Films . . .	93
1326	औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सैल बनाना	Cell for Public Sector Undertakings in the Ministry of Industrial Development . .	94
1327	औद्योगिक विकास मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिये सैल	Cell for S.C. and S.T. Employees in the Ministry of Industrial Development . . .	94
1328	विदेशी कम्पनियों के क्रियाकलापों का विविधीकरण	Diversification of Activities by Foreign Companies	94
1329	पांचवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Fifth Plan	95
1330	राज्यों में एपेक्स योजना निकायों की स्थापना	Setting up of Apex Planning Bodies in States .	95
1331	छिपे नागाओं की राष्ट्र विरोधी और तोड़फोड़ की गतिविधियां	Anti National and Sabotage Activities of Underground Nagas . .	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1332	आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत रूस संयुक्त आयोग की स्थापना	Indo Soviet Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation . .	96
1333	स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मृत्यु दण्ड पाने वाले कैदियों को क्षमादान देना	Amnesty granted to Prisoners, Sentenced to Death on the occasion of Anniversary of Independence . . .	98
1334	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की शर्तों को उदार बनाना	Liberalisation of Conditions for Grant of pensions to Freedom Fighters . .	98
1335	शीघ्र आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया	Expediting Process of issuing letters of Intent . .	99
1336	समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Newspaper . .	99
1337	देश में जीवन के अन्य क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिये उठाए गए कदम	Steps to curb Role of Foreign Money in various Spheres of Life in the country . . .	99
1338	केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	ICS and IAS Officers working in the Central Government . . .	100
1339	उच्चतम न्यायालय द्वारा अखबारी कागज नियंत्रण आदेश को रद्द किया जाना	Newsprint Control Order Struck down by Supreme Court . . .	100
1340	छोटी कार	Small Car	100
1341	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending Applications for Telephone in Delhi .	102
1342	योजना आयोग द्वारा चलाया गया सघन उत्पादन कार्यक्रम	Massive production programme launched by Planning Commission .	102
1343	मैसर्स मारुति एण्ड कम्पनी लिमिटेड को छोटी कार के निर्माण का लाइसेंस देना	Issue of Licence to M/s Maruti and Company limited for Small Car .	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1344	प्राथमिकता वाले उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in priority industries producing consumer products . . .	103
1345	औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों की क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity of Industrial Houses and Foreign Industries .	104
1346	हिन्दी की प्रगति के पुर्नविलोकन के लिये आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission to Review the Progress of Hindi .	104
1347	रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन के स्विच बनाने का कारखाना	Telephone Switching Factory in Rai Bareli (U.P.)	105
1348	नेताजी जांच आयोग द्वारा फारमोसा का दौरा	Visit to Formosa by Netaji Enquiry Commission . . .	105
1349	आसाम में भाषायी दंगों के संबंध में भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रतिवेदन	Representation from Linguistic Minorities regarding Language riots in Assam . . .	106
1350	संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना	Inclusion of Nepali Language in Eighth Schedule of Constitution . .	106
1351	आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को 10 प्रतिशत राज सहायता का लाभ	Benefit of 10 per cent subsidy to Rayalaseema in A.P. . . .	107
1352	आंध्र प्रदेश में रायलसीमा में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rayalaseema in A.P.	108
1353	आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गहन रूप से लागू करना	Intensive application of Science and Technology in Drought Prone Areas of Rayalaseema in Andhra Pradesh .	108
1354	दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज का कार्यक्रम	Functioning of Delhi Trunk Exchange . . .	109
1355	श्री नगर और बम्बई में टेलीविजन केन्द्रों को चालू किया जाना	Introduction of T. V. in Srinagar and Bombay.	109
1356	पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजना	Special Plan for the Development of hilly regions during Fifth Plan . . .	109
1357	चमड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Leather Industry	110

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1358	उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम	T.V. Programme through Satellite . . .	110
1359	हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल द्वारा सुसंहत 'अम्पलाइडीन सैट' का निर्माण	Manufacture of compact Aplidyne set by HEL Bhopal . . .	111
1360	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute . .	111
1361	कच्चे माल के आयात के लिये लघु उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Foreign exchange allocation to Small Scale Industries for Import of Raw Materials . . .	112
1362	आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम	Commercial Programmes over A.I.R. . .	112
1363	मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Madhya Pradesh .	113
1364	चौथी योजना के दौरान टेलीविजन का निर्माण	Production of T.V. Sets during Fourth Plan .	113
1365	देश में तथा मध्य प्रदेश में पिछड़े जिलों की संख्या में वृद्धि	Increase in backward districts in the country and M.P. . . .	113
1366	राज्यों को समाज विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई हिंसात्मक स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States to meet violent situation created by Anti-social Elements .	114
1368	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बेल्जियम की फर्म के साथ करार	Agreement with Belgium Firm by HMT . .	114
1369	लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल	Raw Materials for Small Scale Industries . .	114
1370	तकनीकी सहायकों के पदों का भरा जाना	Filling up of Posts of Technical Assistants .	115
1371	सरकारी कोटे से स्कूटर लेने क लिये पात्रता	Eligibility for Scooters from Government Quota	115
1372	राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने में कथित कदाचार	Alleged Malpractices in the Grant of Pensions to Political Sufferers .	116
1373	फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Ferozabad and Varanasi Riots . .	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1374	मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Mizoram . .	117
1375	लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी	Lal Bahadur Shastri Academy of Administration . . .	117
1376	बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार	Jobs for Unemployed .	118
1377	भूतपूर्व नरेशों द्वारा सम्पत्तियों का बेचा जाना	Disposal of properties by former Rulers . .	118
1378	कानपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में पुखरियां में पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के की मृत्यु	Death of a Harijan boy in Police Lock-up in Pukhrayan, Kanpur District (U.P.) . .	118
1379	1857 की हस्तलिपि पर आधारित कानपुर में ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम	Sound and Light Display in Kanpur based on Manuscript of 1857 .	119
1380	केन्द्रीय सतर्कता आयोग पर होने वाला वार्षिक व्यय	Annual Expenditure on Central Vigilance Commission . . .	120
1381	भेजे गये पोस्ट कार्ड को 11 वर्ष के बाद प्रेषक को लौटाया जाना	Post Card Posted back to Sender after 11 years .	120
1382	हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं	Incidents of Atrocities on Harijans and Adivasis . . .	121
1383	दिल्ली में अवैध शराब पीने से मृत्यु	Deaths due to consumption of Illicit liquor in Delhi . . .	121
1385	सरकारी सेवा में आने हेतु स्नातकों के लिये आयु सीमा बढ़ाना	Raising of age limit for Graduates for entry into Government Service .	121
1386	भ्रष्टाचार के मामलों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों पर आरोप लगाया जाना	Officers charge sheeted by CBI on charges of Corruption . . .	122
1387	दिल्ली में आत्म हत्याओं के मामले	Cases of Suicide in Delhi	123
1388	बिजली उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Power Generating Units	124
1389	पांचवीं योजना के दौरान विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिये राष्ट्रीय स्त्रोतों का बढ़ाया जाना	Raising of National Resources during Fifth Plan to reduce dependence on Foreign Aid .	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1390	स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licence for manufacture of Scooters .	125
1391	देश में बन रहे टेलीविजन सेटों की क्वालिटी में सुधार	Improvement in the quality of T.V. Sets being manufactured in the country . . .	125
1392	राज्यों को उनके कार्यों के अनुसार विकास कार्यों के लिये अनुदान	Grant to States for Development purposes on the basis of their performance . . .	125
1393	जादवपुर कलकत्ता में कृष्णा ग्लास फैक्टरी	Krishna Glass Factory at Jadavpur, Calcutta .	126
1394	औद्योगिक बस्तियों में शडों का उपयोग	Utilisation of Sheds in Industrial Estates .	126
1395	कागज के मूल्य पर नियंत्रण	Control on Price of Paper	127
1396	पांचवी योजना में अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Scheduled Castes in Fifth Plan	127
1397	गया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Auto Telephone Exchange in Gaya . .	127
1398	तारापुर परमाणु ऊर्जा कन्द्र में समृद्धि यूरेनियम का उपयोग	Use of enriched Uranium in Tarapur Atomic Station . . .	128
1399	लघु उद्यीग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets in Small Scale Sector .	128
1400	परमाणु ऊर्जा संयंत्र	Atomic Energy Plants .	128
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	129
	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी समाचार	Reported Power Shortage in U.P. . . .	129
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	129
	श्री बैजनाथ कुरील	Shri B.N. Kureel . .	129
	सभा-पटल पर रखें गये पत्र	Papers Laid on the table	132
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	134
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेंयकों संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions . . .	134

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	19 वां प्रतिवेदन	Nineteenth Report .	134
	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य 1970–71)	Demands for Excess Grants (General) 1970-71 . .	134
	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	134
	मुल्की कानूनों के बारे में	Re. Mulki Rules . .	134
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1969–70 के 19 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Nineteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1969-70 . .	136
	श्री गिरधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango .	136
	श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	137
	श्री राम भगत पास्वान	Shri Ram Bhagat Paswan	139
	श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal	139
	श्री भोला राउत	Shri Bhole Raut .	140
	श्री प्रताप सिंह	Shri Partap Singh	140
	श्री राम सूरत प्रसाद	Shri Ram Surat Prasad .	140
	श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	141
	श्रीं परिपूर्णानन्द पैन्थूली	Shri Paripoornanand Paimli . . .	141
	श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . . .	141
	श्री रामावतार शास्त्री	Shari Ramavatar Shastri	141
	श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	142
	प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	142
	अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेलवे) 1972–73	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1972-73 . . .	148
	श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya . . .	148
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	149
	श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	150
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	151
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramautar Shastri .	152
	श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani . .	153

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	154
	श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	155
	श्री ए० पी० शर्मा	Shri A.P. Sharma . .	155
	प्रो० मधु दन्डवतें	Prof. Madhu Dandavate	156
	श्री धामनकर	Shri Dhamanker . .	156
	श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	156
	श्री राजन्द्र प्रसाद यादव	Shri R.P. Yadav . .	157
	श्री विश्वनाथराय	Shri Bishwanath Roy .	157
	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डें	Shri Krishna Chandra Pandey . . .	157
	प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	157
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	157
	श्री पी० आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy .	157
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	157
	श्री डी० बासुमतारी	Shri D. Basumatari .	158
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	158
	श्री रामधन	Shri Ram Dhan . .	158
	श्री पी० एम० सईद	Shri P.M. Sayeed . .	158
	श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dusia	158
	श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhry	158
	श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B.N. Reddy	159
	श्री एस० बी० गिरी	Shri S.B. Giri .	159
	श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . . .	159
विनियोग (रेल) संख्या 4 (विधेयक), 1972 पुरःस्थापित और पारित		Appropriation (Railways) No. 4 Bill 1972, Introduced considered and passed . . .	163

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, , 22 नवम्बर, 1972–1 अग्रहायण, 1894 (शक)

Wednesday, November 22, 1972—1 Agrahayana, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at Two minutes, past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के लिए सीमेंट के कोटे में कमी

*122. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सीमेंट के कोटे में अत्याधिक कमी कर दी गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Before asking a supplementary question, I would like to make a submission that the Government is trying to grade the factual position regarding controlled. Commodities by giving a negative answer. I would like to know whether the Government is aware of the fact that in Delhi, a bag at the rate of Rs. 20 or Rs. 22. . .

Mr. Speaker : You had talded the question, he has replied in the negative, then how this supplementary arises ?

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I am asking a supplementary question regarding that every question.

Mr. Speaker : Through a supplementary question, information is sought and not furnished.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Then a Correct reply is not furnished ? then it is the duty of the Member of the House to seek a reply by giving the correct information. It is my duty to ask as to why the Government is hiding the facts. That is why I am asking this supplementary.

I would like to know whether the Government is aware of the fact that cement is being sold in black market at the rate of Rs. 20 or Rs. 22. per bag in Delhi? In addition I would also like tc know from the Government as to how much cement was supplied in the last year to the city. ......

Mr. Speaker : It does not arise out of it. How can you ask this question ?

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The Speaker, Sir, please listen to me. He has stated that there has been no reduction. ......

Mr. Speaker : I am not allowing it is wrong on your part. If you want to ask the question. Come to it directly.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : On the basis of this question, I am asking as to how much cement was supplied to Delhi according to the quota during the last year and how much Cement has been supplied during the current year and what was the demand?

Mr. Sepaker : You should table a reparate question for this.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I am saying that they have not been supplied cement according to their demand and there has been a reduction I, therefore, want to know the figures regarding demand and supply for the last year and the current year ?

Mr. Speaker : How does it arise out of it ? You have asked about reduced quota, if you wanted figures, you should have mentioned it particularly.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I have asked about quota.

Mr. Speaker : You had asked whether quota has been reduced drastically, They have said, 'no'.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : It says nothing. I am repeating that they have given a wrong answer, I want to prove this. That is why I am asking this question.

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : पिछले वर्ष 1971 में हमने 6.33 लाख टन सीमेंट सप्लाई किया था। इस साल जनवरी से अक्टबर तक हमने 5.32 लाख टन सीमेंट सप्लाई किया है। दिल्ली की सप्लाई में वृद्धिकारी प्रवृत्ति है। सदस्य महोदय शायद कुछ महीने पहले की उस अवधि का जिक्र कर रहे हैं, जबकि यहां हड़ताल थी। वह एक अस्थायी दौर था। उस पर काबू पा लिया गया है। मुझे बताया गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि आजकल दिल्ली के सीमेंट बाजार में सीमेंट की बहुतायात है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Mr. Speaker, Sir, I had asked about the demand there ? After all, quota is fixed keeping in view the State's demand. What was the demand for the last year and the current year ?

Mr. Speaker : If you want to know about the last year and the current year, you may table a separate question for that, you had asked a general question and he has replied to it I am not allowing this question.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Secondly, the Government says,..there has been an increase in the quota in relation to other places or than the last year. I would like to know, if it is not the duty of the Government to ensure the supply of controlled goods at control rate to the public, and what arrangement has been made to ensure it ?

Shri Siddheswar Prasad : So far as demand of Cement in Delhi is Concerned, there has been no difficulty in Delhi except for the period when there was strike in the Cement Industry. Additional requirement of Cement for construction work of Asia '72 has been fully met and there has been no shortage of Cement in Delhi.

Shri Hukam Chand Kachwai : In reply to the original question it has been stated that there has been no reduction. I would like to know whether it is a fact that the consumers are not able to get Cement easily for thier domestic use and they have to make many attempts with the dealers and they have to purchase Cement at a higher price ?

Shri Siddheshwar Prasad : It is not correct. Control has been imposed only to check the activities of the persons who do not use the Cement themselves and sell it in black market.

घाटे की अर्थ व्यवस्था को सीमा के अन्दर रखने के बारे में योजना आयोग का सुझाव

***123. श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि यह घाटे की अर्थ व्यवस्था को सीमा के अन्दर रखे ताकि मूल्यों को नियंत्रण में रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाव दिया गया था कि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित सीमाओं के अन्तर्गत रखे और बैंक द्वारा निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को भी सीमित रखा जाय। इस सुझाव के आधार पर चालू वर्ष के दौरान 250 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था रखी गई थी जब कि गत वर्ष 700 करोड़ रुपये थी । इस उद्देश्य की प्राप्ति

के लिये पर्याप्त मात्रा में कर प्रयत्न, किफायतसारी अभियान, आय कर की बकाया की वसूली के लिये प्रभावी प्रयत्न, अर्थव्यवस्था में अधिशेष प्रवाहमयता को खपा लेने के लिये बड़ी मात्रा में बाजार से ऋण, और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवर ड्राफ्टों को समाप्त करना जैसे अनेक उपाय अपनाये जा चुके हैं। इन उपायों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है।

Sbri Nawal Kishcre Sharma : The honourable Minister, while admitting it, has mentioned about the restriction on bank Credit to private sector, but he has not mentioned the steps taken in this regard ?

I would like to know whether any steps have been suggested by him to restrict bank credit to Private sector and if so, what are the details thereof and what result has been achieved?

श्री मोहन धारिया : इस बारे में विस्तृत रुप से विचार करना वित्त मंत्रालय का काम है। सभी प्रकार के ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने का हमने सुझाव दिया है। जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, वे सभी विवरण-पत्र में दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य कुछ अन्य ब्यौरा चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि वह इस आशय के प्रश्न का अलग नोटिस दें।

Shri Nawal Kishore Sharma : Secondly ,the inflation is required to be checked to have an effective control over prices and deficit financing. We may have a control over deficit financing, but unless its velocity is checked, inflation would continue to grow and prices could not be controlled. Has the Planning Commission considered this, aspect, also and if so, what are the details in respect thereof?.

श्री मोहन धारिया : अभी हाल में, वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था और सरकार ने इस मामले में कई निर्णय लिये हैं। उनमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर रोक लगाना भी शामिल है। इसके साथ-साथ मुद्रा सप्लाई पर रोक लगाने सहित कर सम्बन्धी प्रयास, मितव्यय अभियान, करों की बकाया राशि की वसूली, अर्थ-व्यवस्था की अतिरिक्त बचत का उपयोग करने के लिये बाजार से अधिक ऋण लेना और राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने पर रोक आदि विभिन्न उपाय दिये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने अभी वित्त मन्त्री के वक्तव्य का उल्लेख किया। में उन्हे यह बताना चाहता हूं कि 13 नवम्बर के श्री यशवन्तराव चव्हाण के वक्तव्य के अनुसार, पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की 327 करोड़ रुपये की ऋण राशि के मुकाबले रिजर्व-बैंक की ऋण-राशि म केवल 86 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि वस्तुत: यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष के लिये रिजर्व बैंक से सरकार के ऋण लेने में कमी हुई है, परन्तु वाणिज्यिक बैंकों से उन्होंने इतना ऋण लिया है कि कुल ऋण राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक ही है? क्या यह सच है अथवा नहीं? रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण अधिक और वित्तीय सूचांकों के वक्तव्य के अनुसार, पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि के 706 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष में अक्तूबर के अन्त तक सरकार का शुद्ध ऋण बढ़ कर 812 करोड़ रुपया हो गया था। अगर यह सच है, तो सदन को यह सोचने के लिये क्यों गुमराह किया जा रहा है कि ऋण लेने के बारे में सरकार ने कुछ ऐसे उपाय किये हैं, जिससे मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को बढावा नहीं मिलेगा, जबकि अगर रिजर्व बैंक के आंकड़े सही हैं, तो उनसे श्री यशवन्त राव चव्हाण के वक्तव्य का खण्डन होता है? उन्होंने

यह तथ्य छिपाया है कि अब वे यद्यपि रिजर्व बैंक से कम ऋण ले रहे हैं, परन्तु वाणिज्यिक बैंकों से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ऋण ले रहे हैं और पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे की अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक होगी।

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य को यह प्रश्न श्री यशवन्त राव चव्हाण से पूछना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री यशवन्तराव चव्हाण का वह क्यों नाम लेते हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैंने उनके नाम का इसलिये उल्लेख किया, क्योंकि आर्थिक विषय पर यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है और चूंकि श्री यशवन्त राव चव्हाण ने ऐसा कहा है, इसलिये मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह एक सही वक्तव्य है। उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया है जो........

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय यह कह कर नहीं बच सकते कि माननीय सदस्य श्री यशवन्त राव चव्हाण से पूछें। इस समय वह उनके स्थान पर उत्तर दे रहे हैं और उन्हें उत्तर देने के लिये तैयार होना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : योजना आयोग को घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिये।

श्री मोहन धारिया : श्री यशवन्त राव चव्हाण के नाम का उल्लेख किया गया है। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं। अगर मैं गलती नहीं करता तो वह कल के स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार का उल्लेख कर रहे हैं ....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कृपया ऐसा न कहें। यह कटिंग नहीं है। यह 'महत्वपूण आर्थिक और वित्तीय सूचकांकों का विवरण नामक रिजर्व बैंक के प्रकाशन से उद्धरण है। इसका कोई मतलब नहीं कि यह किस समाचार पत्र की कटिंग है।

श्री मोहन धारिया : जब वित्त मन्त्री ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने रिजर्व बैंक से अक्तूबर तक ऋण की स्थिति बताई थी इसलिये, उन्होंने सदन को रिजर्व बैंक से ऋण लेने के बारे में और किस प्रकार उनकी राशि में कमी हुई है, इसका उल्लेख किया था। हो सकता है उन्होंने अन्य ऋणों के बारे में न बताया हो। सरकार इस बात की पूरी सावधानी बरत रही है कि मुद्रा स्थीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले। मेरे विचार में वित्त मन्त्री का वह वक्तव्य बिल्कुल सही था। जहां तक अन्य व्यौरे का सम्बन्ध है, वे मेरे पास नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं सभापटल पर रखे गये उस विवरण-पत्र का उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें यह वाक्य है :

> "इस सुझाव के कारण पिछले वर्ष के 700 करोड़ रुपये के मुकाबिले म, चालू वर्ष में घाटे की अर्थव्यवस्था केवल 250 करोड़ रुपये ही की गई है।"

क्या यह सच नहीं है कि पिछले साल की 700 करोड़ रुपये की राशि में रिजर्व बैंक का ऋण और अन्य बैंकों का ऋण भी शामिल है ? इसलिये, मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस वर्ष कुल ऋण राशि बढ़कर 806 करोड़ रुपये हो गई है, जिसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 100 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि श्री चव्हाण ने क्या कहा ; उन्हें अपने वक्तव्य के आधार पर उत्तर देना चाहिये।

श्री मोहन धारिया : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका क्या मतलब है ? उनके पास क्या जानकारी नहीं है ? योजना मन्त्री यह वक्तव्य देकर नहीं बच सकते । मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है, कहने से उनका क्या मतलब है ? रिजर्व बैंक की जानकारी सारी जनता को उपलब्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्न में उन्होंने मन्त्री महोदय के सामने एक निश्चित प्रश्न रखा है कि इस साल की अपेक्षा पिछले साल कम ऋण लिया गया था । फिर उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि सही स्थिति क्या है । मन्त्री महोदय इसका बहुत संक्षिप्त उत्तर दे सकते थे कि यह सच है अथवा नहीं । लम्बा स्पष्टीकरण देने के बजाय वह कह सकते हैं कि अफसोस कि यह सच है ।" इसका उत्तर देने का यह बहुत आसान तरीका है ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक पिछले साल के 700 करोड़ रुपये की राशी का सम्बन्ध है मेरी जानकारी के अनुसार इसमें वाणिज्य बैंकों से लिया गया ऋण शामिल नहीं है । जहां तक श्री गुप्त के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि बाणिज्य बैंकों से कितना ऋण लिया गया, क्योंकि पिछले साल भी यह शामिल नहीं किया गया था ।

इसे जाने बिना, मैं कैसे यह कह सकता हूं कि वह सही है अथवा गलत ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या पिछले वर्ष की 700 करोड़ की राशि इस वर्ष बढ़कर 806 करोड़ रुपये हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कृपया अध्ययन करें और बाद में जानकारी दे दें ।

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह बताना चाहुंगा कि रिजर्व बेंक से ऋण लेने और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने में अन्तर है । जहां तक रिजर्व बैंक से ऋण लेने का सम्बन्ध है, इससे वित्त का सृजन होता है । इसलिए, यह घाटे की अर्थव्यवस्था कहलाती है । जहां तक वाणिज्यिक बेंकों से ऋण लेने का सम्बन्ध है, आप पहले से ही परिचालित मुद्रा मेंसे ऋण ले रहे है। इसलिए इसेघाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। यही अन्तरहै आप जनता से कर के माध्यम से धन इकटठा करते हैं अथवा वाणिज्यिक बेंकों में जमा जनता की बचत राशि से धन लेते हैं, इसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं माना जा सकता । इसलिए, आपको रिजर्व बेंक से लिये गये ऋण और वाणिज्यिक बैंकों से लिये गये ऋण में अन्तर करना होगा । में स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हुं, मगर यदि अब भी कोई विरोधामास हो, तो मुझे नहीं मालूम ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके स्पष्टी करण से मुझे बाद में काफी सहायता मिलेगी । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

श्री बी० आर० भगत : मन्त्री महोदय ने रिजर्व बैंक से ऋण लेने और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने के बारे में स्थिति स्पष्ट की । लेकिन एक कारण के बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहुंगा । शुद्ध बैंक ऋण को सृजित धन कहा जाता है । वे बतायें कि शुद्ध बैंक ऋण क्या होता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कीमतों पर बहस के दौरान प्रश्न उठाया गया था और इस प्रश्न पर मैंने श्री चव्हाण का विरोध किया था । इस बारे में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे । जिनका उन्होंने उत्तर दिया था । कीमतों पर बहस के दौरान शुद्ध बैंक ऋण के बारे में उत्तर दिया जा चुका है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये । भूतपूर्व मन्त्री वर्तमान मन्त्री को परेशानी में न डालें बेहतर है आप आपस में सलाह मशवरा कर लें ।

श्री वसन्त साठे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घाटे की अर्थव्यवस्था से मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और बढ़ती हुई कीमतों और मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोकने का एकमात्र रास्ता उपभोक्ता सामान के उत्पादन में वृद्धि करना है ; मैं यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर चले गये ? उपभोक्ता सामग्री का यहां क्या सम्बन्ध है ? वे उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन नहीं कर रहे । प्रश्न घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में है ।

श्री वसन्त साठे : जी हां, प्रश्न के भाग (क) में क्या गया है "कीमतों को नियंत्रित करने के लिए" । मैं उसी बारे में प्रश्न पूछ रहा हुँ । यह उस में है । आप सामान की सप्लाई किये बिना कीमतों को कैसे निमन्त्रित कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहस नहीं है । आप तथ्यात्मक जानकारी मांग सकते हैं , ऐसा उन्होंने किया है अथवा नहीं । परन्तु यदि मैं बहस की इजाजत दे दूं . . . (व्यवधान) कोई तर्क नहीं ।

श्री वसन्त साठे : वे इस बारे में जवाब दें कि उपभोक्ता सामग्री में वृद्धि करके मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है । क्या हम उपभोक्ता सामग्री की सप्लाई में वृद्धि नही करना चाहते ? वह इसका जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये । साठे जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है , परन्तु यह बेहतर होगा कि जब आप योजना अथवा अन्य रिपोर्टों पर बहस करें, तब इस पर व्यापक रूप से विचार करें; लेकिन प्रश्न काल में नहीं ।

श्री वसन्त साठे : कीमतों का प्रश्न इससे पूरी तरह सम्बद्ध है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे से सलाह लेने का कोई फायदा नहीं । आप यह सब बाद में करें । कृपया प्रश्नों पर ध्यान दें ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक श्री साठे द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के उपयोग की जरूरतों अथवा ऐसी सामग्री के उत्पादन पर बल दिया जायगा । इसलिए जैसा कि मैंने बताया है और वित्त मन्त्री ने भी सदन में कहा है, कीमतों को स्थिर करने के लिए ।

श्री वसन्त साठे : वित्त मन्त्री के नाम का उल्लेख मत कीजिए ।

श्री मोहन धारिया : उन्होंने जो कुछ कहा है वह सरकार की ओर से कहा गया है । अगर हम मूल्यों में कमी करना चाहते हैं तो कृषि उत्पादनों और आम उपयोग की अन्य वस्तुओं अर्थात औद्यौगिक उत्पादों के उत्पादन में हमें वृद्धि करनी होगी । सदन में नीति को काफी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो प्रश्न किया, वही प्रश्न मैंने भी किया था और आज उत्तर मिलने में इतना समय लग गया मैं भी एक सवाल करूं ?

Mr. Speaker : You have already asked.

Shri Shyamnandan Mishra : I had participated in the debate.

Mr. Speaker : Please do not participate in the debate as well as in the supplementaries.

Shri Shyamnandan Mishra : You have given a chance to Mr. Bhagat.... ....(*interruption*)

जहां तक सदन के सदस्यों की सथापना का प्रश्न है , मुझमें विनम्रता की कमी नहीं है ।

श्रीमान् जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या घाटे की अर्थ व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने कुछ सिद्धान्त अथवा कोई कसौटी निर्धारित की हैं यदि हां तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंनें मुद्रा सप्लाई में वृद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के बीच कोई समबन्ध निर्धारित करने का प्रयास किया है ; क्या मुद्रा सप्लाई में वृद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का नियम बनाया है ?

श्री मोहन धारिया : घाटे की अर्थ व्यवस्था की धारणा पूरी तरह स्पष्ट है घाटे की अर्थ व्यवस्था के साथ अगर उत्पादन में सहायक कोई परिणाम नही निकलते तो इससे मूद्रा स्फीति की प्रबृति को बढ़ावा मिलेगा । इस सन्दर्भ में सभी सम्भव सावधानी बरती जा रही है और इसी कारण पिछले वर्ष की 700 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था अब घटकर 252 करोड़ रूपये ही रह गई है । (व्यवधान) सिद्धान्त बहुत स्पष्ट है घाटे की अर्थव्यवस्था होते हुए भी हम इस स्थिति में होने चाहिए कि और औद्यौगिक विकास और देश में आर्थिक विकास में वृद्धि हो । अन्यथा सारी प्रवृति मुद्रा स्मीति की होगी यही नियम है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलचित्र वित्त निगम द्वारा बनाई जाने वाली रंग शालाएं (थियेटर्स)

*125. **श्री वी० मायावन :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चलचित्र वित्त नियम का प्रस्ताव 100 रंगशालाओं का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) इन रंगशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया जायेगा तथा प्रस्ताव के उद्देश्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : फिल्में दिखाने के लिये अगले 10 वर्षों के दौरान देश में 100 आर्ट थियेटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री वी० मयावन : इन थियेटरों के निर्माण करने का मुख्य कारण यह है कि इनमें एसी प्रयोगात्मक-फिल्में दिखाई जायेंगी जो वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक आकर्षक नहीं है और जिन्हें सामान्य प्रक्रिया अनुसार दिखाया नहीं जा सकता इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की प्रयोगात्मक फिल्में दिखाई जायेंगी और क्या ये फिल्में सब भाषाओं में दिखाई जायें गी ?

सूजना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगात्मक फिल्में दिखाना नहीं बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी स्तर की फिल्में दिखाना और फिल्म निर्माण कार्य में अच्छी प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है । सामान्यतया अच्छी फिल्मों के लिये सफलता प्राप्त करना कठिन है । यह कठिनाई बंगाल में अधिकांश युवक कलाकारों को, जो अच्छी फिल्में बनाने का प्रयास कर रही हैं, हो रही है । अतः हम अच्छे स्तर की फिल्में प्रदर्शित करने के लिये बहुत से थियेटरों का निर्माण करना चाहते हैं । इन थियेटरों में न केवल फिल्म वित्त निगम द्वारा निर्मित फिल्में दिखाई जायेंगी बल्कि युवक प्रभावशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्में भी प्रदर्शित की जायेंगी । इससे उच्च कोटि की फिल्मों के निर्माण और विदेशों में भेजे जाने वाली फिल्मों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री वी० मयावन: क्या सरकार का विचार इस कार्य का आरम्भ चार प्रमुख नगरों में थियटरों का निर्माण करके करने का है और यदि हां तो क्या ऐसी किसी थियेटर की स्थापना तमिलनाडु में की जायेगी और क्या फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता न दी जाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन भी इन थियेटरों में किया जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : इस सम्बन्ध में बम्बई में सबसे पहला थियेटर खोला गया है । आशा है अन्य तीन नगरों में भी अगामी कुछ महीनों में थियेटर खोले जायेंगे । मद्रास को इसमें शामिल किया गया है । फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली फिल्मों को भी, यदि वे उच्च स्तर की होंगी, प्रदर्शित किया जायेगा ।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या ऐसा थियेटर उड़ीसा में भी स्थापित किया जायेगा ? क्या वहां फिल्मों का प्रदर्शन उड़िया भाषा में किया जायेगा जिससे लोगों को उड़िया भाषा की शिक्षा दी जा सके ?

श्री आई० के० गुजराल : उड़िया भाषा में भी कुछ अच्छी फिल्में बनाई गई हैं । इस बारे में उड़ीसा के निर्माता आगे आ रहे हैं। आशा है उचित प्रोत्साहन देने पर उनके लिये अच्छी फिल्में बनाना सम्भव होगा । उड़ीसा को भी शामिल किया गया है ।

Shri Ishwar Chaudhry : I want to know whether Bihar will also be included in that scheme and the number of theatres to be opened in that State ?

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है मैं और राज्यवार प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री आई० के० गुजराल : हम इस बारे में राज्यवार अथवा भाषावार आधार पर विचार नहीं कर रहे हैं । हम आवश्यकतानुसार इस विषय पर विचार कर रहे हैं । हम 100 थियेटर खोलने का विचार कर रहे हैं । और बिहार को उसका उचित भाग दिया जायेगा ।

आशय पत्रों और लाइसेसों की क्रियान्विति

***126. श्री एम० एस० संजीवी राव :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जारी किए गए आशापत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की क्रियान्विति पर नजर रखने के उद्देश्य से इनका व्यापक रिकार्ड रखने हेतु संगणन (कम्प्यूटराईजेशन) प्रक्रिया आरंभ करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां ।(ख) संगणन (कम्प्यूटराईजड) प्रक्रिया चालू करने के बारे में निर्णय ले लिया है । इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र लागू करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री एम० एस० संजीवी राव: मुझे विश्वास है कि बड़े औद्योगिक गृह आशय-पत्र प्राप्त करने के बाद चुप बैठ जाते हैं और उनको क्रियान्वित नहीं करते। वे न केवल युवा उद्योगपतियों को आशय-पत्र प्राप्त करने से वंचित रखते हैं बल्कि वह भारत सरकार और देश को औद्योगिकरण से वंचित रखते हैं आशय पत्र जारी करने के अतिरिक्ति क्या सरकार इस बात के लिये प्रयास कर रही है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दूर किया जा सके ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम संगणक प्रणाली लागू कर रहे हैं। जब वह प्रणाली लागू होगी हम माननीय मंत्री के इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे कि इसका किस प्रकार उचित प्रयोग किया जा सकता है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : आशय पत्रों के जारी करने और उनको वास्तविक रूप में क्रयान्वित करने में कितना अन्तर है । क्या ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके बाद आशय-पत्रों को रद्द किया जा सके? क्या सरकार विर्धारित सीमा में कभी करने पर विचार कर रही है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सामान्यतया आशय-पत्र सर्वप्रथम छः महीने के लिये जारी किया जाता है । लेकिन सामान्यतया वे सब आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी करने में समर्थ नहीं होते । अतः सामान्यतया छः महीने की अवधि और बढ़ाई जाती है । लेकिन कुछ मामलों में अन्य कारणों से विलम्ब होती है । हम विलम्ब को यथा सम्भव दूर करने अथवा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। साधारतया लाइसेंस जारी करने और उद्योग में उत्पादन आरम्भ करने में तीन अथवा चार वर्ष का अन्तर होता है ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या कलकत्ते के निकट स्थित इंडियन कारबन फैक्टरी बन्द होने वाली है ....

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष प्रश्न है । मैं इस प्रश्न के पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । यदि एक बार मैं इसकी अनुमति दे दूंगा तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। वह इसके लिये अलग नोटिस दे सकते हैं ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को फैक्टरी के कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता । कृपया कोई और प्रश्न पूछें ।

आकाशवाणी के तेजपुर केन्द्र के लिए स्थान का चयन

*128. **श्री कमला प्रसाद :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रस्तावित तेजपुर केन्द्र के लिये स्थान को अंतिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान का नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अरुणाचल राज्य को कवर करने के लिये रेडियो स्टेशन के स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

श्री कमला प्रसाद : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा आशय यह है कि सरकार ने तेजपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का पहले ही निर्णय ले लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेडियो स्टेशन कब तक तैयार हो जायेगा ।

श्री आई० के० गुजराल : हमने तेजपुर में रेडियो स्टेशन खोलने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नही लिया है । इस सम्बन्ध में एक स्थान का चयन किया गया था । लेकिन उससे केवल अरुणाचल क्षेत्र ही इसके अन्तर्गत आयेगा । इस बीच यह निर्णय किया गया कि अरुणाचल की एक नई राजधानी होगी । अतः हम अरुणाचल की राजधानी में रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहेंगे । इसीलिये इस बारे में कुछ कठिनाई हो रही है । इसके साथ हम तेजपुर में भी रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

Air Employees on Strike

***129. Shri Bharat Singh Chauhan**

Shri Somchand Solanki

Will the Minister of **INFORMATION & BROADCASTING** (सूचना और प्रसारण मंत्री) be pleased to state :

(*a*) the categories of employees of AIR who went on strike recently ;

(*b*) their main demands ; and

(*c*) the reaction of Government in regard to their demands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting Dharam Bir Sinha : (*a*) Representatives of non-gazetted engineers and technicians of AIR staged a demonstration and Dharna in support of their demands.

(*b*) A statement listing the various demands is placed on the Table of the House.

(*c*) Some of the demands have already been met while the rest are being examined in consultation with the concerned Departments.

Statement

1. Direct recruitment at Assistant Engineer's level should not be made.

2. (*a*) Increase in promotion quota from 5 per cent to 20 per cent in the grade of Engineering Assistant should be given retrospective effect.

(*b*) Immediate implementation of the decision to increase promotion quota of senior mechanics to the grade of Engineering Assistant.

3. Professional experience should be given weightage and minimum qualifications should not be insisted upon for promotion to the post of Assistant Engineer.

4. Redesignation of certain technical posts.

5. Mechanics, who on promotion do not want to be transferred to far off places, should not be debarred from further promotions for five years.

6. Duties and responsibilities of non-gazetted engineering staff should be defined clearly.

7. Shift duty staff should be treated at par with other Central Government employees in matters of duty hours, number of holidays and rate of Overtime Allowance etc.

8. Compulsory risk insurance should be provided at Government expense for shift duty staff.

9. Confirmation cases should be expedited.

10. Advance increments should be granted to these persons who acquire higher professional qualifications.

Shri Bharat Singh Chauhan : The A.I.R. artists and staff started an agitation about two year back. Their demands were that they should be given better salaries and there should be security of jobs for them. The chairman of the Union was suspended. If his demands were just what steps had been taken to remove discontentments among them. It is a well known fact that this is a very powerful department and it plays a very important part in establishing a Government and toppling down a Government. It will be great loss in case there remains mis-management and discontentments in that department.

I want to know what steps have been taken to remove their discontentments ? I also want to know what measures have been taken to recognise that organisation ?

श्री श्राई० के० गुजराल : प्रश्न श्रौर उसके उत्तर में मामूली सा श्रन्तर है क्योंकि प्रश्न बहुत व्यापक है । हमने श्राकाशवाणी के उन कर्मचारियों की श्रेणियों के बारे में उल्लेख किया है जिन्होंने हाल ही में हड़ताल की थी । श्रत: मेरे सहयोगी ने श्रराजपत्रित इंजीनियरों श्रौर तकनीशियनों के बारे में उत्तर दिया है । यदि माननीय सदस्य स्टाफ श्रार्टिस्टों के बारे में जानने को उत्सुक हैं तो मैं केवल दो बातें कहना चाहूंगा । प्रश्न है यह कि हम इसके लिये प्रत्यनशील हैं कि स्टाफ श्रार्टिस्टों को श्रपनी सेवा से पूर्ण संतोष मिले ।

इसीलिये हम गत दो वर्षों श्रथवा इससे श्रधिक समय से उनकी मांगें श्रौर श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं । इनमें से कुछ समस्याश्रों का हल निकाल लिया गया है श्रौर कुछ समस्याश्रों का हल निकालना बाकी है । वेतन श्रायोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनका हल निकाला जायेगा । मैं उन्हें इस बात का श्राशवासन देता हूं श्रौर उनके माध्यम से स्टाफ श्रार्टिस्टों को श्राशवासन देता हूं कि श्राकाशवाणी से स्टाफ श्रार्टिस्टों की सेवाश्रों को संतोषजनक बनाने के लिये हम बहुत प्रत्यनशील हैं ।

Shri Bharat Singh Chauhan : It was also assured that the retired persons would be re-employed on the basis of their personal merits. I want to know the number of cases considered on this ground. I also want to know the names and the number of those persons.

श्री आई० के० गुजराल : सामान्यतया हम इस पर सहमत हो गये हैं कि सर्जनात्मक कार्य में लगे हुए सभी स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा अवधि 58 वर्ष तक बढ़ा दी जायेगी।

श्री सोमचंद सोलंकी : कुछ महीने पूर्व अहमदाबाद में डाकियों की हड़ताल आरम्भ हुई थी श्री पालकीवाला, जिन्होंने हाल ही में लोक सभा का चुनाव लड़ा था, की सलाह पर इस हड़ताल को बिना किसी शर्त पर रोक दिया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह हड़ताल किसी राजनीतिक दल के उकसाने पर अथवा किसी अन्य कारण से आरम्भ की गई थी।

श्री आई० के० गुजराल : मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य जिस हड़ताल का उल्लेख कर रहे हैं वह हड़ताल डाक और तार विभाग में हुई थी। कुछ समय से मैं संचार मंत्री नहीं हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यहां पर यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने दस मांगें पेश की थीं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कुछ मांगों का क्रियान्वयन न करने के विरोध में स्टाफ आर्टिस्टों और इन लोगों ने तीन दिन के लिये भूख-हड़ताल करने का निर्णय किया है। और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री महोदय उनसे मिलेंगे और बातचीत करके कोई समझौता करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे खेद है कि यूनियन के कुछ लोगों ने आन्दोलनात्मक रवैया अपनाने का निर्णय किया है। लगभग तीन सप्ताह पूर्व इन लोगों ने चार अथवा पांच मांगे रखीं थी और हमने ये सभी मांगें मान ली थीं। उन मांगों को लागू किया जा रहा है। अचानक अब मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी मांगो का जिक्र तक नहीं है। इस पत्र में यह लिखा है "क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं।" हमारा विचार है कि इसके पीछे जो प्रयोजन हैं वे कार्मिक संघ से संबंधित नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वे सभी आर्टिस्ट हैं। उनकी कुछ मांगें श्रीमति नंदिनी सत्पथी और श्री गुजराल के समय से शेष पड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के साथ वार्ता करके कोई समझौता किया जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों द्वारा सरकार के सामने ये दस मांगें कब रखी गई थीं और कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने से पूर्व सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री आई०के० गुजराल : मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी कर्मचारी ने हड़ताल नहीं की थी। मेरे माननीय मित्र स्टाफ आर्टिस्टों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं अपितु इंजीनियरिंग संवर्ग के कर्मचारियों का जिक्र कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी वरन, इन्होंने मेरे घर के सामने धरना दिया था। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें थीं कि इनकी पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने चाहिये। मैंने इन कर्मचारियों से बातचीत की थी। इन कर्मचारियों की अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई हैं। सबसे बड़ी एक बात हमने जो की है वह यह है कि पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ा करके 60 प्रतिशत कर दिया है। इससे उनकी मांगो का एक प्रमुख भाग पूरा हो जाना चाहिए जहां तक अन्य मांगों का संबंध है अधिकांश पर विचार किया जा रहा है और मैं शीघ्र ही उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ हो सकूंगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूख हड़ताल की धमकी का आशय खाद्य समस्या को हल करने से है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न सदैव इस प्रकार के होते हैं । जब भी आप खड़े होते हैं, मुझे यह विचार करना पड़ता है कि मुझे आपको अनुमति देनी चाहिये अथवा नहीं । यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो वह आपको दी जा सकती है ।

अगला प्रश्न ।

पांचवीं योजना में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल

*130. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की यह राय है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विलास-वस्तुओं के स्थान पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत दर्ज आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के 17 ग्रुपों के उत्पादन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पांच वर्ष की अवधि में इन वस्तुओं के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग को इस प्रकार के सर्वेक्षणों की कोई जानकारी नहीं है । परन्तु यह उल्लेखनीय है कि जन उपभोग की सामग्री की मूल्य प्रवृत्तियों पर सिविल सप्लाइज़ संगठन द्वारा विशेष नज़र रखी जायेगी ।

श्री पी० गंगादेव : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक लाइसेंसों के कुछ आवेदन-पत्रों को नामंजूर कर देने से हमारे कुछ उद्योगों में कतिपय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है, और यदि हां तो भविष्य में इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहन धारिया : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री पी० गंगादेव : मैं आगे यह भी जानना चाहता हूं कि 17 आवश्यक उद्योगों में क्षमता स्थापित करने के लिये जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का कोई अध्ययन सरकार ने किया है और यदि हां तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ।

श्री मोहन धारिया : जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है पाचवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जायेगा और इन वस्तुओं का उत्पादन जिस तरह किया जा सकेगा, लाइसेंस देकर अथवा अधिक विस्तार करके ये प्रयास जारी रहेंगें ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग नें राष्ट्रीय उत्पादन का कोई वर्गीकरण विलास वस्तुओं गैर-विलासी वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के रूप में करने का

प्रयास किया है ? यदि योजना आयोग ने यह वर्गीकरण किया है तो हमें बताया जाये कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना अनुपात विलास वस्तुओं का है और कुल उत्पादन का कितना अनुपात गैर-विलास वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं का है ?

श्री मोहन धारिया : पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिये नियुक्त अध्यन दल इस समय इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और इन रिपोर्टों के प्राप्त होने और योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही इस जानकारी को उपलब्ध कराना संभव होगा।

श्री रामसहाय पांडे : प्रश्न के (क) भाग का उत्तर 'जी' हां है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता वस्नुओं के उत्पादन पर बल दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन उपभोक्ता बस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दिये गये सुझाओं के बावजूद नाइलोन, पाउडर, इत्र और अनेक अन्य शृंगार प्रसाधनों के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिये गये हैं और इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग यह देखता है कि जो भी सुझाव दिये जाते हैं, वे सुझाव संबंधित मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं ?

श्री मोहन धारिया : जब इस योजना को तैयार किया जाता है तो सभी मंत्रालयों की सहमति ली जाती है और इस योजना को समग्ररूप से सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। योजना-आयोग और अन्य मंत्रालयों के बीच कोई मतभेद न हो, हम इस बारे में सावधानी बरतेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि एक ओर विलास वस्तुओं के उत्पादन, जैसे एयर-कंडिशनर, रेफ्रीजेरेटर तथा मोटर कारें, और दूसरी ओर आवश्यक चीजों जैसे कपड़ा, धागा, नमक और चीनी आदि के उत्पादन के बीच बहुत असमानता है ? इन प्रकार के उत्पादन के मध्य असमानता को पूरी तरह से हटाने के लिये कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मने यहां स्पष्ट किया है, जन उपभोग की वस्तुओं को प्राथमिकता देने के बारे में हम सावधानी बरतेंगे। यह सच है कि माननीय सदस्य ने जिन कुछ विलास वस्तुओं का उल्लेख किया है, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य जन उपभोग की वस्तुओं के मामले में यह बात नहीं है। हम इस असमानता को कम करने का प्रयास करेंगे और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जन साधारण के लिये आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बारे में पूरा जोर दिया जाएगा।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय प्रभावहीन तर्क दे रहे हैं। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खपत जैसे खाद्य में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, तेल में 7.3 प्रतिशत हुई है, चीनी में वृधि 15.2 प्रतिशत है और एयर-कंडिशनर के उत्पादन में 79 प्रतिशत वृद्धि तथा रेफ्रीजेरेटर के उत्पादन में 252 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री कह रहे हैं कि जन उपभोग और आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार सभी उपाय कर रही है। माननीय मंत्री विशेष रूप से बतायें कि वह इस समस्या को किस तरह हल करेंगे और मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह किस प्रकार सुधार करने का इरादा रखते हैं।

श्री मोहन धारिया : मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण है जन साधारण द्वारा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता। यद्यपि भारी सूखा पड़ा है फिर भी रबी के मौसम में इन पदार्थों के उत्पादन के लिये एक बहुत विशाल कार्यक्रम सरकार ने बनाया है और इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, चाहे यह अनाज हो अथवा चीनी अथवा तेल, सरकार ने अनेक उपाय किये हैं और जब तक हम अधिक उत्पादन, कृषि और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में नहीं करते हैं, तब तक इस चुनौती का सामना करना हमारे लिये संभव नहीं होगा।

श्री दिनेश सिंह : कार्यक्रम क्या है ? कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री मोहन धारिया : रबी के मौसम में अनाज के अधिक उत्पादन करने के कार्यक्रम हैं जिसके लिये खाद्य मंत्रालय को 150 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है और गेहूं और धान के उत्पादन क लिय बहुत से कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किये जा चुके हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि पूरी तरह से नहीं तो कम से कम काफी हद तक खरीफ के मौसम में उत्पादन की हानि को पूरा कर लिया जायेगा .... (**व्यवधान**)। वह कार्यक्रम जानना चाहते हैं। अत: मुझे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करना होगा .... तिलहन के उत्पादन के लिये कार्यक्रम, गन्ने के उत्पादन के लिये कार्यक्रम और इसी तरह के सभी कार्यक्रमों को आरंभ किया जा चुका है और यदि माननीय सदन मुझे अनुमति दे तो मैं ब्यौरा देने के लिये तैयार हूं।

श्री भागवत झा आजाद : रबी अभियान के लिये हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। देश मे इस समय उर्वरक की कितनी कमी है ?

श्री मोहन धारिया : उर्वरक के मामले में भी, सरकार ने 150 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का आयात किया है। क्योंकि हमें इस चुनौती का सामना करना है। जब हम उत्पमदन के कार्यक्रमों को आरम्भ करते हैं तो या तो इसका हम देश में ही उत्पादन करें अथवा हमें आयात करना होगा। दोनों ओर से सरकार इस कार्य म लगी हुई है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछ सकता हूं ? मेरे विचार से उन्हें अनेक उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता के बारे में पता है। उर्वरक उद्योग में भी बेकार क्षमता पड़ी हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि वे 150 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का आयात कर रहे हैं ....

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी दे रहे हैं। माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त क्यों नहीं करते हैं ?

श्री पीलू मोदी : जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है वह जानकारी केवल वेही लोग दे सकत हैं जिनके पास यह होती है। जिनके पास नहीं हैं वे कैसे दे सकते हैं ?

श्री एस० आर० दामाणी : बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो ?

श्री मोहन धारिया : जब चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि दस्तावेज़ इस सदन के सामने रखा गया था तो इन सभी कमियों के बारे में इस सदन को परिचित कराया गया था और हम इस्पात, बिजली, उर्वरक आदि की कमी से सुपरिचित हैं। परिवहन की बाधा हमारे उत्पादन कार्यक्रम में प्रमुख बाधा है और इसलिये हमने इस बारे में अनेक उपाय प्रारम्भ किये हैं। हमने 200 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात आयात किया है और अब हम देख सकते हैं कि देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। इसी प्रकार देश में अनेक अन्य उपाय किये जा रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं विशेष रुप से जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विलास-वस्तुओं के रुप में वर्गीकृत की गई उपभोक्ता वस्तुओं में पूंजी निवेश कितने प्रतिशत है और गैर-सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के रुप में वर्गीकृत की गई उपभोक्ता वस्तुओं में पूंजी निवेश कितने प्रतिशत है ?

श्री मोहन धारिया : इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न विशेष रूप से जन उपभोग की वस्तुओं से संबंधित है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस्पात, कोयला आदि का उल्लेख कर रहे हैं । मेरा प्रश्न है कि जन उपभोग की इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के विचार से सरकारी और सरकारी-क्षेत्र में भी इन वस्तुओं से कुछ का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है । चूंकि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर हैं, इसलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र इन विशेष कार्यक्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में असफल हो जाता है, तो क्या उत्पादन को बढ़ाने के विचार से पंच-वर्षीय योजना के अनुसार सरकार स्वयं अग्रसर होगी ? मैं यहां पर बंद पड़ी हुई संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं । म जन उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के विषय में बात कर रहा हूं ।

श्री मोहन धारिया : यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जन उपभोग की इन वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिये सरकारी क्षेत्र को इस दिशा में अग्रसर होना चाहिये तो सरकारी क्षेत्र अग्रसर होगा । मैं एक बात स्पष्ट कर दूं क्योंकि माननीय सदस्य ने उर्वरक, तेल आदि का उल्लेख किया है । यदि कृषि उत्पादन इन आधारभूत आवश्यकताओं के बिना किया जाता है तो कमियों को पूरा करना संभव नहीं होगा ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा की आयु सीमा में वृद्धि और परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में वृद्धि

*131 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का भी है ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) तथा (ख) : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों के लिये वर्ष 1973 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से लेकर ऊपरी आयु सीमा बढ़ा कर 25 वर्ष कर दी गई है ।

(ग) असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के सम्बन्ध में इस समय परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आयु सीमा को बढ़ा कर 25 वर्ष करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं यद्यपि आई० ए० एस० परीक्षा की आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए यह आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष तक होनी चाहिये क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों के लिये आयु

सीमा बढ़ा करके 25 वर्ष तक कर दी गई है, तो क्या परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करना उचित नहीं रहेगी ? क्या निकट भविष्य में सरकार इस पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार की सेवाओं के लिये एक उम्मीदवार को दो से अधिक अवसर नहीं दिये जाने चाहियें। जहां तक तकनीकी सेवाओं का संबंध है सरकार ने अब तक इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। उच्चतर गैर-तकनीकी सेवाओं संबंधी यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। उच्चतर सेवाओं संबंधी इस सिफारिश पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लेने पर ही निम्न सेवाओं संबंधी स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा। असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के संबंध में इस समय परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारश पर निर्णय रकने के पश्चात् इस बात पर विचार किया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : It is a fact that some, Members of Parliament have sent letters to you about increasing the number of chances from two to three, if so, what are their arguments in these letters in favour of it and have you considered those arguments and what are your conclusions ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is a fact that in this connection some hon. Members have written letters. The arguments advanced in those letters will be considered seriously.

श्री पीलू मोदी : सरकार ने हाल ही में मई के महीने में आयु सीमा बढ़ा कर 25 वर्ष तक कर दी थी लेकिन सरकार के कई विभागों में यह विशिष्ट सूचना अभी तक नहीं पहुंच सकी है। उदाहरण के लिये, अहमदाबाद के आय-कर आयुक्त इससे बिलकुल अपरिचित हैं कि सरकार ने ऐसा विनियम पारित कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी विभागों को समय पर सूचना मिल सके।

श्री रामनिवास मिर्धा : जी हां, हम ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री सोमनाथ चटर्जी। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

अगला प्रश्न, श्री पी० एम० मेहता। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह, वे भी अनुपस्थित हैं। अब श्री एफ० ए० मुरुगनन्तम। वे भी अनुपस्थित हैं। ये जो प्रश्न करते हैं इनको हाजिर रहना चाहिये। जो प्रश्न करते है उनपर गवर्नमेंट का खर्च होता है, सब कुछ होता है ।

Dr. Govind Das Richhariya : Next member should be authorised to ask the question in case question of any other members has come on the agenda. Question which has been admitted, if not replied. means the taking away the right of some others. The right of the House should not be taken away in case any Hon. Member could not come due to illness.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 136। श्री डी० के० पंडा। वे अनुपस्थित हैं। श्री हरिप्रसाद शर्मा,। वे भी अनुपस्थित हैं।

Dr. Govind Das Richhariya : You may take up the question in case it has come on the agenda and the House approves of it.

Mr. Speaker : This is impossible. The rules are very clear :]

राज्य स्तर पर योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाना

***137. श्री सरजू पाण्डे :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य स्तर पर योजना तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस बारे में कौन से सुझाव दिये हैं, और

(ग) राज्यों को इस प्रयोजनार्थ क्या सहायता दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) राज्यों द्वारा अपने स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने में किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय के दो तिहाई अंश की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी ।

"राज्य स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ बनाना" विषय पर श्री सरजू पाण्डे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (ख) के उत्तर में दिनांक 22–11–1972 को लोक सभा-पटल पर रखा गया विवरण ।

राज्य स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :–

(क) राज्य स्तर पर एक सर्वोच्च संस्था होनी चाहिये जिसमें मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री तथा विभिन्न विभागों और शाखाओं के तकनीकी विशेषज्ञ हों ।

(ख) सर्वोच्च संस्था के कार्य में संचालन दलों द्वारा सहायता पहुंचाई जानी चाहिये जो जहाँ तक सम्भव हो गैर-सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों की अध्यक्षता में गठित किए जायें । ये विशेष कृषि, उद्योग, सिचाई तथा बिजली, समाज सेवाओं, परिवहन, जन-शक्ति तथा रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों । इन संचालन दलों के अध्यक्ष ऊपर (क) में वर्णित सर्वोच्च आयोजन संस्था के सदस्य होने चाहिये ।

(ग) इस बात का सुनिश्चिय करने के लिये कि सर्वोच्च संस्था योजना तैयार करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उसके कार्यान्वियन में प्रबोधन का कार्य करने में सक्रिय है एक पूर्णकालिक गैर-सरकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिये जो सर्वोच्च संस्था का कार्यभारी हो । उपाध्यक्ष राज्य योजना विभाग के माध्यम से कार्य करेगा जो कि सर्वोच्च आयोजन संस्थाओं का सचिवालय होना चाहिये ।

(घ) योजना विभाग को इस योग्य बनाने के लिये कि वह सर्वोच्च आयोजन संस्था के सचिवालय संबंधी कार्यों को अच्छी प्रकार करे, इसके कर्मचारियों की संस्था में समुचित वृद्धि की जाय । इसके लिये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नियुक्त किए जायें । इस विभाग को कार्य की दृष्टि से भी विभिन्न एककों में पुनर्गठित किया जाना चाहिये । ये एकक मुख्य रूप से निम्न प्रकार होने चाहिये :–

1. भावी योजना एकक–संसाधनों की तालिकाएं तैयार करना तथा उन्हें अद्यतन रूप प्रदान करना और दीर्घकालीन भावी योजनाएं तैयार करना ;

2. **प्रबोधन, योजना सूचना तथा मूल्यांकन एकक ।**

3. **परियोजना निर्माण एकक**– निवेश–परियोजनाए तैयार करने में विभिन्न विभागों की सहायता करना तथा प्रत्याशित मूल्यांकन भी करना ;

4. **क्षत्रीय/जिला योजना एकक**– क्षेत्रीय तथा जिला योजना प्राधिकारियों को मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना ; और

5. **योजना समन्वय एकक**–विकास के वर्तमान/प्रत्याशित स्तर का निर्धारण, अगले पांच/एक वर्ष के लिये समेकित नीति के अन्तर्गत **परस्पर प्राथमिकताओं** का निर्धारण, जनशक्ति, माल तथा वित्तीय–संसाधनों की उपलब्धि का पता लगाना और स्थानीय तथा क्षेत्रीय योजनाओं को एक सन्तुलित एवं कार्यात्मक योजना में समन्वित करना ।

Shri Sarjoo Pandey : There is a mention of 3 or 4 suggestions to strengthen the planning machinery at the state level. Another suggestion is that there should be a non-official chairman : I want to know whether this non-official chairman will be appointed by the Government or they were elected ? How will he be a non-official chairman ?

श्री मोहन धारिया : राज्य सरकार डिप्टी चेयरमैन को मनोनित करेगी । डिप्टी चेयरमैन के चुनाव का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा :– क्या वह कांग्रेसी होगा अथवा साम्यवादी सदस्य होगा ?

श्री एस० एम० बनर्जी– वह स्वतंत्र दल का सदस्य होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अथवा संगठन कांग्रेस का ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether there is any proposal to associate members of Lok Sabha and state assemblies with a view to bring about Co-operation and coordination the states and the Centre? Is there any proposal to seek their cooperation for all these works ?

श्री मोहन धारिया : योजना बनाने तथा योजना को निष्पादित करने के लिये विधान सभा तथा संसद् सदस्यों को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में हम सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करते आये हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है ।

Recovery of Arms and Ammunition of Pakistan make near Thumba Rocket Centre, Kerala

***140. Shri Hukam Chand Kachwai†**
Shri Narendra Singh

Will the Minister of Home Affairs (गृहमंत्री) be pleased to state :

(*a*) whether some arms and ammunitions manufactured in Ordnance Factory of Pakistan have been found near Thumba Rocket Centre ; and

(*b*) whether any investigation has been made and if so, the results thereof?

Minister in the Ministry of Home Affairs (गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (**Shri Ram Niwas Mirdha**) :

(*a*) Yes, Sir. 523 rounds of medium machine gun bearing foreign markings, including that of Pakistani Ordnance Factory, were reported to have been found in a sand quarry near VELI lake (Trivandrum) while a contractor was quarrying for sand.

(*b*) A case has been registered and necessary investigations are in progress.

Shri Hukam Chand Kachwai : Were some arrests made in this connection ? Has the Government taken action against the elements involved in this work, as hinted in the press also ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Kerala Government Police and the administration is taking necessary action in the matter. These bullets were found at night on 22nd and 23rd October, 1972. Thereafter the case was registered with the police and the local police is investigating the matter. Our central agencies are also investigating the places from where these bullets came, how these came and the persons involved in the matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Government evolve a policy under which the central Government could scrutinise the foreign made arms found in any part of India. It may seak the cooperation of the state Governments but the investigation work should the done by it and not by the state Government ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The subject of law and order comes under the jurisdiction of State Government under the Constitution. That is why it is the duty of the state Government to make investigations in such matters. We have been providing all type of assistance in the matter sought by the State Governments. Therefore suggestion of the hon-member regarding investigations by the Central Government is against to the provisions of the constitution.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है। आज के लिये रखे 20 प्रश्नों में से केवल 10 ही हो सके हैं क्योंकि जिन सदस्यों ने प्रश्न पछे थे उनमें से केवल 10 सदस्य ही उपस्थित थे।

The members make so much noise when the Minister is not present. I will have to think the line of actionn when the hon. member is not present .

Shri Hukam Chand Kachwai : Previously there used to be five names for one question out of whom one or two members used to be present but according to the new procedure only two members are kept for one question and these two members sometime are not present.

Mr. Speaker : I am thinking whether there should be one or more names

---

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चतुर्थ योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कमियां

*121. **डा० कर्णी सिंह : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से पता चला है कि अर्थ व्यवस्था के अनेक क्षत्रों में काफी कमियां रहेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) इन मामलों पर चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में विस्तार से विचार किया गया है। यह दस्तावेज़ सभापटल पर 22 दिसम्बर, 1971 को प्रस्तुत किया गया था। और इस पर लोक सभा में 5 और 6 अप्रैल 1972 और राज्य सभा में 12 और 13 अप्रैल, 1972 को वहस हुई थी।

पांचवी योजना के दौरान कागज की मांग

*124. **श्री मौल.न. इसहाक सम्बली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कागज तथा कागज से बनायी जाने वाली वस्तुओं की अनुमानित वार्षिक मांग क्या है ;

(ख) पांचवी योजना की अवधि में कागज तथा कागज से बनायी जाने वाली वस्तुओं की मांग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ग) पांचवी योजना की अवधि में कागज तथा कागज से बनी हुई वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कोई योजना बनायी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) और (ख) वर्तमान में कागज़ की अनुमानित मांग 8.5 लाख मीट्रिक टन है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके 13.3 लाख मी० टन तक पहुंच जाने की आशा है। जहां तक कागज उत्पादोंका संबंध है उनमें इतनी विभिन्नताएं हैं कि मांग का ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) विद्यमान एककों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के द्रुत कार्यक्रम (क्रैश परोग्राम) के अलावा जिससे 1,23,750 मी० टन वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़ने की आशा है सरकार ने नये उद्योग स्थापित करने तथा विद्यमान एककों में कुल 8,58,120 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने हेतु पर्याप्त विस्तार करने के एक प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक निगम की स्थापना भी की है अर्थात हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो कागज और लुगदी बनाने हेतु नये एकक स्थापित करेगा एककों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	क्षमता
1. नागालेण्ड पेपर एण्ड पल्प प्रोजेक्ट	30,000 मी० टन वार्षिक
2. नौगांग पेपर एण्ड पल्प प्रोजेक्ट	80,000 मी० टन पल्प तथा 50,000 मी० टन पेपर वार्षिक
3. कछार पेपर एण्ड पल्प प्रोजेक्ट	50,000 मी० टन वार्षिक (जिसके 80,000 मी० टन वार्षिक तक बढ़ने की संभावना है)

पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन

***127. श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नए रेडियो स्टेशन खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे रेडियो स्टेशनों की संख्या कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :
(क) तथा (ख) जी, हां। परन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रसारण संबंधी प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और योजना आयोग द्वारा मंजूर किया जाना है।

परमाणु ऊर्जा के 10 वर्षीय कार्यक्रम का पुनरीक्षण

***132. श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० साराभाई द्वारा तैयार किये गये परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी दस वर्षीय कार्यक्रम को पुनरीक्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किये गये और किन कारणों से ?

प्रधान मन्त्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार रूपरेखा में सन् 1980 तक 2700 मैगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह सन् 1984 तक प्राप्त किये जाने की सम्भावना है। रूपरेखा बनने के बाद उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं को ध्यान म रखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

लघु उद्योगों का उनकी आवश्यकताओं के लिये सर्वेक्षण

***133. श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड ने लघु उद्योगों का इस बात के लिये सर्वेक्षण निर्माण किया है कि उनकी कच्चे माल संबंधी आवश्यकताएं तथा रोजगार संबंधी क्षमता क्या है और उनको किस प्रकार मशीनें चाहियें , और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप देने से पूर्व सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाये गा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :
(क) लघु उद्योग बोर्ड ने 20 और 21 सितम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि, कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं और रोजगार क्षमता आदि की दृष्टि से सरकार लघु उद्योग एककों की गणना करेगी।

(ख) इस गणना कार्य को पूरा करने में एक वर्ष के समय का लक्ष्य रखा गया है।

Industrial Development in States

***134. Shri Hari Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Tech nology** be pleased to state the special steps taken to maintain balance in the industrial development in the States in future?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) A statement is laid on the Table of the House

"Statement"

Government has taken the following steps in pursuance of its objective of eliminating regional imbalances and ensuring even growth—

(A) Finance is being made available at concessional rates from Central Financial institutions for new industries started in the 225 districts declared as backward.

(B) Transport Subsidy Scheme, 1971 has been put into operation for providing 50% transport cost subsidy in respect of industries started or expanded in certain remote States/Union Territories.

(C) 10% Central outright grant or subsidy scheme 1971 has been put into operation for attracting industries to selected backward districts/areas.

(D) Rural industries projects programme is in operation in selected districts in all parts of the country. Preference is given to backward districts in starting of Rural Industries Projects.

(E) Other things being equal, preference is given in industrial licensing to applications which seek to locate industries in backward districts/areas.

(F) State Governments, particularly of the backward States, have been requested to arrange for industrial Potential Surveys and to develop the basic infrastructural facilities so that industries could be attracted to their areas.

(G) IDBI in collaboration with other financial institutions and other agencies have carried out industrial potential surveys of various backward States and Union Territories and submitted reports to the respective State Governments. They are also taking follow-up action through the Committee of Direction.

(H) In the location of Public Sector Undertakings consideration is given to claims of backward areas, subject to techno-economic feasibility.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटी, की क्षमता का उपयोग

*135. **श्री एस० ए० मुरुगनंतम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिग कंपनी लिमिटेड की 50 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उक्त संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये ?

औद्योगिक विकास तथा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री **(श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग) सहयोगी अर्थात् फ्रांस के मैसर्स बाउचेत द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस क० लि० की निर्धारित क्षमता उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् पांचवें वर्ष अर्थात् 1972–73 में प्राप्त होनी थी। उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधुनिक न होने के फलस्वरुप सहयोगी पूर्ण उत्पादन की तैयारी न कर सकें और हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स प्राक्कल्पित निर्धारित क्षमता तक न पहुंच सकी। कम्पनी ने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने, माल रद्द करने में कमी करने तथा विलेय क्षय को कम करने संबन्धी अनेक कदम उठाये हैं। जिनके फलस्वरुप वर्ष 1971–72 की अवधि में वे 54 प्रतिशत निर्धारित क्षमता का उपयोग कर सके हैं तथा वर्ष 1972–73 में क्षमता के 83 प्रतिशत तक उपयोग होने की संभावना है ।

स्वतंतव्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन का वार्षिक व्यय

***136. श्री डी० के० पण्डा :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है :

(ख) कुल कितनी पेंशन दिये जाने की संभावना है, पेंशनों की मासिक दर क्या होगी और पेंशनों की अवधि कितनी होगी; और

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों का स्पष्टत: कितनी श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) तक । 15 अगस्त, 1972 से प्रारम्भ योजना के अधीन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिये वार्षिक खर्च लगभग 14-15 करोड़ रुपये होने की संभावना है। किन्तु 1973–74 के दौरान इस खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती है क्योंकि कुछ बकाया राशियों का भुगतान किया जा सकता है। बाद के वर्षों में यह खर्च उत्तरोतर कम होता जायेगा।

2. 15 नवम्बर, 1972 तक 1,09,830 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रतिदिन और आवेदन-पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं। अत: यह बतलाना कठिन है कि कल कितने स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जायगी। इस समय यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्भवत: लगभग 80,000 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के पात्र होंगे। पेंशन की मासिक दर 100 से 200 रु० के बीच है। आपवादिक मामलों में 200 रुपये से अधिक मासिक पेंशन दी जाती है। योजना के अनुसार एक स्वतंत्रता सेनानी के लिये कम से कम पेंशन 200 रुपये मासिक है तथा यदि स्वतंत्रता सेनानी स्वयं जीवित न हो तो उसके परिवार के सदस्य के लिये यह राशि 100 रुपये है। प्रत्येक अविवाहित पुत्री

के लिये उसके विवाह तक 50 रुपये मासिक दिये जाते हैं किन्तु ऐसी राशि अधिक से अधिक 100 रुपये होगी। पेंशन की अवधि इस प्रकार है :

(1) स्वतंत्रता सेनानियों के लिये	जीवन काल
(2) स्वतंत्रता सेनानी की विधवा पत्नी	जीवनकाल अथवा पुनर्विवाह तक
(3) अविवाहित पुत्रियों	उनके विवाह तक ।

3. स्वतंत्रता सेनानियों के निम्नलिखित वर्ग पेंशन के पात्र हैं :–

(क) वे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कम से कम छ: महीने की अवधि के लिये भारत की जेलों में कारावास की सजा काटी हो तथा उनके परिवार यदि वे स्वयं जीवित नहीं हों ।

(ख) जिन शहीदों ने देश की स्वतंत्रता के लिये अपनी जान न्योछावर की उनके तथा आजाद हिन्द फौज के जिन कर्मचारियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की उनके परिवार ।

(ग) वे व्यक्ति जो भूमिगत रहे थे। परन्तु जिन्होंने जेल की सजा नहीं काटी थी यदि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराधी घोषित किए गये थे (2) जिनको गिरफतार करने के लिये इनाम रखा गया था परन्तु गिरफ्तार नहीं हुए थे अथवा (3) जिनके विरुद्ध नज़रबन्दी के नोटिस जारी किये गये थे किन्तु निष्पादित नहीं हुए थे।

(घ) वे व्यक्ति जिन्हें अपने घरों में नजरबन्द किया गया था अथवा अपने जिलों से निष्कासित किया गया था वशर्ते कि नजरबन्दी/ निष्कासन की अवधि 6 महीने अथवा उससे अधिक हो ।

(ङ) स्वतंत्रता संग्राम के वे सेनानी जिन्हें 15 अगस्त, 1947 के बाद भूतपूर्व देशी रियास्तों का भारतीय संघ में विलय करने के आन्दोलन में रियासत के भारतीय संघ में विलयन के दिन तक कम से कम 6 मास के कारावास का दण्ड मिला था।

(च) वे व्यक्ति जिनकी सम्पत्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण जब्त कर ली गई थी या कुर्क की गई थी या बेच दी गई थी।

(छ) वे व्यक्ति जो गोली या लाठी चलाये जाने के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो गये हों ।

(ज) वे व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण अपनी नौकरियों अथवा आजीविका का साधन खो बैठे हों। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें प्रतिरक्षा सेवाओं से बर्खास्त किया गया था ।

कलकत्ता स्थित साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स को सीधा परमाणु ऊर्जा विभाग का एकक बनाना

*138. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साहा इंस्टीट्यूट आफ न्युक्लियर फिजिक्स कलकत्ता को सीधा परमाणु ऊर्जा विभाग का एकक बनाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) कलकत्ता स्थित न्यूक्लीय भौतिकी का साहा संस्थान भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत काम करने वाला एक स्वायत्तशासी संगठन है, जो भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के मध्य हुए त्रिपक्षीय करार में की गई व्यवस्था के अनुसार काम करता है। इसका गठन वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं का प्रबन्ध सुचारुरूपेण करने के लिए स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। इसलिए भारत सरकार इस संस्थान को परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रत्यक्ष यूनिट बनाने का कोई कारण नहीं समझती है।

Private and Public Undertakings in M.P. with Foreign Collaboration

***139. Shri G.C. Dixit** :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the names of Private firms and Public Undertakings in the State of Madhya Pradesh which have been permitted to have collaboration with foreign firms ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : A list of cases belonging to the public and private sectors in which applicants from the State of Madhya Pradesh have been granted approvals of foreign collaboration after the inception of the Foreign Investment Board, from 1969 and upto 30th September, 1972 is attached.

"STATEMENT"

List of cases for Foreign Collaboration in respect of private firms and foreign firms approved by the Government from 1969 to 30th September 1972.

Serial No.	Name of the Indian Party	Name of the foreign Party	Item of manufacture
1.	2	3	4
1	M/s. Dreefs India, Indore (MP).	M/s Ernest Dreefs, GmbH. West Germany.	Thermo-static controls. Heat control Switches, HVS Relays and Switches.
2	M/s. T. E. Kachwalls & Co., Bhopal-23.	M/s. Techniques Verriers Belges, Brussels-17 (Belgium).	Glazing Glass.
3	M/s. Indore Steel & Iron Mills, Indore City (MP).	M/s. Tor-Istag Steel Corporation, Luxembourg.	Ribbed torsteel
4	M/s. Permali Wallace Ltd., Central India Flour Mills Estate Bhopal.	M/s. Permali Limited, U.K.	Glass fibre laminates and cast epoxies.

STATEMENT—contd.

List of cases for Foreign Collaboration in respect of Public Undertakings & Foreign firms approved by Government from 1969 to 30th September, 1972.

1	2	3	4
1	M/s. Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.	M/s. British Insulated Callender's Cables Ltd. United Kingdom.	High Voltage Capacitors.
2	Do.	M/s. English Electric, Associated Electrical Industries Ltd. United Kingdom.	235 MW Nuclear Turbine for Madras Atomic Power Project & 30/120 MW Turbine. Generators.
3	Do.	M/s. Machinenfabrik Reinhawsen, Regenshurg, West Germany.	On load Tap changers
4	Do.	M/s. International General Electric Co. of U.S.A.	Capacitors for Power Factor Development.

"शेरशाह सूरी" की स्मृति में डाक-टिकट

1201. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय ने "शैरशाह सूरी" के सम्मान में 20 पैसे का एक स्मृति डाक टिकट जारी किया है जिस पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में "शैरशाह सूरी-15वीं शताब्दी" शब्द अंकित है;

(ख) क्या उस डाक-टिकट पर अंकित कालावधि सही नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री **(श्री हेमवन्ती नर्दन बहुगुणा)** : (क) जी; हां।

(ख) शेरशाह सूरी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनके नाम से छपे डाक-टिकट में 15वीं शताब्दी ही लिखी है। अलबत्ता शैरशाह सूरी की मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अच्छा यह होता कि डाक-टिकट पर 15–16वीं शताब्दी लिखा जाता।

(ग) इस मामले को ध्यान में रख लिया गया है।

Financial Assistance from Foreign Countries to Religious Institutions in Madhya Pradesh

1202. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether there are some such religious institutions in Madhya Pradesh

which are permitted to seek financial assistance from abroad and if so, the locations thereof;

(*b*) the total amount of foreign assistance received by the religious institutions in Madhya Pradesh during 1970-71 and 1971-72 separately; and

(*c*) whether there is any Government body to ensure that the amount of assistance so received is actually utilised for the purpose for which it is meant?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) to (*c*) . Facts are being ascertained.

राज्यों द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए भेजी गई योजनाएं

1203. **श्री मार्तण्ड सिंह:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश से बेरोज़गारी दूर करने के लिए राज्यों से योजनाएं भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अपनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों ने, राज्यवार कितना धन मंजूर किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी, हां। विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के अंतर्गत ये स्कीमें मंगाई गई थी।

(ख) सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र ।

(ग) वर्ष 1972-73 के दौरान राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत है।

'विवरण'

विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 1972–73 के दौरान केन्द्रीय सहायता का आवंटन दर्शाते हुए विवरण

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये विशष रोजगार कार्यक्रम (1972–73 में आरम्भ की गई)
1	2	3
	क. राज्य	
1	आन्ध्र प्रदेश	213.00
2	असम	72.00

'विवरण--जारी

1	2	3
3	बिहार	*275.00
4	गुजरात	*131.00
5	हरियाणा	49.00
6	हिमाचल प्रदेश	17.00
7	जम्मू तथा काश्मीर	23.00
8	केरल	*104.00
9	मध्य प्रदेश	*204.00
10	महाराष्ट्र	†247.000
11	मनिपुर	5.00
12	मेघालय	5.00
13	मैसूर	143.00
14	नागालैण्ड	3.00
15	उड़ीसा	108.00
16	पंजाब	*66.00
17	राजस्थान	126.00
18	तमिलनाडु	*201.00
19	त्रिपुरा	8.00
20	उत्तर प्रदेश	†432.00
21	पश्चिम बंगाल	218.00
	जोड़ .	2,650.00
ख.	**संघ शासित क्षेत्र**	
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.91
2	अरुणाचल प्रदेश	3.33
3	चण्डीगढ़	1.97
4	दादर और नगर हवेली	0:53
5	दिल्ली	30.55
6	गोआ, दमन और दीव	6.50
7	लकादीव, मिनिकाय अमीनदीवी द्वीपसमूह	0.23
8	मिजोरम	2.42
9	पाण्डिचेरी	3.56
	जोड़ .	50.00
	कुल जोड़ (क और ख) .	2,700.00

*राज्य द्वारा किया गया समान अंशदान ।

†राज्य योजना में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रत्याशियों को सेवा संबंधी मामलों में विशेष रियायते देना

1205. **श्री एस० एम० सिद्धया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा के मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को क्या विशेष रियायतें दी जाती हैं ;

(ख) इन्हें कहां तक लागू किया गया है;

(ग) क्या इन्हें इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ।

संचार मंत्री (श्री हेमवन्ती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) संचार मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये सामान्य आदेशों के अधीन मिलने वाली रियायतों के अलावा कोई और रियायत नहीं दी है । इन आदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Demand and Production of H.M.T. Watches

1206. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the total number of watches being manufactured annually by H.M.T. at present;

(*b*) whether the demand for the watches manufactured by H.M.T. is increasing in the country rapidly; and

(*c*) the estimated annual demand of watches in the country at present and the steps being taken in future to meet this demand?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The existing HMT Watch Factory in Bangalore is producing 3,60,000 number of wrist watches both ladies' and gents' type, utilising the full capaicty of the plant.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) The demand for the wrist watches is estimated to be of the orders of 45,00,000 numbers per year by 1973-74. The actual production during the year 1971, while taking into account that of HMT, Bangalore and M/s. Indo-French Time Industries Ltd., Bombay, was of the order of 4,76,894 numbers. In order to meet the growing demand of the country, HMT has taken steps to produce 3,00,000 number of ordinary type and 2,00,000 number of automatic day-date wrist watches at their new units at Srinagar and Bangalore. The Government have also approved proposals from various firms to set up capacity for the production of 11,40,000 numbers of watches. These schemes are under implementation. In addition, proposals for a total capacity of about 35·00 lakhs numbers of watches are under the consideration of the Government.

M/S14LSS—4(a)

डाक तथा तार महानिदेशालयों में डिवीजनल इंजीनियरों और निदेशकों के चयन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

1207. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार महानिदेशालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु डिवीजनल इंजीनियरों और निदेशकों के चयन के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1971–72 और 1972–73 (31 अक्तूबर तक) में सर्किलवार, तथा टैली फोन जिलावार, सहायक मुख्य इंजीनियर/सहायक उप महानिदेशक/उप मुख्य इंजीनियर तथा अन्य ऐसे पदों पर कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई ;

(ग) क्या टैलीफोन जिला, दिल्ली में काम करने वाले अधिकारियों को डाक व तार निदेशालय के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जाती है और क्या उनको डाक तथा तार महानिदेशालय में स्थानान्तरण पर जनरल पूल में दिल्ली में बिना बारी के क्वार्टर दे दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के अधिकारियों को प्राथमिकता दिये जाने के क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको डाक तथा तार महानिदेशालय को स्थानान्तरण के बाद तीन महीने से अधिक अवधि तक दिल्ली टैलीफोन जिला पूल में क्वार्टर/फ्लैट रखने की अनुमति दी गई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । डाक-तार महानिदेशालय में अधिकारियों की तैनाती करने में पद की अपेक्षाओं, अधिकारी का अनुभव, सीनियरिटी, विशेष योग्यता और उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) . 971–72

	सहायक महानि-निदेशक/सहायक मुख्य इंजीनियर	उप-मुख्य इंजीनियर
1	2	3
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार, नई दिल्ली	1	—
पंजाब सर्किल	1	—
बम्बई टैलीफोन जिला	2	—
कलकत्ता टैलीफोन जिला	2	—
दिल्ली टैलीफोन जिला	5	—
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार बम्बई	1	1
तकनीकी और विकास सर्किल	1	—
महाप्रबन्धक टेलीफोन, कलकत्ता	3	—
उत्तर प्रदेश सर्किल	2	—
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार, कलकत्ता	1	—

1	2	3
गुजरात सर्किल	1	—
एच० ई० सी० रांची	1	—
कानपुर टैलीफोन जिला	—	1
केरल सर्किल	—	1
महाराष्ट्र सर्किल	—	1
मद्रास टैलीफोन जिला	—	1
1972-73 (31-10-1972 तक)		
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार, नई दिल्ली	5	—
पंजाब सर्किल	1	—
बम्बई टेलीफोन जिला	2	1
कलकत्ता टेलीफोन जिला	1	1
दिल्ली टेलीफोन जिला	3	1
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार, बम्बई	1	—
असम सर्किल	1	—
दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर	2	–
तकनीकी और विकास सर्किल	3	1
क्षेत्रीय निदेशक, दूर संचार कलकत्ता	1	–
उत्तर प्रदेश सर्किल	—	1
मध्य प्रदेश सर्किल	1	—
आन्ध्र सर्किल	1	—

(ग) और (घ) जी, हां। सम्पदा महानिदेशालय में प्रचलित पद्धति के अनुसार अन्य पूलों के उन अलाटियों को जिनका तबादला उन कार्यालयों में हो जाता है जिनमें वे सामान्य पूल में क्वार्टर पाने के हकदार हो जाते हैं, निर्धारित श्रेणी के क्वाटर से एक श्रेणी नीचे का क्वार्टर प्राथमिकता के आधार पर तदर्थ तौर पर दे दिया जाता है ताकि उनकी परेशानियां कुछ कम हो जायं। तीन अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें सामान्य पूल में क्वार्टर का अलाटमेंट न होने तक दिल्ली टेलीफोन जिला पूल में मिला क्वार्टर रखने की अनुमति दे दी गई थी।

तार तथा टेलिफोन विभाग के डिवीजनल इंजीनियर के एक स्थान पर ठहरने की अवधि

1208. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार तथा टेलीफोन विभाग के डिवीजनल इंजीनियर के एक स्थान पर ठहरने की अवधि निर्धारित है यदि हां, तो कितनी ;

(ख) दिल्ली क्षेत्र में या डाक-तार महानिदेशालय में या दोनों में दिल्ली में कितने अधिकारी 6 वर्ष से अधिक समय से हैं ; और

(ग) दिल्ली में ठहरने की उनकी इतनी लम्बी अवधि के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। डाक-तार विभाग में अधिकारी की सामान्य कार्यावधि एक पद पर 4 वर्ष और एक स्थान पर छह वर्ष रखी गई है।

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिला	2
डाक तार महानिदेशालय	8
दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, डाक-तार महानिदेशालय, नई दिल्ली	12

(ग) आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले बारी के क्रम से नहीं किए गए। तथापि अभी हाल ही में किए गए फैसले के अनुसार इस वर्ष उन सभी अधिकारियों का तबादला उन स्थानों से दूसरे स्थानों पर कर दिया जाएगा। जिन्हें यहां रहते आठ साल या इससे अधिक अर्सा हो चुका है। अगले वर्ष उन अधिकारियों का तबादला कर दिया जाएगा। जिन्हें किसी एक ही स्थान पर काम करते सात साल या इससे अधिक समय हो चुका हो। उसके बाद एक स्थान पर छह साल होने पर अधिकारियों के तबादले का नियम लागू कर दिया जायगा।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए चयन-सूची

1209. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या प्रधान मंत्री** संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा सेलैक्शन ग्रेड अधिकारियों की चयन सूची के प्रधान मंत्री सचिवायलय को दिए जाने के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की चयन सूची का अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सूची को कब तक अंतिम रूप देकर घोषित कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नैशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा भारत को अपने दस्तावेज सप्लाई करने में भेदभाव किया जाना

1210. **श्री विश्वनाथ झनझन वाला :**

श्री बेकारिया

क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एरोनाटिकस एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रकाशित साहित्य की सप्लाई के मामले में भारत तथा पाकिस्तान के बीच भेदभाव बरत रहा है ;

(ख) क्या उपरोक्त भेदभाव उक्त सामग्री की मांग के अधिक बढ़ जाने के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्श मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री प्रधान मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाएं रखना अधिनियम के अधीन अभी भी बन्दी व्यक्तियों की संख्या

1211. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन कुल कितने व्यक्ति अभी भी बन्दी ह;

(ख) उच्चतम न्यायालय के अभिमत की दृष्टि से क्या सरकार स्वतः ही आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों की जाँच करेगी और यह पता लगाएगी कि कितने मामलों में वैधानिक एवं संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई हैं ; और

(ग) मामलों पर पुनर्विचार किये जाने के बाद गत एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को मुक्त किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार-संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1–1·1–1972 को आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 के अन्तर्गत 4032 व्यक्ति नज़रबन्द थे । जम्मू व कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सूचना अभी आनी है ।

(ख) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी सक्षम अधिकारियों को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि कानून तथा संविधान की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी की गई हैं । यह न्यायालयों को निर्णय करना है कि क्या किसी व्यक्तिगत मामले में ऐसी आवश्यकताएं पूरी करने में कोई असफलता हुई है । अतः सरकार द्वारा नय सिरे से पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है ।

(ग) असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्यों से सम्बन्धित सूचना अभी आनी है । शेष राज्य सरकारों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उपलब्ध वर्तमान सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 1971 से 31 अक्टूबर 1972 की तारीख की अवधि में सम्बन्धित सरकारों/सलाहकार बोर्डों द्वारा पुनर्विचार करने पर तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों पर कुल 1830 व्यक्ति मुक्त किये गये थे ।

देश में संकटकालीन स्थिति को समाप्त करना

1212. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संकटकालीन स्थिति को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे क्या कारण हैं जो सरकार को आपात-अधिकार बनाये रखने को वाध्य कर रहे हैं जबकि वे अधिकार उसे देश के सामान्य कानूनों के अनुसार भी उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) समुचित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसका पुनरावलोकन लगातार किया जा रहा है, सरकार का मत है कि संकटकालीन स्थिति की उद्घोषणा को समाप्त करने का समय अभी नहीं आया है ।

सोवियत आयोजकों की भारत यात्रा

1213. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सोवियत योजना संगठन के सदस्य हाल ही में भारत आए थे ;

(ख) क्या उनका यह दल भारत सरकार के अनुरोध पर देश में आया था ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें किस प्रयोजन से आमंत्रित किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सितम्बर, 1972 में योजना मंत्री ने अपने मास्को दौरे के दौरान जो विचार विमर्श किया था उसका अनुसरण करते हुए, सोवियत विशेषज्ञों जो कि सोवियत आयोजन संगठनों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे, के तीन दल हाल में भारत आये । इनके आने का उद्देश्य यह था कि (1) लोहीय और अलोहीय उद्योग तथा (2) दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने वाले औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में और कितना सहयोग किया जा सकता है इसकी सम्भावनाओं का पता लगाया जाय ।

कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक संबर्द्धधन के लिये पांचवीं योजना के दौरान विशेष योजनायें

1214. **श्री एस० एम० सिद्धय्या :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के संवर्द्धन के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित विशेष योजनायें कौन-कौन सी हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिये योजना में उक्त प्रत्येक योजना के लिये प्रस्तावित राशि कितनी-कितनी है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है । दृष्टिकोण दस्तावेज को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला है । जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन की स्कीमों का ब्यौरा योजना तैयार करते समय तैयार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर जिले को सहायता

1215. **श्री एस० एम० सिद्धय्या :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर जिले के लिए, जिसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, पिछड़ापन दूर करने हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : स्थापित किए गए उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने हेतु चुने गए 225 जिलों में मैसूर जिला भी सम्मिलित है। हाल ही में इस जिले में स्थापित किए गए उद्योगों के अचल पूंजी विनियोजन पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय राज्य सहायता देने के लिए इस जिले को भी चुना गया है। इस योजना में केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार या जिला-वार आवन्टन नहीं है। यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1970–71 से 1972–73 (सितम्बर) की अवधि में मैसूर जिले के 7 एककों को 14·07 लाख रु० के कुल मूल्य की पुनर्वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

केरल में सीधे टैलीफोन करने की व्यवस्था

1216. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और दिल्ली के बीच तथा केरल में विभिन्न जिलों में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। लेकिन केरल में सीधे डायल करने की सुविधा प्रश्न (ख) के उत्तर में बताए गए स्थानों के बीच ही दी जाएगी।

(ख) एक अल्पकालिक प्रस्ताव है कि 1973–74 तक उत्तरोत्तर अलेप्पी-कोट्टायम, एर्नाकुलम-कोट्टायम, एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम, कोट्टायम-त्रिवेन्द्रम और क्वीलोन–त्रिवेन्द्रम के बीच प्वांइट-टु-प्वाइंट डायलिंग सुविधा दे दी जाय। उपर्युक्त सभी स्थानों में आपस में, और त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच सीधे ट्रंक डायल करने की सुविधा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू करने की संभावना है। पांचवीं योजना का मसौदा तैयार हो रहा है। सीधे डायल करने की सुविधा की व्यवस्था करना योजना के विभिन्न चरणों पर निर्भर करेगा।

(ग) ऊपर दिए गए उत्तर के आधार पर, प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीकट आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

1217. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट स्थित आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) आकाशवाणी का कालीकट केन्द्र पहले ही पूर्ण रूपेण केन्द्र है जिसमें चैनलों पर मूल कार्य-क्रम प्रसारित करने संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहरहाल, चालू योजना के दौरान वहां स्थायी स्टूडियो निर्मित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इस समय स्टूडियो किराए के एक मकान से कार्य कर रहे हैं।

दक्षिण भारत में टेलीविज़न केन्द्र

1218. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में कहीं पर टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां, और यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। एक टेलीविजन केन्द्र मद्रास में स्थापित किया जा रहा है जिसके 1974 में चालू हो जाने की संभावना है।

राज्यों में कृषि आय की वृद्धि दर

1219. **श्री रामदेव सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ कारखानों ने गत दर्शक (1960-71) के दौरान कृषि आय में अपने योगदाग के अंश में वृद्धि की है ;

(ख) क्या शेष आठ राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तथा मध्य प्रदेश तथा अन्य) ने उत्पादन में वृद्धि के वावजूद अंशदान में कमी की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान के अनुसार कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त योगदान तथा अन्य राज्यों द्वारा अपने योगदान में कमी किये जाने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कृषि आय की वृद्धि में सभी राज्यों का योगदान समान नहीं रहा हैं, और

(घ) क्या अध्ययन द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि उन राज्यों में कृषि आय में वृद्धि की दर अधिक है जिनमें ग्रामीण जन संख्या की प्रतिशतता क्या है, और यदि हां, तो इससे क्या निषकर्ष निकलते हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्टानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ), 1960-61 से 1970-71 तक की अविधि के संबंध में कृषि आय के राज्यवार योगदान में कोई भी सरकारी अनुमान एक रूप आधार पर उपलब्ध नहीं है इसलिए, आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा, जो कि एक प्राइवेट अनुसंधान संगठन है, उसकी रिपोर्ट पर किए गए अध्ययन से उत्पन्न होने वाले निष्कर्षों की संपुष्टि का खंडन करना संभव नहीं है। तथापि, 1960-71 और 1970-71 के वर्षों के लिए प्रचलित भागों के आधार पर विभिन्न राज्यों की कृषि-आय संबंधी नवीनतम उपलब्ध जानकारी, जैसी कि संबद्ध राज्य सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा तैयार की गई है, सलग्न विवरण में दी गई है (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3756/72) विभिन्न संकल्पनाओं परिभाषाओं प्रयुक्त स्रोत-सामग्री एवं रीतिविधान साथ ही आधार वर्षों में विभिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों के लिये ये अनुमान सर्वथा तुलना करने के लिये अनुरूप नहीं हैं।

छात्रों में असन्तोष

1220. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों में व्याप्त असन्तोष ने अनेक राज्यों में हिंसा का रूप धारण कर लिया है और अब वर्ष 1962 तथा 1967 जैसी ही स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या कतिपय विदेशी तत्वों ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब करने के लिये देश में गड़बड़ पैदा करना आरम्भ कर दिया है और

(ग) इस हिंसा को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से छात्रों के आन्दोलन की रिपोर्ट मिली है। ये मुख्यतः हड़ताल, भूख हड़ताल, घिराव इत्यादि के रूप में हुए हैं। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार की हिंसा में भी अन्तर्ग्रस्त हैं। इन घटनाओं में विदेशी तत्वों के अन्तर्ग्रस्त होने की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

चालू शिक्षा सत्र में हुई घटनाओं के विश्लेषण के अनुसार यह पाया गया था कि उनका सम्बन्ध और अच्छी शिक्षा सुविधाओं की मांग जैसे पर्याप्त योग्यता प्राप्त शिक्षक तैनात करना विशिष्ट पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश सरकार द्वारा प्रबन्ध अकुशल संस्थाओं को अपने हाथ में लेना परिवहन की अच्छी सुविधा इत्यादि करना तथा अन्य मामलों में जैसे असफल छात्रों के दावे, विद्यालय छात्र यूनियन के चुनाव पदच्युत स्टाफ इत्यादि के विरुद्ध विरोध करना तथा साथ ही घरेलू आर्थिक समस्याओं से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के मामलों से था।

इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 43 के दिनांक 15-11-1972 को दिए गए उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड द्वारा गैसों का वितरण

1221. श्री रोबिन सेन : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सिजन लिमिटेड का भारत में आक्सिजन, एसेटलीन, आर्गन तथा अन्य औद्योगिक गैसों के उत्पादन क्षेत्र में सर्वत्र प्रभुत्व है ;

(ख) क्या सरकार को उक्त फर्म द्वारा औद्योगिक गैसों की सप्लाई तथा विवरण के मामले में किसी प्रकार की निर्बन्धतात्मक प्रक्रियाएं अपनाये जाने की जानकारी मिली है ; और

(ग) क्या इण्डियन आक्सिजन सम्बन्धी मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रिया आयोग को सौंपा गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-पमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पंजीयक प्रतिबन्धात्मक, व्यापार ने बताया है कि इंडियन आक्सिजन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किये गये करार में कुछ प्रतिबन्धात्मक शर्तों के बारे में एकाधिकार तथा

प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में प्राप्त एक मात्र शिकायत पर उन्होंने मामले की छानबीन की थी, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फर्म द्वारा ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक कार्य नहीं किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी कानून का अधिनियमन

1222. **श्री सत्य चरण बेसरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी एक नये कानून के अधिनियम की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस संबंध में विधि आयोग के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मण्डल महासंघ द्वारा प्रस्तुत योजना-नीतियों सम्बन्धी दस्तावेज

1223. **श्री के० बालदंडायुतम :**

श्री श्रीकिशन मोदी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ ने हाल ही में योजना नीतियों संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दस्तावेज की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां । इस दस्तावेज की मुख्य बातें संलग्न टिप्पणी में बताई गई हैं (गृन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-3757/72

(ग) फैडरेशन द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में उठाई गई बातों पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है ।

उपग्रह छोड़ने का स्थान थुम्बा से अन्यत्र ले जाया जाना

1224. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह छोड़ने के अनुभाग को थुम्बा राकेट लान्चिग सैक्शन से किसी अन्य राज्य को ले जाने का कोई निर्णय सरकार ने लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ? -

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

वर्ष 1972–73 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं

1225. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों ने वर्ष 1972–73 के दौरान इंजीनियरों सहित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य बातें "रोजगार अवसर" नामक पुस्तिका में दी गई हैं । इस पुस्तिका की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं तथा संसद सदस्यों में भी प्रचारित की जा चुकी हैं ।

कार्मिक सुधारों सम्बन्धी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन

1226. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कार्मिक सुधारों संबंधी सचिवों की समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कार्मिक सुधारों संबंधी सचिवों की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है । तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों, जिसमें महत्वपूर्ण सिफारिशें समाविष्ट होती हैं या जिनका संबंध सरकार के अनेकों विभाग से होता है, पर सामान्यत: संबंधित विभागों के सचिवों की तदर्थ समितियों के आधार पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के पूर्व जांच की जाती है । अब ऐसी एक समिति प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्मिक प्रशासन संबंधी रिपोर्ट की जांच कर रही है । इस समिति की कार्यवाहियों को लोक हित में प्रगट करना यथोचित न होगा क्योंकि इनका संबंध सरकार के पास केवल आन्तरिक विचार के लिये होता है) कार्मिक प्रशासन से संबंधित शिफारिशों के बारे में अन्तोगत्वा लिये गये निर्णयों को शीघ्र ही सदन के पटल पर रखा जायेगा ।

Communal Riots in Gujarat and Mysore

1227. Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether communal riots broke out at certain places in Gujarat and Mysore during the months of September-October, 1972;

(*b*) the causes of riots at the said places; and

(*c*) the damage caused in both the said riots separately; and the action taken by the State Governments separately?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) According to information received from the State Governments, disturbances occurred during this period, at Palanpur (Gujarat) and Bangalore (Mysore). The disturbances took place following stone throwing on Dussehra processions.

(*c*) Damage to property as a result of the disturbances at Palanpur is estimated at Rs. 3,51,275. The State Government have given suitable monetary assistance to the traders, artisans and some other persons affected by the disturbances.

Some damage to property has also been reported in connection with the disturbances at Bangalore. Details in this regard are being ascertained from the Government of Mysore.

Investment in Small Scale and Medium Industries in the backward areas of Bihar

1228. Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the total amount of capital invested so far in the small scale and medium size industries set up in the backward areas of Bihar from 1969 to September, 1972; and

(*b*) Whether any financial assistance has been provided for these industries and if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) & (b) Data of actual investment in small and medium industries in backward areas of Bihar are not available. However, on the basis of the State Government's sanction of 10% subsidy to 25 Small Scale Units in Darbhanga and Bhagalpur districts, it may be stated that new investment totalling Rs. 2·76 lakhs has been created in these industries during this period. Regarding financial assistance during this period, the IDBI has sanctioned re-finance assistance to 14 small/medium units as under—

District	1970-71		1971-72		1972-73 (till Sept.)	
	No. of Units	Rs. lakhs sanctioned.	No. of units	Rs. lakhs sanctioned	No. of Units	Rs. lakhs sanctioned
Bhagalpur ..	..	..	2	4·90	..	..
Champaran ..	..	..	2	10·86	2	3·50
Darbhanga ..	..	..	1	1·45	1	1·50
Palamau ..	..	..	1	2·56	..	..
Purnea ..	..	..	1	2·00	2	11·90
Santhal Parganas ..	..	..	2	1·40	..	..

The 10% Central Subsidy sanctioned (but not disbursed yet) is Rs. 27,569.

विदेशी जासूसी एजेंसियों की देश में गतिविधियां

1229. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी जासूसी ऐजेंशियों ने हाल ही में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है और वे देश के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे ऐजेंसियां किन किन देशों से संबद्ध हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामलें में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनमें से प्रत्येक पर क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी गतिविधियां पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों के बढ़ावे के लिये सहायक नहीं हैं। किन्तु ऐसी सूचना जो सरकार को उपलब्ध है, अथवा विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों का प्रतिरोध करने के लिये क्या किया जाता है प्रगट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक आदि के सम्बन्ध में समाचार प्रसारित करने के लिये अलाट किया गया समय

1230 श्री सरोज मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी के कलकत्ता और दिल्ली केन्द्र से अंग्रेजी तथा बंगाली में प्रशारित समाचारों में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठकों, अखिल भारित कांग्रेस समिति की बैठक, सी० पी० आई० (एम) की पौलित ब्यूरो की बैठक, भारतीय साम्यवाद दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों, सत्तारूढ़ कांग्रेस की पश्चिमी बंगाल, राज्य समिति सी० पी० आई० (एम) सी० पी० आई० कांग्रेस (विपक्ष) की बैठकों संबंधी समाचारों के लिये सितम्बर, और अक्टबर, 1972 में कितना समय दिया गया था।

(ख) कांग्रेस तथा सी० पी० आई० (एम), जनसंघ, कांग्रेस (विपक्ष), जैसे विपक्षी दलों की रिपोर्टों को संक्षिप्त रूप देने में समाचार लेखक किस कसौटी का अनुसरण करते हैं जबकि इन सभी दलों से संबंधित कुछ समाचार आकाशवाणी केन्द्रों को उन्हीं के सम्वाददाताओं के द्वारा दिए जाते हैं अथवा समाचार ऐजेंसियों से एकत्र किये जाते हैं ; और

(ग) क्या यदि कोई दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना के समाचार भेजता है तो उसे प्रशारित किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मांगी गई सूचना नीचे दी गई है यह केवल दो महीनों से सम्बन्ध रखती है और अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न दलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई बैठकों की संख्या भी दर्शाती है। विभिन्न राजनैतिक दलों की गतिविधियों को समाचार बुलेटिनों में जो समय दिया है वह चर्चित विषयों के महत्व, राष्ट्रीय जीवन पर

उनका प्रभाव, उस दिन समाचारों की संख्या तथा इन बैठकों को कबर करने के लिये उपलब्ध सुविधावों पर निर्भर करता है

कांग्रेस	2 घंटे 15 मिनट
कांग्रेस (संगठन)	28 मिनट
भारतीय सामायवादी दल	13. 5 मिनट
भारतीय साम्यवादी दल (मारकिस्ट)	4 मिनट

(ख) तथा (ग) बुलेटिनों में समाचारों को केवल उनके समाचारिक मूल्य के आधार पर शामिल किया जाता है। यह कसौटी सभी राजनैतिक दलों पर समान रूप से लागू की जाती है चाहे समाचार सत्तारुढ़ दल समेत किसी भी दल के बारे में आलोचनात्मक हो या अन्यथा।

आकाशवाणी के कलकत्ता और दिल्ली केन्द्रों से बंगाली में प्रसारित समाचारों का उच्चारण

1231. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि दिनांक 17 सितम्बर, 1972 के बंगाली दैनिक "युगान्तर" में एक सुप्रसिद्ध साहित्य आलोचक ने कलकत्ता केन्द्र से और कभी कभी दिल्ली केन्द्र से बंगाली भाषा में प्रसारित होने वाले समाचारों में उच्चारण के ढंग और उनमे प्रयुक्त शब्दावली की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (धर्मवीर सिंह): (क) : जी, हां।

(ख) टिप्पणियों की जांच की गई तथा जहां आवश्यक हुआ शोधक कार्यवाही की गई।

आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता के निदेशक के निवासस्थान पर छापा

1232. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पुलिस नें हाल ही में 'आनन्द बाजार' प्रत्रिका प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता के निदेशक के कलकत्ता स्थित निवास-स्थान पर छापा मारा था ;

(ख) क्या पुलिस ने उपरोक्त छापे में कुछ ऐसे कागजात पकड़े हैं जिन से पता चलता है कि वह निदेशक उन अमरीकी समाचार एजेंसियों से सम्बद्ध है जो विधिवत भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार करती है ; और

(ग) क्या उस निदेशक को पुलिस ने गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमरीकी समाचार-पत्रों को भारत विरोधी समाचार भेजने के आरोप में हिरासत में ले लिया था; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तक मई, 1972 में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार न तो श्री अभीक सरकार के घर और न ही कार्यालय की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई थी। आगे किसी घटना का पता यदि कोई हुई हो, राज्य सरकार से लगाया जा रहा है।

मैसूर राज्य में जमाखोरों की गिरफ्तारी

1233. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत चार मास में भारत रक्षा अधिनियम के अधीन मैसूर राज्य में कितने व्यापारियों (डीलरों) और जमाखोरों को गिरफ्तार गिया गया और उनसे कितना माल जब्त किया गया; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : मैसूर सरकार से सूचना मांगी गई है, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Arrest of Traders in Delhi for Blackmarketing of Commodities

1234. Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(*a*) the number of traders arrested in Delhi for selling commodities in black market during the last one year; and

(*b*) the action taken against each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) & (b) Information has been called for from the Delhi Administration and will, on receipt, be laid on the Table of the House.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को होल्डिंग कम्पनी में बदलना

1255. **श्री पप्पन गोहा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को होल्डिग कम्पनी में बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि एक शीर्षस्थ अधिकारी कम्पनी होगी जिसकी निम्नलिखित सलग्न सहायक कंपनियां होंगी :—

1. एच० एम० टी०, बंगलौर
2. एच० एम० टी०, पिंजौर
3. एच० एम० टी०, कलयशोरी
4. एच० एम० टी०, हैदराबाद
5. एच० एम० टी०, बाच
6. एच० एम० टी०, अजमेर) अभी तक इसका नाम मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० अजमेर है)
7. एच० एम० टी०, इंटरनैशनल ।

Schemes for Educated Unemployed

1236. Shri Onkar Lal Berwa :

Smt. Bhargavi Thankappan :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) the number of educated unemployed persons in India and whether a special scheme has been formulated for providing employment to them; and

(*b*) if so, the main features thereof and the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :
(*a*) and (*b*) According to the Live REGISTERS of Eemployment Exchanges the number of educated (Matriculates and above) job seekers as on 30th June, 1972 was 26,11,827. A programme for providing employment opportunities for educated unemployed was initiated in 1971-72.

The schemes formulated by the Central Ministries and approved by the Planning Commission during 1971-72 and 1972-73 are as follows:

(Rs. crores)

Serial No.	Scheme	1971-72		1972-73
		Amount allowed	Amount released	Amount allocated
	Ministry of Education			
1	Expansion and improvment in the quality of elementary education .	4·42	2·80	30·00
	Ministry of Industrial Development			
2	Financial assistance to small entrepreneures and creation of industrial Estates . . .	6·50	6·39	6·50
	Ministry of Irrigation and Power			
3	Rural Engineering Surveys . .	0·33	0·13	2·85
	Ministry of Agriculture (Department of Agriculture)			
4	Agro Service Centres Department of Cooperation	0·15	0·14	0·76
5	Expansion of Consumer Cooperatives	0·15	0·16	0·50
	Ministry of Shipping and Transport			
6	Investigation of Road Projects .	0·30	0·19	0·90
	Ministry of Health and Family Planning			
7	Setting up of design units for rural water supply	0·22	..	0·44
	Total .	12·07	9·81	41·95

The main features of these schemes have been described in the brochure 'Employment opportunities' copies of which are available in the Library of the Parliament.

A provision of Rs. 20 crores for 1972-73 is proposed to be utilised for schemes which would include the stepping up of Research and Development Projects for technological upgradation of existing planning and implementation machinery, industrial resources survey—exploration and assessment, agricultural soil surveys, manufacturing, erection, operation and maintenance of future plants envisaged in the Fourth and Fifth Five Year Plans and creation of new employment-oriented projects like entrepreneurship development, rural engineering surveys, technology evaluation centres, industrial promotion facilities and re-training programmes. The intension is that through these schemes, which are in varying degrees of formulation at present, and similar schemes already under implementation, the unemployment problem among qualified scientists, technologists and engineers would be solved to a considerable extent by the end of Fourth Plan period.

With a view to meet the problem of unemployed educated persons, due emphasis will be laid in the Annual Plan for the terminal year of the Fourth Plan and also while formulating the Fifth Five Year Plan.

Pension to Retired I.C.S. Officers

1237. Shri M.C. Daga :

Will the **Prime Minister** be pleased to state the total number of retired I.C.S. Officers being paid pensions by Government at present together with the amount of pension paid to them?

Minister of state in the Ministery of Home Affairs and in the Department of personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात

1238. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, देश-वार विदेशों को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के किनकिन उत्पादों का निर्यात किया गया तथा कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) चालू वर्ष में तथा आगामी वर्ष में निर्यात के लिए किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये हैवी मशीन टूल्स के उत्पादों के नाम तथा देशवार अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण (क) तथा (ख) में दर्शाया गया है जो संलग्न है। (मंत्रालय में रखा गया देखिए संख्या एल०–टी०–375872)

(ख) इस वर्ष निर्यात के लिये कंपनी ने दो फर्मों से हुए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आगामी वर्ष के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जांच-आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर व्यय

1239. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जांच-आयोग के प्रतिष्ठान तथा कर्मचारियों के वेतन संबंधी कुल कितना खर्चा आता है ; और

(ख) आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन पेश करने में विलम्ब के क्या करण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) 30-9-1972 को बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग के प्रतिष्ठान और कर्मचारियों का वेतन संबंधी कुल व्यय 24,48,786 रुपये है। आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिसके मुख्यकारण निम्नलिखित हैं।

1. आयोग के विचारार्थ विषय काफी विशद और विभिन्न प्रकार के हैं ; और

2. आयोग को दिए गए जांच के बहुसख्यक मामलों के बारे में इसे तथ्यों की स्वयं जांच करनी है और साक्ष्य इकट्ठा करना है।

Prices of Essential Commodities

1240. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(*a*) the prices of essential commodities in January, 1972;

(*b*) the position in regard to the prices every month since January, 1972 till date; and

(*c*) the action taken in the matter and the results achieved so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) whole-sale price indices of certain selected essential commodities during the months from January, 1972 to October, 1972 are given in the statement attached [Placed in Libarary. See No. LT-3759/72).

The Government are taking necessary steps to maintain price stability, some of which are as follows:

(*i*) increase in production, agricultural and industrial, to meet the demand

(*ii*) fixation of prices, statutorily or informally;

(*iii*) organisation of public distributive system for essential commodities like foodgrains and milk;

(*iv*) fair distribution of essential commodities through regulatory controls under the Essential Commodities Act, 1955; and

(*v*) availability of essential commodities through cooperative channels.

इन्जीनियरों को रोज़गार देनेहेतु बनाई गई योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

1241. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत 1 मार्च, तक सभी बेरोजगार इन्जीनियरों स्नातकों को रोजगार देने के लिये राज्यों को योजनाएं बनाने को कहा था और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सहायता देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने कोई ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की हैं और प्रस्तुत योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन योजनाओं के लिये राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता देनेका विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों से बेरोजगार इन्जीनियरों के बारे में अगले वित्त वर्ष के लिये सविवरण प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 1972 तक मांगे गये थे;

(ख) राज्य सरकारों को ये कार्मक्रम अभी केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने हैं ।

(ग) प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर ही राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्णय होगा ।

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः नियोजन संबंधी योजनायें

1242. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः नियोजन सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से चालू वर्ष में 1.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । औद्योगिक विकास मन्त्रालय को इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार से ब्यौरे की इन्तजारी की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवियत संघ द्वारा भारत से पारस्परिक आर्थिक सहयोग संघ की परिषद् में शामिल होने की पैशकश

1243. **श्री डी० के० पण्डा :**

श्री बनामाली पटनायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग संघ की परिषद् में, जिसका सोवियत संघ अध्यक्ष है, शामिल होने की सोवियत संघ की पैश कश पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संघ (सी० ओ० एम० ए० सी० ओ० एन०) का संविधान तथा सही-सही कृत्य क्या हैं और सोवियत संघ द्वारा भारत की सदस्यता के लिए की गई पेशकश की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उक्त पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पारस्परिक आर्थिक सहयोग संघ की परिषद्, जिसका सोवियत संघ अध्यक्ष है, में शामिल होने के लिए भारत से सोवयित संघ ने कोई पेशकश नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

1244. श्री० डी० के० पण्डा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ ने हाल ही में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन ग में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई थीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने काया निर्णिय लिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 1972 को प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

(ख) ज्ञापन में समाविष्ट मांगे इस प्रकार हैं——

(i) विभागीय तौर पर चलाई जा रही सभी औद्योगिक सेवाओं में सरकार के सभी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बोनस के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए ;

(ii) सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त अन्तरिम सहायता मंजूर की जाये ; और

(iii) वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारियों के संघों से परामर्श किया जाए और इन्हें 2 सितम्बर, 1969 से पूर्व व्यापी किया जाना चाहिये ।

(ग) ऊपर वर्णित तीन प्रश्नों पर सरकार के मत इस प्रकार हैं :——

(i) बोनस—बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत फिलहाल विद्यमान स्थिति को कायम रखा जाना चाहिए ।

(ii) एन्ड (iii) **अतिरिक्त अन्तरिम सहायता—तथा वेतन आयोग की सिफारिशें—** तृतीय वेतन आयोग की स्थापना के पश्चात्, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्तरिम सहायता की तीन किस्तें मजूर की जा चुकी हैं । अतिरिक्त सहायता के लिये आगे की मांग करना इस आधार पर आधारित है कि अब तक दी गई अन्तरिम सहायता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान मजदूरी

स्तर के संदर्भ में पूर्णतया अपर्याप्त है जो, कर्मचारियों के संघों की राय में, गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में कार्य कर रहे दूसरे पक्ष के कर्मचारियों के वेतन की तुलना में बहुत ही पीछे रह गये हैं। केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा ली जा रही परिलब्धियों की तुलना सरकारी क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे कर्मचारियों से करना एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस विषय में तृतीय वेतन आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई सुविचारित सिफारिशों की प्रतीक्षा करना यथोचित होगा। जहां तक निर्णयों को पूर्व-व्यापी किये, जाने का प्रश्न है, जिसे आयोग की सिफारिशों के अधार पर लिया जा सकता है इस मामले में केवल वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हीं जांच की जा सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व, कर्मचारी पक्ष से परामर्श किये जाने का प्रश्न जांचाधीन है।

बेरोजगारी दूर करने संबंधी योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

1245. श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अपने बजट में 2 करोड़ 20 लाख रुपये की व्यवस्था की है तथा केन्द्रीय सरकार से भी कुछ राशि मांगी है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त राशि देना स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो कितनी राशि देना स्वीकार किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सूचना देना सम्भव नहीं क्योंकि प्रश्न में बजट वर्ष नहीं बताया गया है।

(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972–73 के वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 204 लाख रुपये की राशि आवटित की गई है।

आन्तरिक व्यापार में विचौलियों को समाप्त करना

1246. श्री एम० कतामुतु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य उत्पादों के आन्तरिक व्यापार में विचौलियों को समाप्त करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) खादय तथा राज्य व्यापार निगमों के कार्यों में वृद्धि करके तथा कपास और जूट जैसे उत्पादों के लिये निगमों की स्थापना करके खाद्ययान्नों, लेवी की चीनी कपास और जूट जैसे कुछ आवश्यक प्रमुख उत्पादों में विचौलियों के महत्व को सीमित कर दिया गया है।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

1247. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1960-61 से 1970-71 की अवधि के लिये प्रचलित तथा स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के नवीनतम उपलब्ध अनुमान, जैसे कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने तैयार किये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुमान

(रुपयों में)

वर्ष	प्रतिव्यक्ति प्रचलित भावों के आधार पर	राष्ट्रीय आय 1960-61 भावों के आधार पर
(1)	(2)	(3)
1960-61	306.3	306.3
1961-62	316.4	310.0
1962-63	327.6	309.4
1963-64	368.4	319.9
1964-65	423.2	335.8
1965-66	426.1	310.4
1966-67	482.9	307.9
1967-68†	560.8	329.2
1968-69†	554.7	329.9
1969-70†	589.3	339.4
1970-71††	अनु	347.0

(1) अनु—अनुप्लब्ध

(2) †—अनन्तिम

(3) स्त्रोत : 'एस्टीमेट्स आफ नेशनल प्रडक्ट'—1960-61—1969-70 (मई 1971) और

(4) ††प्रेस नोट [आंन क्विक एस्टीमेट्स आफ नेशनल इनकम 1970-71 ।

उच्चतम तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

1248. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस राज्य का नाम क्या है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तथा उस राज्य का नाम क्या है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ;

(ख) उक्त राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के जो नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं वे 1964-65 के हैं। इन अनुमानों के अनुसार सूची में पंजाब सबसे ऊपर और बिहार सबसे नीचे है ।

2. प्रति व्यक्ति आय के अन्दर राज्य विषमताओं के कारणों में अन्य वातों के साथ साथ ये बातें भी शामिल हैं—आर्थिक विकास का उपलब्ध चरण, कतिपय ऐतिहासिक तथ्य किन्हीं राज्यों द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक लाभ, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक भौगोलिक दशाएं आदि । यद्यपि विभिन्न राज्यों में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कदम उठाने के काम मुख्य रुप से राज्यों का ही है तथापि इस दिशा में राज्य सरकारों के विकास सम्बन्धी प्रयासों को बढ़ाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने भी कुछ निश्चित कदम उठाए हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो उपाय किए हैं उनमें कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता के आवंटन में असम, नागालैण्ड तथा जम्मू तथा कश्मीर के लिए व्यवस्था करने के बाद, जिनकी कि विशेष समस्याएं हैं, केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध राशि में से 10 प्रतिशत अंश बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश इन छः राज्यों को आबंटित किया गया जिनकी कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी ।

(2) चौथी योजना अवधि में नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू तथा कश्मीर, केरल मध्य प्रदेश, मैसर, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल) के संसाधनों की गैर-योजना सम्बन्धी कमी केन्द्र द्वारा पूरी की जा रही है ताकि चौथी योजना अवधि में ये राज्य अपने द्वारा जुटाए गए सभी अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग अपने विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने में कर सके ।

(3) पहाड़ी तथा सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता एक उदार कसौटी विकसित की गई है । इनके विकास कार्यक्रमों का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य की कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वहन किया जा रहा है । मेघालय, असम, नागालैण्ड, जम्मू तथा कश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्फीति तथा किन्नौर जिले) में इस सम्बन्ध में किए गए व्यय का 90 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है । शेष 10 प्रतिशत भाग ऋण माना जाता है । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी तथा सीमान्त जिलों, दारजिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा नीलगिरी (तमिलनाडु) में केन्द्री सहायता की कसौटी 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है ।

(4) सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पछिड़े होने के कारण सभी संघ शासित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है ।

(5) विषमताओं को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति तेज करना है। इस सम्बन्ध में जिन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनका अभिनिर्धारण कर लिया गया है और उन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है। ऐसा राज्य सरकारों के सहयोग से पांडे तथा बांचू समिति की रिपोर्टों में निर्धारित कसौटियों के आधार पर किया गया है। तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भावय होने पर सरकारी क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में ऐसे क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जाती है। लाइसेंस समिति भी पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देती है।

(6) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में 489 जनजाति विकास खण्डों के लिए 32.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(7) कुछ राज्यों में जिला योजनाएं तैयार की जा रही हैं जो पिछड़े क्षेत्रों की समस्यायें अभिनिर्धारित करेंगी और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय करने में सहायता करेंगी।

(8) सम्पूर्ण देश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय तथा ऋण दात्री संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्ति के लिए औद्योगिक दृष्टि से पछिड़े 225 जिले चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किए गए 9 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के चुने हुए दो जिलों में तथा शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक के एक जिले में सीधा अनुदान अथवा राज्यसहायता प्रदान करती है जो ऐसी नई इकाइयों के स्थिर पूंजी निवेश के दसवीं भाग के बराबर होती है जिनका कुल स्थिरपूंजी निवेश 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। उपर्युक्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में ऐसे जिलों की संख्या बढ़ाकर 2 से 6 तक कर देने तथा शेष राज्यों में 1 से 3 कर देने का निर्णय किया गया है।

(9) ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए तथा शुष्क तथा अल्पजलिक क्षेत्रों के किवास के लिए बड़े आकार के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये विशेष कार्यक्रम एक केन्द्रीय समन्वय समिति के मार्गदर्शन में मंजूर तथा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस समिति की अध्यक्षता योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा की जाती है। अतिरिक्त सचिव के पद का एक अधिकारी इस समिति का सदस्य-सचिव होता है। 46 लघु कृषकविकास अधिकरण सम्बन्धी परियोजनाएं उस-सीमान्तिक कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनाएं और शुष्क क्षेत्रों के कृषकों के लिये 24 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। सदैव सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र में ग्रामीण गिर्माण कार्यों से सम्बन्धित एक समेक्ति कार्यक्रम के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(10) ग्राम बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी एक जोरदार स्कीम (क्रैशस्कीम) प्रारम्भ की गई है जिसके लिए प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाती है।

(11) हाल ही में एक ग्राम-बिजलीकरण निगम की स्थापना की गई है जो पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम बिजलीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती शर्तों पर वित्त दे रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का पौलैण्ड के साथ घड़ियों का निर्यात करने सम्बन्धी करार

1249. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में पोलैण्ड को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां निर्यात करने के लिए एक करार किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है :

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा देशवार, अन्य देशों को कितनी घड़ियां निर्यात की गई हैं ; और

(ग) घड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) कम्पनी ने न्यूजीलैण्ड में घड़ियों का निर्यात करने के लिए वहां की एक फर्म के साथ करार किया है । जापान की एक फर्म के साथ भी बातचीत चल रही है । निर्बाध विदेशी मुद्रा पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के जरिए भारत में शुल्क मुक्त दुकानों में एच०एम०टी० की घड़ियाँ बेचने का भी प्रबन्ध किया गया है ।

विवरण

एच० एम० टी० घड़ियों की कुल संख्या 359

देश	संख्या
कनाडा	104
यू०एस०ए०	8
सुडान	6
लंका	5
आस्ट्रेलिया	154
यू०के०	14
हांग कांग	25
लेबनान	3
ईरान	40
योग	359

1970-71 में निर्यात की गई एच० एम० टी० घड़ियों की कुल सं० 1122

यू०के०	कुछ नहीं
वैस्ट इन्डीज	6
यू०एस०ए०	576
न्यजीलैण्ड	78
फिजी	51
आस्ट्रेलिया	122
कनाडा	102

देश	संख्या
सुडान	17
लंका	21
नारुफाल्क द्वीप, दक्षिणी पैसिफिक	90
युगांडा (अफ्रीका)	1
हालैण्ड	40
डेनमार्क	15
ईरान	कुछ नहीं
कोलम्बिया	1
ताइवान	1
यू०एस०एस०आर०	1
	1,122

1971-72 में निर्यात की गई एच० एम० टी० घड़ियों की कुल सं० 2,001

यू०एस०ए०	404
कनाडा	50
सीलॉन	31
प० जर्मनी	2
यू०के०	21
सूडान	25
हांगकांग	6
इजिप्ट	11
न्यूजीलैण्ड	1,200
स्विटजरलैण्ड	1
फीलीपाइन्स	1
ईरान	5
इथोपिया	1
आस्ट्रेलिया	3
लक्समबर्ग	40
अन्य	200
योग	2,001

अधिक सूद वसूल करने को दण्डनीय अपराध घोषित करने का प्रस्ताव

1250. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिक मूल्य वसूल करने को दण्डनीय अपराध घोषित करने का विचार कर रही है ताकि मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जन साधारण के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आती हैं ; और इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय सभी अपराध सज्ञेय घोषित हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर में सीमेन्ट के कारखानों की मांग

1251. **श्री धर्मराव अफ़ज़लपुरकर :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा लगाये जाने वाले प्रस्तावित सीमेंट के चार कारखानों से दो कारखोनें मैसूर में स्थापित किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा मैसूर के गुलबर्गा जिले के चितपुर नामक स्थान पर सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने के संबंध में मई, 1972 में मैसूर सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ख) भारतीय सीमेन्ट निगम ने मैसूर के गुलबर्गा जिले के कुरकुन्ता नामक स्थान में प्रतिवर्ष 2 लाख मी० टन की क्षमता से पहले ही एक सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित कर दिया है और संयंत्र में शीघ्र ही वाणिजियक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । चूंकि चितपुर इस संयंत्र के स्थान से लगभग केवल 30 कि०मी० दूर है इसलिए चितपुर में एक दूसरा एकक स्थापित करना लाभदायक नहीं समझा गया । सीमेन्ट निगम स्लैग सीमेन्ट का उत्पादन करके कुरकुन्ता कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है ।

Loss suffered by Industries

1252. Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Shri Ramsahai Pandey

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the extent of loss suffered by industries due to power shortage since January, 1971 to date, State-wise and the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development Shri Sidheshwar Prasad) : Most of the States have reported that though there was power shortage the details of loss in production was not available with them. The D.G.T.D. has however, stated that in some industries, the productions returns showed a fall attributable to Power Shortage (list attached).

Statement

Statewise statement showing loss suffered by industries due to power shortage

State	Products whose production was affected by power shortage	Assessment of loss in production	Period
1. Bihar	Steal rolled rings	Rs. 4·38 lakhs (69,000 Rings).	From June 1972.
2. Chandigarh .	Bicycle Chains	Rs. 0·25 lakhs	Only in August 1972.
3. Haryana	1. Bicycle Complete	Rs. 9·00 lakhs	Upto September 1972.
	2. Freewheels .	Rs. 0·80 lakhs	Do.
	3. Radio receivers	Rs. 19·00 lakhs	Do.
	4. Asbestos Cement Products including Pressure pipes.	About 3 %	During August 1972 September 1972.
	5. Glazed Tiles .	65 tonnes	In September, 1972
4. Maharashtra .	Bicycle Tube Valves.	Rs. 4·52 lakhs	Since June, 1972.
5. Mysore .	Aluminium Ingots	About 1,100 tonnes p.m.	w.e.f. 1-10-72.
6. Tamilnadu .	Bicycle Saddles .	Rs. 1·66 lakhs	In June and July 1972.
7. U.P.	1. Bicycle and Bicycles parts.	Rs. 0·34 lakhs	In January and February 1972.
	2. Auto leaf springs	Rs. 6·70 lakhs (168 tonnes estimated).	From June, 1972.
	3. Aluminium Ingots.	About 425 tonnes per month.	From August 1972 October, 1972.
8. West Bengal .	1. Aluminium Ingots.	600/700 tonnes	May 1972—August 1972.
	2. Iron & Steel Rolls.	Anticipated about 10% in case of one unit.	Upto August 1972.
	3. Record Player	Rs. 1·90 lakhs	Upto Sept. 1972.

Construction work at Atomic Power Station in U.P.

1253. Shri Shiv Kumar Shastri :

Dr. Govind Das Richariya :

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(*a*) the time by which the construction work of the approved Atomic Power Station at Narora in U.P. is likely to be commenced and the time by which it is likely to be completed; and

(*b*) the names of the States to which electricity would be made available from the Station after it is put into commission?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) :[(a) It is planned to commence work on the Narora Atomic Power Station in two years' time. The construction of the first unit is expected to be completed by 1980 and that of the second unit by 1981.

(*b*) The Power generated at this station would be made available to the Northern grid which covers the States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Delhi.

नई दिल्ली में "अपराध और दण्ड के बदलते हुए ढांचे' के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी

1254. श्री डी० के० पण्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में 'अपराध और दण्ड के बदलते हुए ढांचे' (दी चेंजिग पैर्टन आफ़ क्राईम एण्ड पनिशमेंट) के सम्बन्ध में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में मुख्यत: क्या विचार व्यक्त किये गये और क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) देश के आपराधिक कानून में क्या विशिष्ट परिवर्तन करने का विचार है ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सूचना जब प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था किये जाने का अनुमान

1255. डा० कर्णी सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के अंत तक कुल कितने अतिरिक्त लोगों को नौकरी मिल जाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : विगतवर्षों में योजना आयोग, योजना के आरम्भ में पहले से चली आ रही बेरोजगारी के अनुमान, योजना अवधिके दौरान श्रमशक्ति में होने वाली अनुमानित वृद्धि तथा तैयार की गई योजना के कार्यान्वियन से होने वाले रोजगारों के अवसरों में होने वाली वृद्धि के अनुमान प्रस्तुत करता था । गांवों और शहरों में बेरोज़गारी तथा अपूर्ण रोजगार आंकने के लिए उपयुक्त परिभाषा तथा समुचित मानदण्डों के बारे में मत-मतान्तर होने तथा विभिन्न स्रोतों के आधार पर तैयार किये गये बेरोज़गारी के चित्र में व्यापक विभिन्नता होने के परिणाम स्वरूप यह अनुभव किया गया कि विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से विचार करन

की आवश्यकता है। तद्नुसार, पिछली योजनाओं में तैयार किए गये बेरोज़गारी के अनुमानों, उन्हें तैयार करने में उपयोग में लाये गये आंकड़ों तथा प्रणालियों तथा योजना आयोग की विभिन्न सम्बद्ध मामलों पर सलाह देने के लिए योजना आयोग ने 1968 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। चौथी योजना में इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, चौथी योजना में आरम्भ में पहले से चली आ रही बेरोजगारी के अनुमान या चौथी योजना में श्रमशक्ति में वृद्धि के अनुमान या यथा तयार किया गया चौथी योजना के कार्यान्वियन द्वारा पैदा होने वाले अतिरिक्त रोजगार के अनुमान देने का प्रयत्न किया गया था। इस सम्बन्ध में चौथी योजना दस्तावेज देखा जा सकता है।

चौथी योजना में श्रम सघन कार्यक्रमों जैसे कृषि विकास (दुग्ध उद्योग और दुग्ध संभरण स्कीमें, मुर्गीपालन और भेड़ पालन, कृषि उद्योग और आन्तरिक तथा मैरीन मत्स्य उद्योग सहित), ग्रामीण बुनियादी आधार और ग्रामीण विकास, जो कि विभिन्न वर्गों के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल लोगों के लिए काफी मात्रा में रोजगार पैदा करेंगे पर काफी बल दिया गया है। संगठित खनन और माल तैयार करने के काम में तेजी लाना, सहायक तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, संचार में बुनियादी आधार सुविधाओं के लिये अधिक प्रावधान, परिवहन और बिजली और बढ़ते हुए निर्माण कार्यकलापों के कारण अपना धंधा शुरु करने के अलावा बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

रोजगार के आधार वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रमों जिनमें योजना अवधि में अधिकांश रोजगार पैदा होगा के अलावा, योजना के आरम्भ से ही निम्नांकित विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

1971–72 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारदेने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो स्कीमें बनाई हैं उनसे 1971–72 के अन्त तक लगभग 39,000 रोज़गार के अवसर सुलभ होने कीं संभावना है और 1972–73 में इनका बढ़कर लगभग 64,000 होने की संभावना है।

राज्य और संवशासित क्षेत्रों ने जो विशेष रोज़गार कार्यक्रम तैयार किए हैं उनसे 11,000 इंजीनियरों सहित 3.70 लाख लोगों के लिए रोज़गार सुलभ होने की संभावना है।

ग्रामीण रोज़गार की त्वरित स्कीम से 1971–72 में लगभग 820 लाख श्रम दिनों का कुल रोज़गार पैदा होने की संभावना है और आशा है कि चालू वर्ष (आंशिक) के दौरान 254 लाख श्रमदिनों में रोज़गार सुलभ होगा।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन 54 जिलों में स्कीमें आरम्भ की गई हैं उनसे काफी रोज़गार मिलने की संभावना है।

इस समय जो स्कीम चल रही हैं उनका पूरा ब्यौरा "रोज़गार अवसर" पुस्तिका, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में देखा जा सकता है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रति दृष्टिकोण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (घटक मूल्य पर कुल अतिरिक्त उत्पादन) 1968–69 के मूल्यों के अनुसार 28,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973–74 में 37,900 करोड़ रुपयों की परिकल्पना है। इस प्रकार 5.6 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होगी। चौथी योजना के दौरान 2.5 प्रतिशत की दर से जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना थी। इस प्रकार

प्रति व्यक्ति आय 1968–69 में 546 रुपये से बढ़कर 1973–74 में 636 रुपये होने का अनुमान था–अर्थात् 16.5 प्रतिशत की वृद्धि ।

चौथी योजना के दौरान प्रति-व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि योजना की शेष अवधि में होने वाले आर्थिक कार्य पर निर्भर करता है ।

दिल्ली पुलिस के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों में असन्तोष

1256. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में असन्तोष फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) असंतोष नजर नहीं आता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूना प्रसारण केन्द्र को चालू करना

1257. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि —

(क) क्या बम्बई टैलीविजन केन्द्र के पूना प्रसारण केन्द्र का चालू किया जाना स्थगित कर दिया गया है और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं । रिले केन्द्र के 1973 के आरम्भ में चालू हो जाने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय डाक टिकटों के स्तर में सुधार

1258. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक टिकटों के स्तर में सुधार करके उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : स्तर की दृष्टि से भारतीय डाक टिकट घटिया नहीं हैं । लेकिन कुछ समय पहले तक बहुरंगी छपाई न होने के कारण कभी-कभी वे रंगों की दृष्टि से अधिक आकर्षक नहीं हो पाते थे ।

डाक टिकटों की डिजाइनें अच्छी बनाने के लिए चालू वर्ष के शुरु में एक डिजाइन उप-समिति बनाई गई है जिसमें प्रसिद्ध डाक-टिकट प्रेमियों (फिलाटलिस्ट) और अन्य ऐसे लोगों को रखा गया है, जिन्हें कला और डिजाइनों में दिलचस्पी है ।

नासिक सिक्योरिटी प्रैस में बहुरंगी छपाई की मशीन लग जाने से अब बहुरंगे डाक-टिकट छपने लगे हैं। डाक-टिकटों की छपाई में लगने वाली स्वदेशी स्याही की किस्म सुधारने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही

1259. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-पुलिस ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस की निष्क्रियता के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं। जहां स्थिति के अनुसार आवश्यकता होती है दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुंडों द्वारा एक मकान पर हमला किये जाने के बारे में दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत

1260. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में 15 जून, 1972 की रात को गुंडों द्वारा एक मकान पर हमला किये जाने के बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नैशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई

1261. **श्री वी० मायावन :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ने अत्यधिक संख्या में मशीनें सप्लाई की थीं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970–71 की तुलना में वर्ष 1971–72 में किराया-खरीद के आधार पर कुल कितनी कीमत की मशीनें सप्लाई की गई ; और

(ग) इसके तकनीकी सहायता कार्यक्रम के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं।

	1970–1971	1971–72
दी गई मशीनों की संख्या	1195	1595
मशीनों का मूल विक्रय मूल्य	443.23 लाख रु०	858.62 लाख रु०

(ग) विभिन्न इन्जीनियरी क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त आद्यरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मद्रास तथा हैदराबाद में 'प्रोटोटाईप' विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

1262. **श्री वी० मायावन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास तथा हैदराबाद में दो अतिरिक्त "प्रोटोटाइप" विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के बारे में विचार कर रहा है ; और यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकार ने क्रमशः (क) चमड़ा और जूता मशीनरी तथा (ख) इलैक्ट्रोनिक्स के लिए मद्रास तथा हैदराबाद में दो अतिरिक्त आद्यरूप उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबधी राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

मद्रास में स्थापित होने वाले प्रस्तावित चमड़ा और जूता मशीनरी के आद्यरूप उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 46.40 लाख रुपये की अनावर्तक धन राशि लगेगी। आद्यरूप कार्यक्रम से प्रतिवर्ष 6 से 8 तक मशीनरियों का विकास अनुमानित है। प्रस्तावित केन्द्र "डिजाइनरों तथा चमड़ा मशीनरी बनाने वाले" और "चमड़ा मशीनरी के संचालक" उन दो मुख्य प्रवर्गों को प्रशिक्षण देगा और प्रति वर्ष लगभग 130 प्रशिक्षणार्थियों को भरती कर सकेगा।

हैदराबाद में स्थापित होने वाले प्रस्तावित इलैक्ट्रोनिक्स के आद्यरूप उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 135 लाख रुपये की अनावर्तक धन राशि व्यय होगी। प्रस्तावित केन्द्र, इलैक्ट्रोनिक्स के हिस्से पुर्जों और अन्य इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के प्रपुन्ज उत्पादन के लिए अपेक्षित मशीनरी का विकास करेगा और प्रतिवर्ष लगभग 112 प्रशिक्षाणार्थियों के लिए इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग से संबंधित विभिन्न विषयों के आठ प्रशिक्षण केन्द्र लगातार चलायेगा।

स्कूटर तथा मोटर साइकिलों का निर्माण करने वाली एककों का विस्तार

1263. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की अत्याधिक कमी को ध्यान म रखते हुए सरकार ने वर्तमान निर्माताओं को अपना उत्पादन दुगुना करन की अनमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनको विस्तार करने की अनुमति दी गई है तथा उनको कितना विस्तार करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) इस समय उत्पादन और मांग में कितना अन्तर है तथा उक्त विस्तार के बाद मांग किस सीमा तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख)—निम्न-लिखित निर्माताओं को मोटर साइकिलों और स्कूटरों का निर्माण करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है—

निर्माता का नाम	वर्तमान क्षमता	विस्तार के बाद क्षमता	गाड़ी का प्रशिक्षण
	(प्रतिवर्ष संख्या)		
1. मै० एल्फील्ड इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	11,000	30,000	मोटर साइकिलों स्कूटर, और तीन पहिए वाला
2. मै० आइडियल जावा (इण्डिया) लि०, मैसूर	12,000	30,000	मोटर साइकिलें
3. मै० इस्कोर्ट लि० फरीदाबाद	6,000	24,000	मोटर साइकिलें और स्कूटर
4. मै० आटोमोबाइल प्रोडकटस आफ इण्डिया लि०, बम्बई।	24,000	48,000	स्कूटर, तीन पहिए वाला सहित :
5. मै० बजाज आटो लि०, पूना	24,000	48,000	—वही—

(ग) मोटर साइकिलों और स्कूटरों का वर्तमान उत्पादन लगभग 1,20,000 संख्या प्रति-वर्ष है जबकि 1973—74 तक इनकी अनुमानित मांग 2,10,000 होगी। विस्तार योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् कुल उत्पादन लगभग 2,00,000 होने की संभावना है।

स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल (प्रोग्राम्स)

1265. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रेल-दिसम्बर, 1971 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल (प्रोग्राम्स) द्वारा कुल 401 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पन्द्रह प्रशिक्षण कोर्सों, सेमिनारों और वर्कशापों का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षणार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों को उन कार्यक्रमों जिनके लिए प्रशिक्षण कोर्स का प्रबन्ध किया जाता है, की श्रेणी पर निर्भर करते हुए केन्द्रशः बुलाया जाता है न कि राज्यवार। प्रशिक्षणार्थियों का केन्द्रशः ब्यौरा संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3760/72)।

आकाशवाणी से प्रसारित समाचार बुलैटिनों की भाषाएं

1266. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र की गृह सेवाओं से किन-किन अठारह भाषाओं में समाचार बुलैटिन प्रसारित किये जाते हैं ;

(ख) आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा राज्यवार किन किन तेतीस बोलियों और अठारह भाषाओं में समाचार बुलैटिन प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ग) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों की विदेश सेवाओं द्वारा प्रतिदिन किन-किन उन्नीस भाषाओं में समाचार बुलैटिन प्रसारित किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी०–3761/72)।

हिमाचल प्रदेश के लिए डाक सर्कल

1267. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक डाक-सर्कल का गठन करने हेतु उक्त राज्य से सम्बन्धित सभी सात संसद सदस्यों के अनुरोध पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय संभवत: किस तारीख तक कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पृथक डाक सर्किल बनाने का प्रश्न डाक-तार सर्किलों के पुनर्गठन के मसले से जुड़ा हुआ है। डाक-तार सर्किलों का पुनर्गठन प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है जिसमें ाक-तार सर्किल-प्रशासन के काम-काज का अध्ययन बड़ी गहराई से करना होगा इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश में एक पृथक डाक सर्किल बनाने के प्रश्न पर अंतिम फैसला करने मे अभी कुछ समय लगेगा।

Assistance to Small Scale and Big Industries during Plan Period

1269. Shri Bharat Singh Chauhan :
Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(*a*) the broad outlines of the financial assistance extended to the Small Scale Industries during the last three years; and

(*b*) the financial assistance given to the big industries during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) ; The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उद्योग में कच्चे माल की कमी

1260. श्री के० लकप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे माल की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) केवल कुछ प्रकार के इस्पात की कमी के अलावा जो पहले थी और अब भी है कुल मिलाकर देश में कच्चे माल की ऐसी कोई कमी नहीं है । इस्पात आदि की कमी प्रमुख रूप से देश में इस्पात के उत्पादन में आई गिरावट और इस्पात का उपयोग करने वाले नये उद्योगों की स्थापना के कारण हुई है ।

(ग) सरकार ने देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और देश में हो रहे उत्पादन में अनुभव की जा रही कमी को पूरा करने के विचार से इस्पात के आयात को उदार बनाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) इंजीनियरी उद्योगों के निर्यात परक उत्पादन के लिये आवश्यक इस्पात का 1972-73 की अवधि में आयात करने के लिये एक विशेष योजना तैयार की गई है । इस योजना के अधीन हिन्दुस्तान स्टील लि० इंजीनियरी उद्योगों के निर्यात परक उत्पादन और प्राप्त निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिये आवश्यक करीब 4.70 लाख मी० टन इस्पात का आयात कर सकता है ।

(2) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अंतर्गत एक इस्पात बैंक की भी स्थापना की गई है जो आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूरा करने के लिये इस्पात की आवश्यकता को पूरा करेगा ।

(3) बिलेट री-रोलर समिति द्वारा वितरण के लिये विलेट का आयात करने के लिये अलग से योजनाएं तैयार की गई हैं । रोल्ड उत्पाद (बेलित उत्पाद) परिवर्तन मूल्य के आधार पर री-रोलरों से उपलब्ध किए जा रहे हैं । बिजली से चलने वाली आर्क भट्टियों से होने वाले इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जो हैवी मैल्टिंग स्केपों के आयात में वृद्धि की जा रही है ।

(4) विद्युत चालित आर्क भट्टियों से होने वाले इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नए एककों को लाइसेंस दिये गये हैं । ऐसी आशा की जाती है कि 1972-73 में इन एककों में करीब 10 लाख मी० टन इस्पात का उत्पादन हो सकेगा ।

जम्मू और काश्मीर के भारत में विलय के सम्बन्ध में शेख अबदुल्ला के वक्तव्य

1271. श्री के० लकप्पा :

श्री प्रसन्न भाई मेंहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अबदुल्ला ने जम्मू और काश्मीर के भारत में विलय पर पुनः आपत्ति उठाना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को काश्मीर से अपनी सेना हटानी चाहिये तथा भारतीय प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति भुट्टो काश्मीर के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध तथा कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) शेख अबदुल्ला कई वक्तव्य देते रहे हैं जो परस्पर-विरोधी प्रतीत होते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से उनका झगड़ा काश्मीर के विलय के बारे में नहीं है। बल्कि राज्य के लिए स्वायत्तता की मात्रा के बारे में है। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने ऐसे वक्तव्य भी दिये हैं जो इस दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्टों से परिचित है।

(ग) सरकार शेख अबदुल्ला के वक्तव्यों का समग्र रूप से अवलोकन करती है और समझती है कि फिलहाल कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

राकेट छोड़ने के थुम्बा स्थित केन्द्र से छोड़े गए राकेट

1272. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में थुम्बा इक्वीटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन से 13 अक्तूबर, 1972 को दो साउंडिंग राकेट छोड़े गये थे जिनमें विद्युत क्षेत्र इलैक्ट्रोन घनत्व को नापने के लिये वैज्ञानिक उपकरण तथा अन्य आइनोस्फेटिक पैरामीटर रखे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या राकेट छोड़ने का कार्य भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित किया गया था; और

(ग) क्या दोनों राकेटों में से भारत द्वारा निर्मित सेंटर में जो भारयोग पेलोड रखा गया था उसकी डिजाइन बनाने तथा उसे विकसित करने का कार्य फ्रान्स की पी० एन० इ० एस० ने किया था तथा निके एपेचे राकेट में भारत की भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में बनाया गया पेलोड़ रखा गया था, और यदि हां, तो उनके कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। राकेट भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, फ्रान्स के राष्ट्रीय अन्तरिक्ष केन्द्र तथा अमरीका के नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेश एडमिनिस्ट्रैशन द्वारा छोड़े गए।

(ग) फ्रान्स के आय भार 60 किलोमीटर से अधिक उंचाई पर काम में आने वाले धारित्र किस्म के गोलाकार संवेदकों की छ एषणियों तथा सम्बद्ध इलैक्ट्रोनिक उपकरण से युक्त थे। इसके इलावा गतिशील राकेट की उंचाई का पता तीन अक्षों वाले दिक्सूचकों की सहायता से लगाया गया तथा त्वरण का विवरण त्वरणमापियों की सहायता से प्राप्त किया गया। भारतीय आयभारों के विषुवदीय विद्युत धारा में होने वाली किस्म 1 तथा किस्म 2 की गड़वड़ियों को उत्पन्न करने वाली अस्थिरताओं का अध्ययन करने, इलैक्ट्रोनों के घनत्व की सही मात्रा का मापन करने, प्लाजमा रेजोनेंस पर आयनकारी असमानताओं के प्रभाव का अध्ययन करने तथा विषुवदीय विद्युत धारा के करेंट के घनत्व का उर्ध्वाधर मापन करने के उद्देश्य से प्रोटोनों की सहायता से पूर्वगामी सूचना देने वाले चुम्बकत्वमापी, लैंगम्योर प्रोव, आर० एफ० रेजोनेंस प्रोव लगे हुए थे। इन दोनों प्रकार के आयभारों के समन्वय से विषुवदीय विद्युतधारा की दैनिक अधिकतम अवस्थाओं का अध्ययन करने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है।

योग्यता प्राप्त इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु योजनाएं

1273. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त योग्यताप्राप्त इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु कुछ ठोस योजनाएं बना रही है ; और यदि हां, तो उन योजनाओं का व्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त योजनाओं के कब से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उस योजना से किस सीमा तक रोजगार पैदा करने में सफलता मिली है जिसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति वित्तीय सहायता से अपना रोजगार आरम्भ कर सकेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को रोजगार देने की स्कीमों को धन उपलब्ध करने के लिये 1972–73 में 20 करोड़ रुपये की धनराशि अलग से रखी गई है। जिन विभिन्न अभिकरणों में इन लोगों को रोजगार देने की क्षमता है वे आवश्यक स्कीमें तैयार कर रहे हैं। विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने भी इस प्रकार की स्कीमें बनाने के लिये वैज्ञानिकों का पैनल गठित किया है। परिकल्पित स्कीमों में सामान्यतया ये बातें होंगी :–

(1) सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा अन्वेषण ;

(2) प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण ;

(3) प्रोद्योगिकी स्वावलम्बन के लिये अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं ;

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम ; तथा

(5) वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों द्वारा अपना धंधा आरम्भ करना।

(ख) योजना आयोग ने 762 लाख रुपये परिव्यय की स्कीमों को अनुमोदित कर दिया है। इनमें से 634.5 लाख रुपये सम्भावित खर्चे वाली स्कीमों पर पहले से ही काम हो रहा है।

(ग) ये स्कीमें 1971-72 में आरम्भ की गई हैं। अभी विश्लेषण करना जल्दवाजी होगी।

अन्तर्राज्यीय परिषद्

1274. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की आवश्यकता के बारे में राज्यों से अपने विचार व्यक्त करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने उत्तर भेज दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :
(क) से (ग) तक—केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन करना है राज्य सरकारों से रिपोर्ट पर अपने विचार भेजने के लिये अनुरोध किया गया है। अब तक केवल मैसूर, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं। शेष राज्य सरकारों से उत्तर मिलने पर मामले पर आगे विचार किया जायेगा।

अलग-थलग पड़ी डाक वस्तुएं

1275. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० गंगा देव

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 21 सितम्बर, 1972 को एक सम्बाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि प्रतिदिन 53,000 डाक वस्तुएं अलग थलग पड़ जाती हैं तथा 4,000 वस्तुएं पानेवालों को मिलती ही नहीं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) देश के डाकघरों में सभी तरह की कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ 80 लाख डाक वस्तुएं डिलीवरी के लिये रोजाना प्राप्त होती हैं। उनमें से लगभग 53,000 डाक वस्तुएं पुन: प्रेषण केन्द्र चली जाती हैं क्योंकि उनमें या तो पता ही नहीं लिखा होता या फिर अधूरा पता लिखा होता है। इनमें से सिर्फ 4,000 वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं का निपटारा पुन: प्रेषण केन्द्र में

उचित कार्रवाई के पश्चात किया जाता है । इन वस्तुओं को यथा-स्थिति या तो पाने वालों के पास भेज दिया जाता है या प्रेषकों को लौटा दिया जाता है । ये 4,000 वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी न तो पाने वालों को डिलीवरी की जाती है और न ही उन्हें प्रेषकों को लौटाया जाता है क्योंकि उन पर भेजने या पाने वाले दोनों में से किसी का भी पता नहीं होता या फिर अधूरा पता लिखा होता है । जनता को यह सिखलाने के लिये कि वे अपनी डाक वस्तुओं पर पूरा और ठीक तरीके से पता लिखें अकसर प्रचार-अभियान चलाए जाते हैं ताकि वस्तुएं सही ठिकाने पहुंच जाया करें और उन्हें निपटाने के लिये पुनः प्रेषण केन्द्र न जाना पड़े ।

Memorial to Freedom Fighters

1276. Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Krantikari Shayeed Smarak Samiti (Revolutionary Martyrs Memorial Committee) has requested for allotment of land for a memorial to freedom fighters;

(*b*) whether the Samiti has requested Central Government to set up an international museum; and

(*c*) if so, the decision taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) to (*c*)—

Government have already decided to set up a Martyr's Memorial in Delhi. However, the information regarding the request of Krantikari Shayeed Smarak Samiti (Revolutionary Martyr's Memorial Committee) is being collected and will be laid on the Table of the House.

कागज बनाने वाली मशीनों का उत्पादन

1278. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बनाने की मशीनों के पर्याप्त रूप से न मिलने के कारण देश में कागज बनाने वाले कारखानों के विस्तार कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कागज बनाने वाली मशीनों के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसी कोई रुकावट नहीं है ।

(ख) उत्पादन में गति लाने के लिये आशय-पत्र जारी करना और प्राप्त हुए आवेदनों का शीघ्र निपटान करना आदि अनेक कदम उठाये गये हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना का शामिल किया जाना

1280. **श्री डी० के० पण्डा :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में स्थित कार परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल न करने का अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित कार उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पांचवीं योजना में सम्मिलित किये गये कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप देना है ।

आकाशवाणी द्वारा विपक्षी राजनीतिक दलों के समाचारों का सम्पादन

1281. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के मुख्य संपादक को इस आशय के निश्चित मार्ग निर्देशक सिद्धांत दिये गये हैं कि किस प्रकार विपक्षी राजनीतिक दलों के समाचारों का सम्पादन किया जाये ;

(ख) विपक्षी दलों से प्राप्त तथा इकट्ठा किये गये समाचारों का संपादन करने के लिये विभिन्न स्थानीय केन्द्रों में नियुक्त समाचार सम्पादकों के लिये क्या मुख्य मार्ग निर्देशक सिद्धांत हैं ; और

(ग) क्या विशेषकर संसद् में मुख्य विपक्षी दलों के संदर्भ में शासक दल और विपक्षी दलों के बीच समाचारों के प्रसारण में समय का विभाजन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में समय का क्या विभाजन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विषय का समाचारिक महत्व तथा स्थान एवं समय की उपलब्धता ।

(ग) जी, नहीं ।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के पूर्णकालिक रिपोर्टर

1282. **श्री सरोज मुखर्जी :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र में कलकत्ता और उसके उपनगरों की घटनाओं के लिए कितने पूर्वकालिक रिपोर्टर हैं तथा उनके विषय क्या हैं और उन पर प्रति माह कितनी राशि खर्च की जाती है ।

(ख) क्या अपने रिपोटरों के माध्यम से राजनीतिक दलों के किसी कार्य को समाचार में शामील न करना तथा सम्पादन के पश्चात घटना समाचार को प्रसारित करना आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र का नियमित नियम है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा कलकत्ता केन्द्र को अनुदेश दिये गये हैं कि अगर उनको उन के कार्यालय में सम्बन्धित विषय पर लिखित रूप से अथवा पी० टी० आई० से रिपोर्ट प्राप्त न हो, तो वे किसी समाचार को प्रसारित न करें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दो ; अनुमानत: 1,500 रुपये ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं । आकाशवाणी के दो रिपोर्टर यथासंभव अधिक से अधिक समारोहों को कवर करते हैं । शेष के लिये, आकाशवाणी समाचार एजेंसियों पर निर्भर करती है । समाचारों को आधारभूत तथ्यों को प्रभावित किए बिना सम्पादित किया जाता है ताकि उनको बुलेटिनों में उपलब्ध स्थान और समय के अन्दर खपाया जा सके ।

(घ) आकाशवाणी, गलतफहमी अथवा गलत रिपोर्ट्रों की संभावना को दूर करने के ध्येय से लिखित रिपोर्टों को तरजीह देती है ।

Small Scale Industries in M.P.

1283. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(*a*) the number of small-scale industries in Madhya Pradesh and the names of Commodities manufactured by them and the details of imported raw materials allotted to them during the last three years;

(*b*) the total capital invested in the said industries;

(*c*) the total number of employees working in these industries; and

(*d*) the value of goods produced therein during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

V.H.F. Telephone System in M.P.

†1284. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether experiments are being made in Madhya Pradesh also in regard to the new rural telephone system known as V.H.F.; and

(*b*) whether the said system has been introduced anywhere in India and if so, where?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) At present no experiment is being made in respect of V.H.F. links in Madhya Pradesh.

(*b*) One V. H. F. system has been commissioned on Chandigarh-Morni Hill in Punjab Circle and is reported to be working satisfactorily.

T.V. Station in M.P. in 5th Five Year Plan

1285. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister **of Information and Broadcasting** be pleased to state the names of places in Madhya Pradesh where Television Stations are proposed to be set up in Fifth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : The proposals for expansion of T. V. net-work in the country during the Fifth Plan are still under consideration.

Disposal of Properties by Former Rulers

1286. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the former Rulers are required to intimate to the Central Government before disposing of their valuable property;

(*b*) if so, the names of the ex-Rulers who have sent intimations to the Central Government before selling their property during the last two years; and

(*c*) the minimum and maximum limits of the selling price in respect of which an intimation has to be given to the Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) :

(*a*) No, Sir. (*b*) and (*c*)—Do not arise.

State-wise new Post Offices in 1972-73

†1288. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the total number of Posts and Telegraphs Offices at present in the country; and

(*b*) the number of new Post Offices proposed to be opened in the year 1972-73, State-wise?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) (*i*) Post Offices—1,12,503, (*ii*) Telegraph Offices—11,794.

(*b*) The information is as mentioned in the Annexure.

"Statement"

Statement showing the number of new Post Offices proposed to be opened in the country, State-wise during 1972-73

Serial No.	Names of States	No. of new Post Offices proposed to be opened during 1972-73
1	Andaman & Nicobar Islands	7
2	Andhra Pradesh	400
3	Arunachal	12
4	Assam	86
5	Bihar	424
6	Dadra & Nagar Haveli	2
7	Delhi	23
8	Gujarat	188
9	Goa, Daman & Diu	15
10	Haryana	44
11	Himachal Pradesh	41
12	Jammu and Kashmir	25
13	Kerala	75
14	Madhya	155
15	Maharashtra	292
16	Manipur	20
17	Meghalaya	17
18	Mizoram	41
19	Mysore	130
20	Nagaland	10
21	Orissa	200
22	Pondicherry	5
23	Punjab	25
24	Rajasthan	200
25	Tamilnadu	245
26	Tripura	30
27	Uttar Pradesh	400
28	West Bengal	213
	Total	3,325

रात्रि वायु डाक सेवा

1289. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि कई अवसरों पर रात्रि वायु डाक को न तो रात्रि के समय ले जाया जाता है और न ही विमान द्वारा शीघ्रता से पहुंचाया जाता है ;

(ख) क्या अगस्त 1972 में आठ दिन तक दिल्ली में रात्रि वायु डाक सेवा ने कार्य नहीं किया था : और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में इंडियन एयरलाइन्स और नागर विमानन मंत्रालय से बात की है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । यह मामला इंडियन एयरलाइन्स के मुख्यालय के साथ उठाया गया है । उन्होंने बताया है कि कई अनुपेक्षणीय कारणों से, जैसे कि मौसम की खराबी, इंजन की खराबी आदि, अगस्त 1972 के दौरान इनकी सेवा के सामान्य बने रहने में व्यवधान पड़ गया था । उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि सेवा में सुधार लाने के लिये सभी संभव कदम उठाए जायेंगे । पिछले दो महीनों में रात्रि हवाई डाक सेवा के प्रचालन में काफी सुधार हुआ है ।

Telephone Connections in Bihar

†1290. Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(*a*) the number of telephone connections in Bihar;

(*b*) the total number of telephone connections in Patna and the number of new connections provided during the last one year;

(*c*) the amount of arrears of Telephone bills in Patna giving the break-up of arrears against Government on private subscribers; and

(*d*) the steps taken to realise the arrears?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) (*a*) 39,800 telephone connections were working in Bihar Circle (including Patna Telephone District on 30-9-1972).

(*b*) total number of connections in Patna is 9,790 and 1,284 new connections were provided during the last one year.

(*c*) the amount of arrears of telephone bills in Patna as on 1-9-1972 is Rs. 9·13 lakhs out of which a sum of Rs. 2·69 lakhs relates to Government subscribers and Rs. 6·44 lakhs to private subscribers.

(d) the recovery of arrears is a continuous process. Initially, this is achieved by such steps as disconnection of defaulting subscribers' telephones, then by personal contact and correspondence with subscribers and finally by legal action where necessary. The recourse to law is possible only in case of private subscribers and under the existing procedure, it has to be ensured that there is a reasonable prospect of recovery in such cases.

Kidnapping of Children in Delhi

1291. Shri Shankar Dayal Singh :

Shri Chhatrapati Ambesh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether incidents of child kidnapping in Delhi have increased considerably;

(b) the number of such incidents that came to the notice of Government in Delhi during the last one year; and

(c) the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin). (a) There has been a slight increase in the incidents of kidnapping of children in the current year as compared to last year.

(b) 304 cases were reported during the last one year *i.e.*, from 1st November, 1971 to 31st October, 1972.

(c) action is taken under the law for prevention of the crime, recovery of kidnapped children and punishing of the offenders.

In the year 1972 (upto 31-10-72) 258 children were kidnapped and 232 out of them were recovered and restored to their parents/guardians.

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा कैथोड रे आस्सीलोस्कोप के फास्फर के लिये विकसित की गई प्रक्रिया

1292. **श्री समर मुखर्जी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने 1969 में कैथोड़ रे आस्सीलोस्कोप के फास्फर के लिये एक प्रक्रिया की खोज की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के दल को, जिसमें डा० जे० पी० अग्रवाल, डा० पी० के० घोष और श्री जुनेजा थे, समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या मूल दल के वैज्ञानिकों में मतभेद होने के कारण उपरोक्त परियोजना को पेटेन्ट करवाने के प्रस्ताव को छोड दिया गया है ; और

(घ) क्या प्रयोगशाला ने बाद में इस परियोजना को एक नए दल को सौंप दिया जिसमें श्री जुनेजा को छोड़ कर डा० घोष, श्री एच० पी० नेरे और श्री आर० के० कपूर शामिल थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वर्ष 1966-67 के दौरान डा० जे० पी० अग्रवाल की अध्यक्षता में डा० आर० एच० भावलकर, श्री एस० एल० जुनेजा और डा० पी० के० घोष आदि तीन अन्य

वैज्ञानिकों ने कैथौड रे ट्यूब के लिये फास्फर पर कार्य प्रारंभ किया था। 1968 तक सीमित सफलता प्राप्त हुई थी लेकिन इस फास्फोरस में आयातित फास् फोरस के मुकाबले दर्शनीय संदर्भ में उतनी चमक प्राप्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी।

सितम्बर, 1969 में डा० अग्रवाल ने त्याग पत्र दे दिया और अमरीका चले गये। तत्पश्चात राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) के तीन वैज्ञानिकों डा० पी० के० घोष (परियोजना) अध्यक्ष), श्री एच० पी० नारंग और श्री आर० के० कपूर, की टीम ने स्वदेशी कच्ची सामग्री से टेलीविजन ट्यूब और अन्य कार्यों के लिये फास्फोरस की परास विकसित करने के लिये एक नवीन प्रायोजना का श्रीगणेश किया। जिंक सल्फाईड पाउडर, जिंक सल्फाईड सिल्वर, जिंक सल्फाईड और अन्य फास्फोरस स्वदेशी तरीकों से तैयार करने में इस टीम ने सफलता प्राप्त की है। यह प्रक्रिया जिंक सल्फाईड तांबे (कापर) से उत्तेजित फास्फोरस तैयार करने की प्रक्रिया से भिन्न है।

(ग) डा० अग्रवाल ने पेटेंट दाखिल (फाइल) करने के लिये आज्ञा मांगी थी और उनको इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वैज्ञानिकों ने पेटेंट को लिपिबद्ध नहीं किया, इसलिये इसके लिये आवेदन भी नहीं आये।

(घ) जी हां, नई टीम में श्री जुनेजा को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि परियोजना के अध्यक्ष, डा० जे० पी० अग्रवाल ने शिकायत की थी कि श्री जुनेजा का व्यवहार अत्याधिक अव्यवस्थित और असहयोगपूर्ण है और वे कार्य भी नहीं कर रहे थे। अतः उनका इस परियोजन से स्थानान्तरण कर दिया गया और उनकी लिखित प्रार्थना पर उनको राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) के इलैक्ट्रानिक्स विभाग में नियुक्त कर दिया गया।

औद्योगिक गैस के लिए मशीनों के निर्माण में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का पीछे रहना

1293. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) भारत में औद्योगिक गैस के निर्माण के लिये किन किन कम्पनियों को मशीनों का निर्माण करने के लाइसेंस दिए गए हैं और

(ख) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड जिसे उक्त मशीनें बनाने का लाइसेंस दिया गया था, मशीनों के निर्माण और सप्लाई के मामले में पीछे है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गैसों का उत्पादन करने के लिये संयंत्र तथा मशीनों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित तीन फर्मों को लाइसेंस दिया गया है :–

एकक का नाम	निर्माण की जाने वाली वस्तु जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेस्सल्स लि० विशाखा-पत्तनम।	आक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस पृथकरण संयंत्र।
इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता	परम्परागत आक्सीजन/नाइट्रोजन संयंत्र, आरग शुद्धिकरण/ आक्साइड संयंत्र एसिटिलीन संयंत्र।
इण्डस्ट्रियल गैसेज लि०, कलकत्ता	आकसीजन, नाइट्रोजन और एसिटिलीन संयंत्र।

(ख) मै० इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता ने जनवरी, 1971 में उत्पादन प्रारंभ किया, जबकि उनको औद्योगिक लाइसेंस 5 जुलाई, 1967 को जारी किया गया था। इस कंपनी ने 197 1तथा 1972 में प्राप्त क्रयादेशों पर 14 महीने से 25 महीने तक की वितरण अवधि का उल्लेख किया है।

कुड्डालूर जेल में रखे जा रहे पश्चिम बंगाल के कैदियों का स्थानान्तरण करने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से अनुरोध

1294. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि कुड्डालूर जेल में रखे जा रहे पश्चिम बंगाल के कैदियों का स्थानान्तरण किया जाये ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उनके पुनः स्थानान्तरण पर सहमत हो गयी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तमिल नाडु में कुड्लूर जेल में रखे गये पश्चिम बंगाल के सभी कैदियों को अब रिहा कर दिया गया है। तद्नुसार उक्त कैदियों के पश्चिम बंगाल में पुनः स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना

1295. **श्री गिरिधर गोमांगो:**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1970 में प्रारंभ की गई औद्योगिक लाइसस देने की उदार नीति को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य के लिये सरकार ने कैसी लाइसेंस नीति अपनाई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य उद्योग विकास निगमों द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति में बिलम्ब

1296. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति में बिलम्ब के लिये केन्द्र द्वारा निर्धारित व्यापक औपचारिकतायें और प्रक्रिया को दोष दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनकी क्या मुख्य शिकायतें हैं ; और

(ग) राज्य औद्योगिक विकास आयोग द्वारा प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृति देने में वर्तमान औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये विभिन्न आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों को तेजी से कार्यान्वित करना चाहती है। इस प्रयोजन के लिये इसके बारे में विभिन्न निगमों द्वारा की गई प्रगति की हाल ही में समीक्षा की गई। इस विषय पर गत सितम्बर में राज्य उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी। कठिनाइयों का पता लगाकर तथा उनके उपाय करके इन आशयपत्रों को तेजी से कार्यान्वित करने के सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के साथ समीक्षा और चर्चा की गयी थी।

(ग) राज्य औद्योगिक विकास निगमों के वित्तीय प्रस्तावों पर सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। हां इसका संबंध औद्योगिक लाइसेंस तथा पूंजीगत माल के आयात की स्वीकृति तथा विदेशी सहयोगों के आवेदनों से है, यदि इनमें से कोई इसके अधीन आवश्यक हों। राज्य औद्योगिक विकास निगमों के ऐसे आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिकारियों को दण्ड दिया जाना

1297. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जुलाई, 1972 में की गई जांच के आधार पर भारत सरकार के 85 अधिकारियों को दण्ड दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और

(ग) उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणाम-स्वरूप जुलाई, 1972 के दौरान, भारत सरकार के 85 अधिकारियों को दण्ड दिया गया था।

(ख) इन अधिकारियों में से 11 राजपत्रित अधिकारी थे जब कि 74 अराजपत्रित अधिकारी थे। यह यथोचित न होगा कि अधिकारियों के नाम प्रकट किये जायें।

(ग) अधिकारियों को दिये गये दण्ड के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

		राजपत्रित अधिकारी	अराजपत्रित अधिकारी
1 पदच्युत किए गए		—	8
2 हटाये गये/ सेवा निवृत्त किए गए		1	4
3 सेवा की समाप्ति		—	2
4 अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त		—	6
5 सेवा से त्याग की अनुमति		—	1
6 दर्जा घटाना		—	3
7 वेतन का कम किया जाना		1	7
8 परिलब्धि का रोका जाना		—	7
9 अन्यथा दण्डित		9	36
जोड़	.	11	74

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रोद्योगिकी अनुसंधान के लिए तैयार की गयी योजना

1298. **श्री प्रभुदास पटैल :**

श्री राम शंकर प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने पांचवींयोजना के दौरान प्रोद्योगिकी अनुसंधान के लिए एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्राह्मण्यम) (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्टीय समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के निर्माण में संलग्न है। जो कि देश की समाजिक-आर्थिक योजना का मुख्य अंग होगी। योजना के मसौदे के तैयार होने की संभावना अप्रैल, 1973 के अन्त तक की जाती है।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन

1299. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कच्चे माल की उपलब्धता तथा बिजली के उत्पादन के बावजूद राजस्थान की औद्योगिक प्रगति पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश की तुलना में कम है ;

(ख) क्या राज्य में औद्योगिक प्रगति में रुकावट का एक कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव है ।

(ग) क्या राजस्थान, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, के विकास में केन्द्रीय वित्तीय संस्थान कम रुचि ले रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य में उद्योगों की धीमी गति तथा केन्द्र की तुलना में इसके पिछड़ेपन के कारणों की जांच कर ली है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपबमंत्री (श्री सिद्धेश्वार प्रसाद) : (क) से (घ) पिछड़े क्षेत्रों के बारे में स्थापित पांडे ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान 9 पिछड़े राज्यों में से एक है और इसका पिछड़ेपन में स्थान सातवां है । इसी रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पड़ौसी राज्य राजस्थान से अधिक पिछड़े हुए हैं जिनका पिछड़ेपन में स्थान क्रमश: चौथा और छठा है और पंजाब 9 पिछड़े राज्यों में नहीं है । राज्य सरकार के अनुसार, यद्यपि राज्य में कच्चा माल विशेषतया लोहा और इस्पात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार के पास अवस्थापना विकास और प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं है । फिर भी, विगत दो से तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त/स्वीकृत आवेदन पत्रों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि राज्य ने उद्योग के क्षेत्र में कुछ प्रगति की है । राज्य सरकार औद्योगिक बढौतरी बढ़ाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास औद्योगिक विकास आदि से संबंधित राज्य अधिकरणों का खोलने में बढ़ावा देना आदि विशेष अभ्युपाय कर रही है । राज्य सरकार की रिपोर्ट है कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें राज्य के विकास में काफी रुचि ले रही हैं ।

उदार कृत उद्योगों में उनकी क्षमता के अनुरूप उत्पादन

1300. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 54 उद्योगों को उत्पादन दुगना करन की अनुमति दिये जाने तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रति शत तक अतिरक्त क्षमता के नियमित करने के बावजूद भी इन उद्योगों में वास्तविक उत्पादन वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा है ;

(ख) क्या उक्त रियायतों के दिये जाने के साथ-साथ इन उद्योगों को कच्चे माल तथा विद्युत को सप्पलाई का आश्वासन भी दिया गया था ताकि ये उद्योग उत्पादन बढ़ा सकें और स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकें ; और

(घ) क्या सरकार ने इन उद्योगों के सम्बन्ध में यह जानने के लिए पृथक से कोई अध्ययन किया है कि वे लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर सके और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सभवता यह निर्देश दिनांक 1 जनवरी, 1972 को सरकार द्वारा की गई घोषणा के सम्बन्ध में है । जिसमें कुछ चुने हुए उद्योगों को अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने की अनुमति दी गई है । ऐसी व्यवस्था है कि एक पाली अथवा दो पालियों में काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त उपक्रम अपनी क्षमता तक अधिकतम उत्पादन करने की सामर्थ्य प्राप्त करें । तथा अन्य उपक्रमों के मामले में कतियपय शर्तों के अधीन अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 100 प्रतिशत तक उत्पादन

बढ़ा सकेंगें । यों तो इन उद्योगों को कच्चे माल तथा विद्युत के संभरण के संबंध में कोई ग्राश्वासन नहीं दिया गया था, फिर भी यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये 54 उद्योग प्राथमिकता के ग्राधार पर कच्चे माल के ग्रावंटन के लिये पहले ही प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में रख दिये गए हैं । जबकि इन कतिपय उद्योगों के लिये कच्चे माल का संभरण पूर्णतया गन्ना, कपास, वनस्पति तेल जैसी कृषीय उपज पर निर्भर करेगा, तो भी कुछ ग्रन्य उद्योग ग्रपना उत्पादन इस्पात की उपलब्धि के ग्राधार पर कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं । देश में उत्पादन बढ़ाकर तथा ग्रौर ग्रधिक ग्रायात की ग्रनुमति देकर दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने में समय लगेगा क्योंकि वह कई बातों पर निर्भर करता है । इतने पर भी समक्ष रूप से ग्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ा है । वर्ष 1971 के पूर्वार्ध की तुलना में वर्ष 1972 के पूर्वार्ध में जैसा कि सूचकांक से पता चलता है कि जनवरी से जून, 1972 में 7.5 प्रतिशत ग्रधिक ग्रौद्योगिक उत्पादन हुग्रा ।

कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में किस सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इसकी जांच करने के लिये योजना ग्रायोग तथा ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में समय-समय पर ग्रध्ययन किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान समर्थक षड़यंत्रकारियों की बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल घुसपैठ

1301. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीने में पाकिस्तान समर्थक षड़यंत्रकारियों ने बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की है तथा उनमें से कुछ को पहले ही गिरफ्तार किया गया था ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ग्रौर इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ग्रौर (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ग्रतः संबंधित राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दूर-संचार सुविधाग्रों का विकास

1302. **श्री सी० के० जफ्फर शरीफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूर-संचार सुविधाग्रों का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम बना लिया है ; ग्रौर

(ख) इस समय देश में कितने टैलैक्स एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । देश में दूर-संचार सुविधाग्रों के विकास के लिए "पंचवर्षीय दूर-संचार योजना का मसौदा" तैयार किया गया है ग्रौर उसे योजना ग्रायोग के पास भेज दिया गया है ।

(ख) इस समय देश में 41 टैलैक्स एक्सचेंज ह, जिनकी कुल क्षमता 9780 लाइनों की है ।

दिल्ली में जमाखोरों की गिरफ्तारियां

1303. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, सिविल सप्लाई ग्रधिकारियों द्वारा गत चार महीनों में राजधानी में कितनी बार ग्रचानक निरीक्षण किया गया ग्रौर छापे मारे गये ग्रौर इस बारे में कितने जमाखोर व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ग्रौर उनके पास से कितनी मात्रा में ग्रनाज बरामद हुग्रा ;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : खाद्य तथा सिविल रसद आयुक्त दिल्ली के कार्यालय के निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा राजधानी में लगभग प्रतिदिन ही अचानक निरीक्षण किया जाता है। चार महीनों अर्थात् जुलाई, 1972 से अक्तुबर, 1972 की अवधि में 63 लोग गिरफ्तार किए गए ; पुलिस में दर्ज किए गए मामलों में 88.76 क्विंटल खाद्यान्न प्रकरण सम्पत्ति (केस सम्पत्ति) के रूप में पकड़ा गया।

योजना मंत्री द्वारा रूस यात्रा

1304. **श्री तेजासिंह स्वतन्त्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में सोवियत संघ की यात्रा की थी तथा वहां उच्च-स्तरीय वार्ता की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा तथा बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अन्तः सरकारी आयोग के गठन से सम्बन्धित इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए योजना मंत्री सितम्बर, 1972 में सोवियत संघ गये थे। कुछ विचार विमर्श भी हुआ था।

(ख) आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श हुआ है। यह निश्चय किया गया कि पारस्परिक हित के मामलों पर दोनों देशों के मध्य आगे और विचार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक दूसरे देश की यात्रा की जाय।

औद्योगिक गृहों को लाइसेंस जारी करना

1305. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन को गत तीन वर्षों में सबसे अधिक लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ख) किस प्रकार लाइसेंस दिए गए तथा वे कितने मूल्य के हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण समय समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंससंज" साप्ताहिक "इण्डियन ट्रेड जरनल", और मासिक "जरनल आफ इडण्स्ट्रीज एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। सामान्यतया औद्योगिक लाइसेंस विशिष्ट कीमत की बजाय विशिष्ट क्षमता के लिये जारी किए जाते ह। संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में पारिभाषित बड़े औद्योगिक गृहों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन गृहों के विषय में अलग आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में 20 बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गये लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3762/72)।

कच्चे माल की मांग

1306. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से आने वाले आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल में हाल ही में कुछ कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कच्चे माल की आवश्यकता को अन्य देशों से आयात करके पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कितने कच्चे माल की आवश्यकता होती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ख) अमरीकी सहायता निलम्बित हो जाने के परिणाम स्वरूप यु० एस० ए० से प्राप्त कच्ची सामग्री पर हमें मुक्त विदेशी मुद्रा में अदायगी करनी पड़ी। अनिवार्य आयात की वस्तुओं पर मुक्त विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है जो उधार देने वाले दूसरे देशों अथवा रुपये वाले क्षेत्रों से नहीं मिलती। देश में ही उत्पादन बढ़ाने तथा आयात प्रतिस्थापन को तेज करने हेतु कदम भी उठाए गये हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप यू० एस० ए० से आने वाली कच्ची सामग्री में कमी हुई है सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि य० एस० सहायता निलम्बित होने के कारण अत्यावश्यक कच्ची सामग्री के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रमुख रूप से कच्चे माल आदि के आयात के मल्य के आंकड़े निम्न-लिखित सारिणी में दर्शाये गये हैं—

(करोड़ रुपये में)

किस्म	1969-70	1970-71	1971-72
डी जी टी डी एककों के लिये कच्ची सामग्री पुर्जे तथा फालतू पुर्जे	275	385	253
लघु उद्योग एककों के लिये कच्ची सामग्री पुर्जे तथा फालतू पुर्जे	66	83	118
राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से लाइसेंसी-कृत कच्ची सामग्री आदि	243	445	588
डी जी टी डी स्तर लघु उद्योगतर वास्तविक उपभोक्ता की आवश्यकताओं के हेतु लाइसेंसी-कृत	301	312	368
कुल	885	1,225	1,327

संगीत और नाटक विभाग से वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी

1307. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री संगीत और नाटक विभाग से वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी के सम्बन्ध में 24 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच जांच कार्यवाही समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लेखे की जांच करने पर लेखा प्रक्रिया में कुछ कमियां तथा अपर्याप्त नियन्त्रण पाया गया। कोई धोखेबाजी या गबन नहीं पाया गया। कोई भी वस्त्र, बल्ब इत्यादि गायब नहीं पाये गये ।

(ग) भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उन तत्काल कदमों जो, गीत और नाटक प्रभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उठाये गये हैं, के अतिरिक्त कुछ दूरगामी उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में लघुउद्योग तथा औद्योगिक समूहों में उत्पादन

1310. **श्री दशरथ देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में लघु उद्योग तथा औद्योगिक समूहों के सम्बन्ध में 1972-73 के लिये अनुमोदित सम्पूर्ण परिव्यय का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा उपयोग करने की आशा है ; और

(ख) लघु उद्योगों और औद्योगिक समूहों में अब तक कार्य की कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Government Advertisements to Journals, Souvenirs, etc. Brought out by Political Parties

1311. Shri Onkar Lal Barwa :

Shri G.P. Yadav :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(*a*) the names of the journals and souvenirs etc. brought out by the various political parties in the country during the last three years, which were given Government advertisements?

(*b*) the total expenditure incurred on such advertisements;

(*c*) the cost of the advertisements which were given to such journals and souvenirs but were not published by them and the action taken against the defaulters; and

(*d*) the basis for selection of the journals etc. of the political parties for giving advertisement of

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A statement is attached. [Placed in Library. See No. L. T.—3763/72].

(*b*) Rs. 64,731·00

(c) The question of payment for advertisements in periodicals or souvenirs which were not published at all does not arise as payment is only made after verification of the publication of the advertisement by reference to the voucher copy of the newspaper, periodical or souvenir.

(d) The following considerations are kept in view while selecting newspapers, periodicals, etc. for release of Central Government advertisements—

(i) effective circulation (normally papers having paid circulation below 1,000 are not used);

(ii) regularity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential);

(iii) class of readership;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(v) other factors such as production standards, the language and areas intended to be covered within the available funds;

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

The political affiliation of a paper is not taken into account while releasing Government advertisement to newspapers/periodicals. Advertisements are, however, withheld from such publications as indulge in virulent and persistent propagnda inciting communal passions or preach violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the basic national interests.

Licences for setting up of Industries in Rajasthan

1312. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of Districts in Rajasthan for which licences for the establishment of the industries are under consideration of the Central Government; and

(b) the time by which the decision is likely to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) District-wise information is not maintained. However, as on 30-9-72, 74 applications for the establishment of new industrial undertakings in Rajasthan were under the consideration of Government.

(b) Consideration of industrial licence application necessitates fairly detailed examination of various aspects of the proposals. The disposal of a particular application may get delayed due to a number of reasons beyond the control of Government, as when the applications do not provide complete information in the first instance and additional information is required. Occasionally, policy decisions on the industries concerned are required. Government is, however, making all possible efforts to ensure expenditious disposal of the pending applications.

Launching of a Satellite from Sriharikota Rocket Range

1313. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Space** to state when the scheme for launching an Indian satellite by Indian rocket from Sriharikota near Hyderabad was finalised?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : The study regarding feasibility of launching an Indian space satellite was initiated in April 1968. The feasibility of such a satellite was established in November, 1968. Studies relating to the design of the rocket and satellite are still continuing.

भारत में रूसी समाचारों का वितरण

1314. श्री भालजीभाई परमार :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ने रूसी समाचारों के भारत में वितरण के लिये सोवियत न्यूज एजेंसी "तास" के साथ समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को कितना वित्तीय लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ने निवेदन किया है कि क्योंकि यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया और तास के बीच प्रबन्ध व्यापारिक प्रकृति के हैं, अतएव, उनको प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा ।

दिल्ली में प्रादेशिक परीक्षण केन्द्र

1315. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों के परीक्षण के लिये एक प्रादेशिक परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र आरम्भ करने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में चार प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस संबंध में कुछ और अधिक अनुभव प्राप्त हो जाने के उपरान्त, सरकार जहां भी उचित होगा कुछ और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ।

इन्जीनियरी उद्योग में उत्पादन की दर में वृद्धि

1316. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् इंजीनियरी उद्योग का उत्पादन वृद्धि दर केवल 0.7 प्रतिशत रहा है जबकि 1951–1966 के दौरान वृद्धि दर 17.08 प्रतिशत प्रतिवर्ष था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी योजना की शेष अवधि में इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चूंकि इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर के बारे में अलग सूचकांक संख्याएं नहीं हैं इसलिए यदि मूल धातु उद्योगों, धातु उत्पादों, गैर-विद्युत मशीनों, विद्युत मशीनों और परिवहन उपकरणों की सूचक की संख्याओं को जोड़ा जाये तो 1951 और 1966 के बीच इन उद्योगों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 1967 और 1971 के बीच 3 प्रतिशत की वार्षिक दर की तुलना में 13.4 प्रतिशत के लगभग होगी ।

(ख) 1967–71 में वृद्धि दर में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं--

(1) अवमूल्यनोपरान्त के वर्षों में इंजीनियरी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली मन्दी ।

(2) रेलवे क्षेत्र में योजना-निवेश में कटौती होने से रेल के माल डिब्बों और अन्य रेलवे उपकरणों जैसे कुछ प्रकार के उपकरणों के आर्डर में कमी ।

(3) 1970 और 1971 में इस्पात के उत्पादन में स्थिरता ; और

(4) कुछ प्रकार के उपकरणों जैसे स्थिर डीज़ल इंजनों (ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप) की मांग में गिरावट और इसी के समान अन्य कारण ।

(ग) इंजीनियरी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । योजना निवेश परिव्यय की दर को बढ़ाने के अलावा उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने और उत्पादन क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से चुने हुए उद्योगों को बहुपालियों में काम करने की अनुमति देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं । योजना आयोग में इस बात का अध्ययन करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन में किस प्रकार सुधार किया जाये, एक विशेष दल भी गठित किया गया है ।

पिछड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

1317. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री बैकारिया :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में जिन वस्तुओं के मिलने की संभावना है, उनका सुनियोजित रूप में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में व्यवस्थित सर्वेक्षण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं, सभी मामलों में इन संसाधनों की मात्राओं का पता नहीं है ।

(ख) से (घ) सरकार के अनेक संगठन, पिछड़े क्षेत्रों सहित समस्त देश के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण कर रहे हैं । पिछले साल, सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति और पिछड़े क्षेत्रों समेत देश के विभिन्न संसाधनों के उपयोग के अध्ययन के लिए 12 अभियान दल (टास्क फोर्सिस) नियुक्त किए गए थे ।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अभियान दल (टास्क फोर्स) के प्रतिवेदनों का अध्ययन कर बृहद प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षणों के लिए कार्यक्रम तैयार करें । राज्य सरकारों को यह भी बताया गया है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार विशेष सहायता देगी । राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा उनकी जांच की जा रही है ?

Industrial Complex in Bihar

1319. Shri M.S. Purty :

Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether the Central Government have accorded their approval to the development of industrial complexes in Bihar; and

(*b*) if so, the broad outlines of the schemes approved and the location of the complexes?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Neither the Planning Commission nor the Ministry of Industrial Development has approved any industrial complex as such in Bihar. However, the Central Industrial projects in Bihar are indicated on pages 326 to 330 of the Fourth Five Year Plan Document.

Co-operation of Local M.Ps. and M.L.As. in the Implementation of Plans at District and Block Level

1320. Shri K. M. Madhukar :

Will the **Minister** of Planning be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to seek co-operation from local M.L. As. and M.Ps. in the implementation of Plans at district and block level;

(*b*) if so, whether any action has been taken in that direction; and

(*c*) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) and (*c*) The matter is being discussed with the State Governments.

Communication Commission of UNESCO

1321. Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether while speaking at the Communications Commission of UNESCO recently the Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting stated that the developed countries "which controlled the international news agencies and other media such as satellites" seemed to be interested in "Pumping into developing countries propaganda disguised as news"; and

(*b*) if so, the names of the countries who are engaged in such activities?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) : The Minister of State, in his speech had made only a general observation in this regard. As such the question of naming any individual country in this context does not seem to arise.

मैसूर में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

1322. श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों ने उनसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली तीन मुख्य अथवा औद्योगिक परियोजनाओं जिन पर, केन्द्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है, के बारे में आशय पत्र अथवा लाइसेंस जारी किए जाने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और ये कहां कहां पर स्थापित की जायेंगी, और इन पर कुल कितनी पूंजी खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हाल ही में मैसूर सरकार के उद्योग मंत्री, का औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री से अनौपचारिक विचार विमर्श हुआ जिसमें मैसूर राज्य की परियोजनाओं के अनिर्णीत पड़े आशय पत्रों अथवा औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के संबंध में आगे अनुमति प्रदान करने के प्रश्न की सामान्य समीक्षा की गई । अन्य परियोजनाओं के संबंध में हुई चर्चा के बीच मैसूर स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन तथा निजी निवेशकों व गंगावती सुगंम्स की मान्डय पेपर मिल की नाइलोन

रेशे बनाने वाली परियोजना के विषय में बातचीत हुई। इन परियोजनाओं का स्थान तथा प्रस्तावित पूंजी परिव्यय इस प्रकार होने की आशा है।

	परियोजना का नाम	स्थान	आशयित पूंजी परिव्यय
1	दी मान्डया नेशनल पावर पेपर मिल्स लि०, बंगलौर (मुद्रण तथा लेखन कागज (सी०ओ०वी०)	बेलागुल्ला मैसूर	3.2818 करोड़ रुपये
2	दी मैसूर स्टेट इण्ड० इनवैस्टमेंट एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन, बंगलौर नाइलोन टैक्सटाइल फिलामेंट 40 व 70 डैनीयर ( )	बेंगलोर मैसूर	कुल योजना की लागत 11 करोड़ रुपये
3	दी मैसूर स्टेट इण्ड० इनवैस्टमैंट, एण्ड डवैल्पमेंट कार्पोरेशन लि० बंगलौर (सुपर 172)	गंगावती मैसूर	4.25 करोड़ रुपये

सामग्री आयोजन और नियतन बोर्ड का गठन

1323. श्री सी० चित्तिबाबू

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामग्री आयोजना और नियतन बोर्ड की स्थापना हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा कार्य क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) :—सामग्री आयोजन और नियतन बोर्ड की स्थापना अभी नहीं हुई है क्योंकि इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता, उसकी निश्चित भूमिका तथा विशिष्ट कार्यों के विषय में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सलाह लेना

1324. श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन उद्योगों और उत्पादों के नाम क्या हैं जिन के सम्बन्ध में अप्रैल, 1970 से अब तक औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की सलाह ली गई ;

(ख) इस ब्यूरो द्वारा तब से स्वेच्छा से किए गए अध्ययनों की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस बात का पता किस प्रकार लगाया जाता है कि ब्यूरो का अध्ययन और जांच लाभकारी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उन विशिष्ट उद्योगों के नाम जिन्हें अप्रैल, 1970 से अब तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सलाह ली गई है, दिये गये विवरण में संलग्न है ।

(ख) किसी उत्पाद के स्वेच्छा से मूल्य अध्ययन का कार्य ब्यूरो ने अभी तक नहीं किया है ।

(ग) सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने वाले मामलों में ब्यूरो द्वारा निर्धारित मूल्य साधारणतः स्वीकार कर लिये गये हैं ।

विवरण

उन विशिष्ट उद्योगों और उत्पादों के नामों की सूची जिनमें अप्रैल, 1970 से अब तक ब्यूरो की सलाह ली गई है ।

1 रेलवे द्वारा खरीदा गया स्टीम कोल

2 ट्रैक्टरों में फिट करने के लिये इंजिन और कृषीय टैक्टर

3 साइट्रिक एसिड

4 सोडियम हाइड्रोसल्फाइट

5 क्रायोनाइट और एल्यूमिनियम फ्लोराइड

6 साबून

7 जिंक

8 सेफ्टी रेजर ब्लेड्स

9 बल्क ड्रम्स और फोरमुलेशन्स

10 सूती वस्त्र

11 माइकोलिंस और पाइरीडाइन बेसिस

12 मैथानोल

13 कांडलर ट्रेक्टर और टी०ए०एफ०ए० द्वारा निर्मित दूसरे ट्रेक्टर

14 मिट्टी खोदने तथा निर्माण कार्य के लिये देशीय फालतू पुर्जे

15 वाणिज्यिक गाड़ियां

16 कागज और गत्ते

17 ग्रेफाइट एलैक्ट्रोड्स

18 सिनोलियम

19 औद्योगिक इंजिन

20 फैरो सिलिकन

21 फैरो क्रोम (लो कार्बन)

22 प्लाई वुड

23 लैड कन्सट्रैट

25 डनलप इंडिया लि० द्वारा निर्मित 1500 मि०मी० वाली कनवेयर बैल्टिंग

26 18 जी० शीटों का बेरलों में परिवर्तन (40 से 45 गैलन)

27 टायर और ट्यूवें

28 फारमैल्डिहाइड

29 हैक्सामिन

30 रेजिन

31 रौजिन

32 टरपैंटाइन

33 कपूर

34 शिशु दुग्ध आहार

35 एस्कार्टस ट्रैक्टर्स लि० द्वारा निर्मित फोर्ड 3,000 ट्रैक्टर्स

36 रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले विथवेट और वैसप द्वारा निर्मित चार प्रकार के वैगन

37 पैस्टिसाइडस ।

वृत्त चित्रों का टेलिविजन पर दिखाया जाना

1325. श्री सी० चित्तिबाबू :

श्री मौला मांझी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं ने टेलीविजन पर दिखाने के लिए वृत्त चित्र देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) टेलीविजन पर वृत्त चित्र दिखाने के कार्यक्रम के बदले सरकार द्वारा क अन्य कौन-कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडयूसर्स एसोसियशन द्वारा फिल्म निर्माताओं को टेलीविजन के लिए फीचर फिल्में न देने की सलाह देने के बारे में अखबारों में समाचार छपे हैं, लेकिन इसमें फिल्मों की सप्लाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए "सेल" बनाना

1326. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बनाए गए "सेल" के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस "सेल" द्वारा उन के मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की कठोरता से और अनवरत निगरानी कैसी की जाती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकोष्ठ आफिसर ओरिएण्टेड है और इसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, एक अनुसंधान सहायक और दो अवर श्रेणी लिपिक है ।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों पर कड़ी और सतत निगरानी रखने के लिए उपक्रमों से प्राप्त सावधिक विवरणियों की कड़ाई से जांच की जाती है । उत्पादन विक्री, लाभ और वस्तु सूची आदि के क्षेत्र में उपक्रमों के कार्यो पर कार्य की त्रैमासिक समीक्षाएं तैयार की जाती हैं और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सुझाव दिए जाते हैं । उपक्रमों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए "सेल"

1327. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति "सेल" को अधिकार प्त है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन सुनिश्चित करायें ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों का पालन करते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी कम्पनियों के क्रियाकलापों का विविधिकरण

1328. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम तथा विवरण क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में विविधींकरण के नाम पर अपने कार्यों को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की अनुमति दी गई ;

(ख) इनमें से प्रत्येक फर्म मूलतः किन वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा उसे किस प्रकार की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या यह सरकार की नीति के अनुरुप किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अधिकांश विदेशी हिस्से वाली कंपनियां, इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० आई० डी० आर० ए० 29ख 70/5 दिनांक 18-7-1970 के अंतर्गत के दी गई छूट से लाभ उठाने की पात्र नहीं हैं, जिसके द्वारा उसके लिये उन्हें कुछ सीमा तक और कुछ शर्तों पर बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये नई वस्तुओं का निर्माण करके विविधता लाने हेतु अनुमति दी गई थी। उन अधिकांश विदेशी हिस्से वाली कंपनियों जिन्हें वर्ष 1970 से 1972 (30-9-1972) की अवधि में स्वीकृति औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्र मंजूर किये गये थे, के नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3764/72)

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना में लघु उद्योगों की स्थापना

1329. श्री के० सूर्यनारायण :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में दो लाख और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए 1,50,000 नए एकक स्थापित करने की विस्तृत योजना का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का अनुमानित परिव्यय कितना है और देश में, राज्य-वार प्रस्तावित उद्योग कहां स्थापित किये जायेंगे और वे किस प्रकार के होंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योग विकास संगठन ने योजना आयोग को प्रस्तुत किये गए एक प्रस्ताव में, केन्द्रीय सरकार के 695 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर 20 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोज़गार के अवसर देने की व्यवस्था करने के लिए 2 लाख नए एककों की स्थापना करने का सुझाव दिया है। ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

राज्यों में एपेक्स योजना निकायों की स्थापना

1330. श्री के० सुर्यनारायण : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजना-सम्बन्धी प्रक्रिया में जनता को भाग लेने के लिए प्रेरणा देने हेतु राज्य स्तर पर एपेक्स योजना निकायों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में निचले स्तर पर जनता को आयोजन में शामिल करने के लिये राज्यों को क्या मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि राज्य योजनाओं को अच्छी तरह तैयार करने और उनके कार्यान्वियन के लिए आयोजना संगठन गठित करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे आयोजन प्रक्रिया में लोगों को ठीक प्रकार से सम्मलित करें।

(ख) इस विषय पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है।

छिपे नागाओं की राष्ट्र विरोधी और तोड़फोड़ की गतिविधियां

1331. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं की राष्ट्र विरोधी और तोड फोड की गतिविधियां हाल ही में बढ़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों की जान-माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार 1 सितम्बर, 1972 को नागा नैशनल कौंसिल तथा उससे संबंधित अन्य संगठनों को अवैध गति-विधि (निरोधक) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध घोषित किया था। भूमिगत व्यक्तियों की गतिविधियां पूरी तरह रोक दी गई हैं। इन संगठनों को अवैध घोषित करने से पूर्व भूमिगत व्यक्तियों द्वारा जानबूझ कर कानून का उल्लंघन, हिंसा के कार्यों का सहारा लेने तथा डराने धमकाने की गति-विधियां की जाती रही थी। नागालैण्ड और मनीपुर सरकारों ने अतिरिक्त पुलिस पदों को निर्मित किया है और अन्य आवश्यक उपाय किये हैं ताकि स्थानीय व्यक्तियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधिक सतर्कता बरती जा सके।

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-रूस संयुक्त आयोग की स्थापना

1332. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक लाभ तथा सहयोग के आधार पर आर्थिक तथा औद्योगिक योजना के लिए एक स्थायी भारत–रूस संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) आयोग ने किन मामलों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ; और

(घ) क्या आयोग के अधिकार क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बन्धित विषय आयेंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक अन्तः सरकारी आयोग की स्थापना के बारे में 9 सितम्बर, 1972 को मास्को में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) कार्मिकों की एक सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के मामलों को यह आयोग प्राथमिकता देता है ।

विवरण

भारत सोवियत संयुक्त आयोग में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

1. योजना मंत्री	अध्यक्ष
2. मंत्रिमण्डल सचिव	सदस्य
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4. सचिव, विदेश व्यापार मं ालय	सदस्य
5. सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग	सदस्य
6. सचिव, अन्तरिक्ष विभाग	सदस्य
7. डा० आर० रमन्ना, सदस्य, नैशनल कमेटी आन साईन्स एण्ड टैकनालाजी	सदस्य
8. अपर सचिव (आर्थिक कार्य विदेश मन्त्रालय)	सदस्य

सोवियत प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

1. श्री एस० ए० स्काचकोव	सोवियत आयोग के अध्यक्ष विदेशी आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के अध्यक्ष
2. श्री एल० एन० इफ्रमोव	सोवियत आयोग के उपाध्यक्ष विज्ञान व टैकनालाजी की राज्य समिति के उपाध्यक्ष

आयोग के सदस्य

1. श्री आई० टी० ग्रीशिन	उप-विदेश व्यापार मंत्री
2. श्री एन० एस० इरोफीव	उप-मंत्री, तैल उद्योग
3. श्री ई० एस० मटवीव	उप-मंत्री, हैवी बिजली और परिवहन इंजीनियरी उद्योग
4. श्री वी० ए० सरगीव	विदेशी आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के उपाध्यक्ष
5. श्री ए० के० स्लीविन्सकी	उप-मंत्री, लौहधातु उद्योग
6. श्री बी० बी० स्पैन्दरजन	राज्य योजना समिति के सदस्य, विदेश व्यापार विभाग के प्रमुख

स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मृत्यु दण्ड पाने वाले कैदियों को क्षमादान देना

1333. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मृत्यु दण्ड पाने वाले कितने कैदियों को राज्य वार क्षमादान दिया गया है ;

(ख) क्या कुछ मामलों में किन्हीं विशेष कारणों से क्षमादान नहीं दिया गया ; और

(ग) यदि हां, उन मामलों का विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-10-1972 तक निम्नलिखित राज्यों के कैदियों को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया गया है :—

हरियाणा	1
केरल	8
उड़ीसा	1
पंजाब	10
राजस्थान	2
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	16
दिल्ली	1

(ख) और (ग) जी हां, पांच कैदियों अर्थात् (1) वाल किशन उर्फ वाली आत्मज प्रेम शंकर (उत्तर प्रदेश) (2) मोती राम शाम जी गेदम (महाराष्ट्र) (3) सुचा सिंह आत्मज बख्शीश सिंह (4) बलदेव सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह (5) नाहर सिंह फौजी आत्मज मान सिंह (हरियाणा) के मामलों में ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की शर्तों को उदार बनाना

1334. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामले कितने हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों को 200 रुपये प्रतिमास से कम पेंशन दी गई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या पेंशन देने की शर्तों को और उदार बनाने की घोषणा की जाने वाली है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी तक पेंशन स्वीकृति के लिए, 5,578 मामले अनुमोदित किए गये हैं । इनमें से 2,742 मामलों में प्रत्येक में 200 रुपये से कम की पेंशन निम्नलिखित कारणों से स्वीकृत की गई है

(1) राज्य पेंशन का समायोजन ।

(2) अविवाहित लड़कियों की संख्या के कारण पारिवारिक पेंशनों में अन्तर ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

शीघ्र आशय पत्र जारी करने की प्रतिक्रिया

1335. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नए औद्योगिक उपक्रमों को आशय-पत्र शीघ्र देने की प्रक्रिया के संबंध में कोई अन्तर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय करने के बारे में प्रत्येक संभव प्रयास कर रही है और उन्हें निबटाने की प्रक्रिया की सतत समीक्षा की जा रही है। विचाराधीन आवेदन पत्रों को शीघ्र ही निबटाने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न निदेश जारी किए गये हैं और कदम उठाये गये हैं। इन निदेशों में सबसे पुराना आवेदनपत्रों को शीघ्र निबटाने के लिये विशेष प्रयास करना, विचाराधीन आवेदन पत्रों पर उच्चस्तर पर सामयिक समीक्षा करना, आशय-पत्र जारी किये जाने तक विभिन्न अवस्थाओं पर कार्यवाही पूरी कर लेने के लिये समय सीमा लगाना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूरी औपचारिक छानबीन की प्रतीक्षा किये बिना विचाराधीन अवधि के पश्चात् निलंबित मामलों में स्वतः निर्णय करना, कुछ मामलों की श्रेणियों का विकेन्द्रीयकरण करना और इन मामलों आदि से संबंधित सूचना प्रणाली में संशोधन करना शामिल है।

समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विशेष समिति

1336. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के वित्तीय, ढांचे तथा उनके अन्य पहलुओं से सम्बद्ध विशेषज्ञ समिति ने बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णव लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचार पत्र उद्योग की अर्थ-व्यवस्था की जांच करने के लिये स्थापित की गई तथ्य अन्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देश में जीवन के अन्य क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिए उठाये गये कदम

1337. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चुनावों तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विदेशीं मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिये इस बीच कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) विदेशी संगठनों, एजेंसियों तथा व्यक्तियों से साधारण तथा वास्तविक लेनदेन के अतिरिक्त धन प्राप्त करने पर उचित रोक लगाने के प्रयोजन के लिए कानूनी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । शीघ्र ही संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1338. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि 15 अगस्त, 1972 तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे के अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा । भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 15 अगस्त, 1972 तक 692 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे भारतीय सिविल सेवा / भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 541 थी ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अखबारी कागज नियंत्रण आदेश को रद्द किया जाना

1339. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अखबारी कागज आदेश को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय की जांच की है ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा 1972–73 के लिये अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति के कुछ उपबन्ध रद्द किए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच की जा रही है ।

छोटी कार

1340. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन प्राइवेट पार्टियों को देश में छोटी कार के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं उन्होंने इस दिशा में क्या प्रगति की है ; और

(ख) छोटी कार जनता को कब तक उपलब्ध की जायेगी ।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कार बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की 10 पार्टियों को आशय–पत्र जारी किये गयेहैं । प्रत्येक द्वारा की गई प्रगति निम्न प्रकार है :–

(1) मे० मारूति लि० गुड़गांव (हरियाणा)

299 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है । कार्यालय ब्लाक और चार दीवारी बना ली गई है । 500 अश्वशक्ति की बिजली की फिटिंग पूरी हो चुकी है । कारखाने के मुख्य शेड का निर्माण कार्य 15-5-72 को शुरू किया गया था । 42.06 लाख रुपये मूल्य की मशीने प्राप्त कर ली गई हैं जिसमें से 35.06 लाख रुपये मूल्य की मशीनें लगाई जा चुकी हैं । एक औजार कक्ष, जिग बोरिंग की दुकान एक फांउडरी और एक फोर्ज शाप की स्थापना कर दी गई है । कारों के 41 आद्य-रूप निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं तथा आद्यरूपों को परीक्षण के लिये भेजने की व्यवस्था की जा रही है । अभी 305 आदमी इस कारखाने में कार्य कर रहे हैं ।

(2) श्री एम० एम० मदन मोहन राव, मद्रास

पार्टी ने सचित किया है कि मे० मोहन मोटर्स कम्पनी गठित कर दी गई है तथा 10 लाख रुपये का प्रारंभिक पूंजी निवेश किया जा चुका है । 10 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है । मशीनों के लिये क्रयादेश दिये जा चुके हैं । पाइलट संयंत्र के कारखाने के भवन के डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इंजिन का आद्य रूप तैयार किया जा रहा है ।

(3) मे० स्पीड क्रैफटस प्राइवेट लि० पटना

पार्टी ने 30 एकड़ जमीन खरीद लिये जाने की तथा 15.20 लाख रुपए मूल्य की मशीनें प्राप्त कर लिये जाने की सूचना दी है ।

(4) श्री मनुभाई एच० थैकंर बडौदा (5) मे० एलाइट इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, सलेम (6) श्री सोम प्रकाश रेखी दिल्ली (7) श्रीमति सुलोचना सिंह कानपुर (8) मे० एयर टेक प्रा० लि० नई दिल्ली (9) मे० आनन्द जी हरिदास एण्ड कम्पनी प्रा० लि० बम्बई (10) श्री एस चन्दा नई दिल्ली	इन पार्टियों को हाल में ही आशय-पत्र जारी किए गये हैं और आशयपत्र की शर्तों की कार्यान्वियन सम्बन्धी प्रगति का इस समय अनुमान लगाना समय से पूर्व होगा ।

जिन पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गये हैं वे नये उद्यमी हैं और उन्हें बिना किसी विदेशी सहयोग अथवा परामर्श के अपना डिजाइन तैयार करना है । तदुपरान्त उनके आद्य रूप तैयार करक व्यापारिक उत्पादन करने के पहले उसकी सड़क सम्बन्धी उपयुक्ता की जांच करानी अनिवार्य है । इन कारवाईयों में अनिवार्य रूप से कुछ समय लगेगा । अतः इस समय यह बता सकना कठिन है कि पार्टियों द्वारा तैयार की गई कार बिक्री के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगी ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन ग्रावेदन पत्र

1341. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एम० ग्रार० गोपाल रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में ग्रक्तबर 1972 के ग्रन्त तक नये टेलीफोन क्नेक्शनों के लिये कितने ग्रावेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1973 तक कितने ग्रावेदकों को नये टेलीफोन कनेक्शन मिलने की सम्भावना है; ग्रौर

(ग) इस सम्बन्ध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्रीहेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ग्रौर इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

योजना ग्रायोग द्वारा चलाया गया सघन उत्पादन कार्यक्रम

1342. श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग ने बढ़ते हुए मूल्यों में उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये एक सघन उत्पादन कार्यक्रम ग्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य रुपरेखा क्या है ;

(ग) उक्त कार्यक्रम को लागू करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; ग्रौर

(घ) इस कार्यक्रम की मूल्यों, विशेषकर ग्रावश्यक–वस्तुग्रों के मूल्यों पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन स्थिति से प्रभावी रूप से केवल कृषि एवं ग्रौद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाकर हीं निपटा जा सकता है जिसमें ग्रावश्यक वस्तुग्रों पर विशेष ध्यान दिया जाय । ग्रतः ग्रधिक उत्पादन के लिये विभिन्न उपाय किए गए हैं । कृषि के क्षेत्र में सूखा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप खरीफ उत्पादन (1972–73) में संभावित कमी को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने 1972–73 की रबी की फसल के लिये एक ग्रापत्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ कर रखा है ।

ग्रौद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र, वनस्पति, चीनी ग्रादि किसी ग्रावश्यक उपभोक्ता वस्तुग्रों का उत्पादन कच्चे माल, जैसे कि कपास तथा तिलहन की उपलब्धि पर तथा गन्ने की उपलब्धि पर निर्भर है जो कि कृषि उत्पादन के ग्रापत्कालिक कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत ग्राता है ।

(ख) ग्रापत्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम में ये सम्मिलित है खरीफ फसलों की क्षतिपूर्ति के उपाय करना, सिंचाई के जल के संभरण को बढ़ाना तथा रबी तथा गर्मी की फसलों के उत्पादन को बढ़ाना । इस कार्यक्रम में जल संसाधनों की व्यवस्था खरीफ द्वारा की गई खेती को सुधारने तथा

गेहूं, गर्मी में पैदा होने वाले धान, चना तथा ज्वार की रबी की खेती की प्रोन्नति के लिये कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) यह कार्यक्रम मुख्य रूप से रवी तथा गर्मी की फसल के उत्पादन को बढ़ाने तथा खरीफ उत्पादन की हानियों को पूरा करने से संबंधित है अतएव इसकी सफलता आगामी फसलों की कटाई के बाद ही जानी जा सकेगी।

(घ) मूल्यों पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा इसे इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता।

मैसर्स मारुति एण्ड कम्पनी लिमिटेड को छोटी कार के निर्माण का लाइसेंस देना

1343. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति एण्ड कंपनी को हरियाणा में एक छोटी कार फैक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो पूरी परियोजना की लागत कितनी होगी, और

(ग) उसके वित्तीय संसाधन क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) मै० मारुति लिमिटेड को, प्रति वर्ष 50,000 यात्री कार निर्माण करने के लिये गुड़गांव हरियाणा में नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिये आशय पत्र दिया गया है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिये अपने आवेदन पत्र में पार्टी ने बताया था कि अनुमानित पूंजी 372.51 लाख रुपये के लगभग होगी।

(ग) विशेष संसाधनों के बारे में सरकार को अभी सूचना नहीं दी गई।

प्राथमिकता वाले उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियां

1344. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) गत तीन वर्षों में प्राथमिकता वाले उद्योगों की कितनी विदेशी कम्पनियों को विविधीकरण करने के नाम पर, उपभोक्ता, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है :

(ख) ऐसी विदेशी कम्पनियों का नाम क्या हैं तथा उनका व्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी मूलतः किस वस्तु का उत्पादन करती थी; और

(घ) उनमें से प्रत्येक किस प्रकार के विविधीकरण की अनुमति दी गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नई वस्तु का उत्पादन करने की इच्छुक कम्पनियों उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेकर ऐसा कर सकती हैं। इसमें विनियोजन को दृष्टि में नहीं रखा जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये किसी भी विदेशी कम्पनी को 1970, 1971 और 1972 (30.9.72 तक) की अवधि में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कंपनियों की क्षमता का विस्तार

1345 श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 32 बड़े औद्योगिक गृहों तथा अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कंपनियों को उसी पद्धति के अन्तर्गत जिसम अधिष्टापित पूरी क्षमता के पूरे प्रयोग का अह्वान दिया गया है 65 प्रमुख उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो बड़े व्यापार गृहों तथा विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितना कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या इन सभी व्यापार गृहों तथा विदेशी कंपनियों पर गैर–कानूनी ढंग से अधिष्ठापित क्षमता से अधिक माल उत्पादन करने के लिये आरोप लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि इस कथित गैर कानूनी विस्तार के कार्य को नियमित किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक गृहों और अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कंपनियों से संबंधित 54 औद्योगिक उपक्रमों के मामले में बढ़ी हुई क्षमता को मान्यता दे दी है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–3765/72]

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्षमताओं के अनधिकृत विस्तार के कुछ मामलों का उल्लेख किया था। इस अप्रकार के 45 मामलों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 4–एफ में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद सदस्यों को परिचारित की गई हैं। ये 45 मामले बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग सरकार आयोग को भेज दिए गए हैं।

(घ) लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने के लिये अब जो स्वीकृति दी जाएगी वह सरकार आयोग की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात् सरकार जो कार्यवाही करने का निर्णय लेगी, उसके पूर्वग्रह के बिना होगी।

Appointment of a Commission to Review the Progress of Hindi

1346. Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether more than 50 M.Ps. had demanded through a memorandum that a Commission may be appointed to review the progress of Hindi made so far and to remove the causes responsible for the obstacles in its progress;

(*b*) whether an Urdu Commission has already been set up to collect information about literary activities of Urdu language and to encourage its development; and

(*c*) if so, the reasons for delay in the appointment of Hindi Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(*b*) Ministry of Education have set up a Committee to advise the Government on the measures to be adopted for the promotion of Urdu language and the steps required to be taken to provide adequate facilities for Urdu speaking people in educational, cultural and administrative matters;

(*c*) In view of the fact that Salahkar Samities are already functioning in Ministries of Home, Education, Information & Broadcasting and Law and Justice, for reviewing the progress in the progressive use of Hindi for official purposes and its propagation and development and a Parliamentary Committee will also be constituted after 26th January, 1975 for this purpose, it does not seem necessary to set up another Committee at this stage.

रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन के स्विच बनाने का कारखाना

1347. श्री राम प्रकाश :

श्री सत्य चरण बेसरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायबरेली (उत्तर प्रदेश) नें टैलीफोन के स्विच बनान का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ग्रौर इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित कारखाना टैलीफोन स्विचिंग उपकरण बनायेगा । पूरी तरह बन जाने पर इसकी उत्पादन क्षमता 3 लाख स्विचिंग उपकरण होगी । कारखाने की कुल पूंजीगत लागत का ग्रनुमान 19 करोड़ रुपये है । इस कारखाने में 8,000 से ग्रधिक कुशल, ग्रकुशल, ग्रर्द्ध-कुशल तथा ग्रन्य श्रेणी के लोगों को नौकरी मिलने की सम्भावना है ।

नेताजी जांच ग्रायोग द्वारा फारमोशा का दौरा

1348. श्री समर गुह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रधिकाँश विपक्षी दलों के नेताग्रों ग्रौर ग्रनेक सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के संसद् सदस्यों ने सयुंक्त रूप से प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे यह ग्रनुरोध किया है कि वह इस बारे में समुचित कदम उठायें कि नेताजी जांच ग्रायोग फारमोसा में ताइहोको (ताईपेह) स्थान पर जाकर उस स्थान ग्रौर उससे संबंधित ग्रन्य मामलों की स्थल-जांच कर सके जहां यह बताया गया था कि वहां वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुग्रा था जिसमें नेताजी थे ;

(ख) चूंकि नेताजी जांच ग्रायोग एक न्यायिक ग्रायोग है, इसलिए क्या यह सही है कि इसका फारमोसा का दौरा करने से उनके साथ हमारे कटनीतिक संबंधों का मामला बीच में नहीं ग्राता ; ग्रौर

(ग) क्या नेताजी ग्रायोग की स्थापना के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने क लिए सरका इस बारे में उचित कदम उठायेगी कि यह ग्रायोग ग्रविलम्ब फारमोसा जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार के लिये औपचारिक रूप से ताईवान सरकार से आवश्यक बीजा देने के बारे में कहना संभव नहीं है क्योंकि ताईवान सरकार के साथ हमारे कोई कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। तारांकित प्रश्न संख्या 765 के पूरक प्रश्नों का 10 मई, 1972 को उत्तर देते समय स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की गई थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

आसाम में भाषायी दंगों के संबंध में भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रतिवेदन

1349. **श्री समर गुह** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आसाम राज्य में भाषायी दंगों के संबंध में इस राज्य के भाषायी अल्पसंख्यकों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए लिखित आभ्यावेदनों का पाठ क्या है और प्रधान मंत्री से हुई बैठक में भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य कौन से मामले उठाये गये ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) असम के भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं से निम्नलिखित विषयों से संबंधित अनेक अभ्यावेदन, तार, ज्ञापन प्राप्त हुए हैं --

(1) वर्तमान भाषा विवाद से उत्पन्न असम में दंगे ।

(2) भाषाजात अल्प संख्यकों के संरक्षण के लिए अनुरोध ।

(3) असम में पूर्व विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी को बनाये रखना ।

(4) असम में दंगों के कारणों की जांच के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायिक आयोग की नियुक्ति ।

(5) असम और मेघालय राज्यों में विकास कार्यक्रम के बारे में सुझांव ।

संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना

1350. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की दार्जिलिंग यात्रा के दौरान नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करना मान लिया था ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के नेपाली भाषी लोगों की वास्तव में क्या आश्वासन दिया था ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नेपाली भाषा लोगों को भाषाई आकांक्षाओं का आदर करने के लिए कुछ उपाय किये हैं और यदि हां, तो यह उपाय क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे उपयुक्त अवसर पर यह विचार विमर्श करने की इच्छुक हैं कि नेपाली भाषी लोगों की भाषाई आकांक्षाओं को किस प्रकार यथोचित रूप से संतुष्ट किया जा सकता है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज भाषा अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार जिला दार्जिलिंग के तीन पहाड़ी सबडिवीजन नामतः दार्जिलिंग, कालिंपोंग तथा कुरसेओंग में नेपाली भाषा को अतिरिक्त राज भाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्य में शैक्षणिक क्षेत्र में प्राथमिकता तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर नेपाली भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नेपाली भाषी छात्र स्कूल फाइनल तथा पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए नेपाली भाषा को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में ले सकते हैं। प्राथमिक भाषा के रूप में नेपाली पढ़ने वाले छात्र इन परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर नेपाली में भी लिख सकते हैं। विश्वविद्यालय (बी० ए०/बी० एस० आनर्स) स्तर पर नेपाली पढ़ाने के लिये कलकत्ता, उत्तरी बंगाल तथा बर्दवान विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है।

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को 10 प्रतिशत राज सहायता का लाभ

1351. **श्री पी० नरसिंहा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े देश के और अधिक भागों में नये उद्योगों को 10 प्रतिशत राज सहायता का लाभ देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाभ अब किन क्षेत्रों को दिया जायेगा, और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा के सब पिछड़े जिलों को यह लाभ दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना को अब पिछड़े घोषित राज्यों के 6 जिलों/क्षेत्रों के लिए और शेष राज्यों के तीन जिलों के लिए लागू कर दिया है। सहायता, जैसा कि योजना में परिभाषित किया गया है नये एककों के लिए और वर्तमान एककों के पर्याप्त विस्तार के लिये उपलब्ध है।

(ख) अब तक इसके अन्तर्गत लिये गये अतिरिक्त क्षेत्रों की सूची संलग्न है।

(घ) जिलों/क्षेत्रों का सहायता के लिये चयन राज्य सरकारों के स्वविवेक पर निर्भर है।

विवरण

उद्योगों के अचल पूंजी विनियोजन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये चुने गये पिछड़े अतिरिक्त जिलों/क्षेत्रों की सूची।

1. आसाम	कामरूप, नौगांव और कछार चुने गये। चौथा जिला अभी निश्चित नहीं किया गया।
2. बिहार	चम्पारन, पालामऊ, सहरसा और सन्थालपरगना।
3. केरल	कैलानूर और मलापुरम।
4. महाराष्ट्र	औरंगाबाद और चांदपुर।
5. मैसूर	मैसूर और धरवार
6. नागालैण्ड	त्वेनसंग

7. उड़ीसा	बौलनगिर, धेनकानल, किन्झार और कोरायुत
8. पंजाब	संगरूर और भटिण्डा (जैसा 31-7-72 को था)
9. राजस्थान	भीलवाड़ा, चूरू, नागपुर और उदयपुर
10. उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद और रायबरेली
11. गुजरात	सुरेन्द्रनगर और बरोच

आंध्र प्रदेश में रायल सीमा में उद्योगों की स्थापना

1352. **श्री पी० नरसिंहा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को कितने आशयपत्र किन किन उद्योगों के लिये दिये गये हैं ?

(ख) उनमें से कितने आशय पत्र लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिये गये हैं और उन उद्योगों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े हुए जिले रायलसीमा में भी इनमें से कोई उद्योग स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सहित आन्ध्र प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 1–1–1969 से 30–9–72 की अवधि में 13 आशय पत्र जारी किए गये। इनमें से कोई भी अभी तक लाइसेंस में परिणत नहीं किया गया है। ये सभी कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। इनमें से चार आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के बारे में हैं।

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गहन रूप से लागू करना

1353. **श्री पी० नरसिंहा रेड्डी :** क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा विकास बोर्ड ने यह अनुरोध किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गहन रूप से लागू करने के लिए रायलसीमा के चार सूखाग्रस्त जिलों को चुना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री पी० सुब्रमण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) रायलसीमा के योजना एवं विकास बोर्ड को यह सूचित कर दिया गया है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) परीक्षण के तौर पर, पिछड़े इलाकों के एक जिले में विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी एक नया कार्यक्रम लागू करने जा रही है। अतएव, सी० एस० आई० आर० द्वारा बोर्ड के इस प्रस्ताव पर इस प्रकार की गतिविधियों में कुछ अनुभव प्राप्त करने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को मान लिया है कि प्रथम परीक्षण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पड़ने वाले प्रभाव को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के तौर तरीके ढूंढने के लिये करीम नगर जिले में प्रयोग किया जाय।

दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज का कार्यकरण

1354. **श्री दिनेश चन्द गोस्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दिल्ली के ट्रक एक्सचेंज के बुकिंग सहायता तथा सूचना एकक बहुत असंतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। ट्रंक बुकिंग और ट्रंक असिस्टेंस पोजीशनों पर जितनी कालें आती हैं, उनमें से ट्रंक बुकिंग की करीब 90 प्रतिशत और ट्रंक असिस्टेंस की 75 प्रतिशत कालों के जवाब 10 सेकण्ड के भीतर दे दिये जाते हैं। उपभोक्ताओं की पूछताछ का जवाब देने के लिए सूचना देने वाली पोजीशनों पर सक्षम कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। ट्रंक असिस्टेंस पोजीशनों पर प्राप्त उन कालों में से जिनके डाकेट बनाए जाते हैं, 80 प्रतिशत कालों का निपटारा 10 मिनट के भीतर कर लिया जाता है और 18 प्रतिशत कालों का जवाब 10 से 15 मिनट के भीतर दे दिया जाता है। सिर्फ 2 प्रतिशत कालें ही ऐसी होती हैं, जिनके निपटारे में 15 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। इन कतिपय कालों के निपटारे में विलम्ब का कारण यह होता है कि इनके ट्रंक काल टिकटों का निपटारा पहले ही हो चुका होता है और उन्हें ट्रंक एक्सचेंज की टिकट मूल्यांकन (इवैलुएशन) यूनिट में ढूंढना पड़ता है।

(ख) ट्रंक एक्सचेंज की इस सेवा पर लगातार निगाह रखी जाती है और जनता को अच्छी सेवा मिलती रहे, इसके लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

Introduction of T.V. in Srinagar and Bombay

1355. Dr. Laxminarayan Pandey :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(*a*) whether T. V. service has been introduced in Srinagar and Bombay; and

(*b*) if so, since when and the area likely to be covered by these services?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) Bombay TV Station has been commissioned with effect from 2nd October, 1972. Approximate area of coverage of this TV Station is 13,500 square kilometres. Srinagar TV Station has not yet been commissioned. It will cover an area of 23,000 square kilometres.

पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजना

1356. **श्री कुशोक बाकुला :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दृष्टिकोण को अंतिम रूप देते समय सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषतया लद्दाख, के विकास हेतु कोई विशेष मानदंड अपनाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज़ को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चमड़ा उद्योग में संकट

1357. **श्री राजदेव सिंह** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में चमड़ा उद्योग अच्छी दशा में नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में चमड़े का उत्पादन बढ़ रहा है और चमड़े के निर्यात में बढ़ोतरी के साथ अनेक निर्यातक एकक भी स्थापित किये जा रहे हैं । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उद्योग अच्छी दशा में नहीं है । चमड़े की वस्तु निर्माण करने वाले विशेषतया लघु क्षेत्र के एककों ने हाल के महीनों में चमड़े की कीमतों में मंहगाई महसूस की है जो कि चमड़े के बढ़ते हुए निर्यात के क्रया-देशों के कारण से हुई है ।

(ख) और (ग) चमड़े की वस्तुओं के निर्यात और उत्पादन को बढ़ाने के लिये सभी प्रोत्साहन दिये गये हैं । चमड़ा उद्योग के विकास की जिम्मेदारी बड़े क्षेत्र में तकनीकि विकास के महानिदेशालय की है और लघु क्षेत्र में लघु उद्योग विकास संगठन की और कुटीर क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग की है । चमड़ा उद्योग के संबंधित विभिन्न संगठनों की गतिविधियों का समन्वय चमड़ा उद्योग और चमड़ा विकास परिषद द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था और कुछ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों ने विभिन्न प्रकार के चमड़े के उत्पादन हेतु उपयुक्त औद्योगिकी का विकास किया है । निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा स्थापित आगरा में स्थापित डिजाइन केन्द्र ने निर्यात के लिये चमड़ा उत्पादकों के लिये चमड़े के जूतों के विभिन्न डिजाइनों का विकास किया है ।

चमड़ा उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चा माल देश में ही उपलब्ध हो जाता है और आयातित कच्चे माल की जरूरत बहुत कम है । फिर भी इस उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता की वृद्धि के विचार से, कच्ची खालें और वेजीटेवल टेनिग एक्सट्रेक्टस जैसे वेटल एबस्ट्रेक्ट आदि को आम लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर आयतित करने की स्वीकृति है । निर्यातकर्ताओं को उनके द्वारा किये गये निर्यात के बदले में आयात संपूर्ति लाइसेंस भी दिये गये हैं ।

उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम

1358. **श्री राजदेव सिंह** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व भारत ने यूनेस्को में ऐसा विचार रखा था कि उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने से पूर्व,, प्रसारण करने वाले देश को प्रसारण पाने वाले देश की पूर्वानुमति लेनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक विश्वपर्यन्त सभी देशों की प्रतिक्रियायें उपलब्ध हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कौन–कौन से देश प्रस्ताव के विरुद्ध हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सीधे उपग्रह प्रसारण के प्रयोग के लिये मार्ग-निर्देशक सिद्धांतों पर घोषणा का एक मसौदा बनाने के प्रस्ताव को यूनेस्को की साधारण सभा के 15 वें अधिवेशन में 1968 में भारत समेत कई देशों ने प्रायोजित किया था।

(ख) यूनेस्को की साधारणसभा के 17वें अधिवेशन, जो हाल ही में पेरिस में खत्म हुआ, की कार्य-सूची में 12 विशषज्ञों, जिसमें एक भारतीय भी शामिल था, की एक समिति द्वारा बनाया गया घोषणा मसौदा था। घोषणा का मसौदा ऊंचे बहुमत द्वारा पारित हुआ।

(ग) घोषणा के इस मसौदे के विरुद्ध जिन देशों ने मत दिया वे थे, अमरीका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलेंड, स्कैंडीनेविन देश, जापान तथा कुछ अन्य।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल द्वारा सुसंहत "अम्पलाइडीन सैट" का निर्माण

1359. श्री राजदेव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के औद्योगिक मशीन प्रभाग ने हाइड्रो जैनरेटर की गति पर नियंत्रण रखने के लिये देश में पहली वार एक सुसंहत 'अम्पलाइडीन सैट', जो इससे पूर्व आयात किया जाता था, का सफलतापूर्वक डिजाइन तैयार किया तथा उसका विकास और निर्माण किया है ;

(ख) क्या इसका निर्माण वाणिज्यिक स्तर पर आरंभ किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और

(घ) यदि नहीं, तो वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण कार्य आरंभ करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी मुद्रा में हुई वार्षिक बचत मुख्य रूप से उत्पादित सैटों की संख्या और संभावित देशीय निर्माण पर तथा अन्यथा आयातित किये जाने वाले सैटों पर निर्भर करती है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 की अवधि में क्रमशः 50 हजार, 2.1 लाख और 2·3 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र और मैसूर सीमा विवाद

1360. श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गये हैं कि उनके राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उसे पंच फैसले के लिये प्रधान मंत्री को सौंपा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विवाद को निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) ऐसा कोई समझौता सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चे माल के आयात के लिये लघु उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

1361. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के आयात के लिये लघु उद्योगों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) लघु क्षेत्र के लिये आवश्यक कच्ची सामग्री के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के आवंटन की राशि कोई नियत नहीं है। घोषित नीति के अनुसार जब कभी भी लघु क्षेत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं उन्हें आयात के लिये लाइसेंस प्रदान किया जाता है । विगत तीन वर्षों में लघु क्षेत्र के एककों को दिये गये लाइसेंसों का मूल्य इस प्रकार है :–

1969–70	66 करोड़ रुपये
1970–71	83 ,,
1971–72	118 ,,

बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लघु क्षेत्र को दिये गये लाइसेंसों में निरन्तर वृद्धि ही हुई है ।

आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम

1362. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विज्ञापन कार्यक्रम (कमर्शियल प्रोग्राम) सफलतापूर्वक चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष में (वर्षवार) कितना लाभ हुआ ; और

(ग) कितने स्टेशनों से यह कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख)	1969–70	1,60,97,853 रुपये	अन्तिम
	1970–71	2,07,19,338 रुपये	
	1971–72	2,95,85,524 रुपये	

Per Capita Income of Madhya Pradesh

1363. Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state the per capita income in Madhya Pradesh as compared to the average national per capita income?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : On the basis of the average of the years 1962—65 for which comparable estimates of per capita State income are available with the Central Statistical Organisation, the per capita State income of Madhya Pradesh at current prices was Rs. 325 against the all India average of Rs. 372. Figures of per capita State income on a comparable basis for later years are not available.

Production of T.V. Sets during Fourth Plan

1364. Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(*a*) whether the demand for television sets is increasing in the country; and

(*b*) if so, whether Government have formulated some schemes to produce television sets in the Fourth Five Year Plan, and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Government had decided to set up a capacity of about 2,00,000 TV sets per annum during the Fourth Five Year Plan period. This was based on a survey conducted by the All India Radio. Government have issued Licences/Letters of Intent and approvals for a capacity of over 2·8 lakh TV sets per annum to various entrepreneurs in the small scale sector and to the organised sector; these also include Public Sector Undertakings and State Industrial Development Corporations. A substantial portion of this capacity is likely to be established during the coming year. A continuous watch is being kept on the demand and production and further capacity would be created as and when necessary.

Increase in backward districts in the country and M.P.

1365. Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether the number of backward Districts has been increased for the purpose of establishing industrial units in the country;

(*b*) if so, the number of such Districts in Madhya Pradesh; and

(*c*) the amount sanctioned district-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) & (b) Yes, Sir. For the purpose of Ten Per cent Central Subsidy or Grant Scheme, 1971, it has been decided to increase the number of districts/areas from 3 to 6 in respect of States declared as backward and from 1 to 3 in respect of the other States. The selection of additional districts/areas in respect of Madhya Pradesh have not yet been decided.

(*c*) The State level Committee have sanctioned (not yet disbursed) the 10% subsidy to 9 units as under :

Districts	No. of Units	Amount sanctioned
		Rs.
Raipur	4	49,053
Dewas	3	471,133
Guna	2	2,501
	9	522,687

राज्यों को समाज-विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई हिंसात्मक स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सहायता

1366. श्री ई० बी० बिस पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई हिंसात्मक स्थिति का सामना करने के लिये विभिन्न राज्यों को बहुत बार केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) हिंसा के कारण राज्यों को कितनी हानि उठानी पड़ी है और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बेल्जियम की फर्म के साथ करार

1368. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने हाल ही में बेल्जियम की एक फर्म के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का स्वरूप तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल

1369. श्री बेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन लघु उद्योगों को संगठित क्षेत्र के बराबर माना जाता है उन को कच्चे माल

की उपलब्धता के बारे में विवरण तैयार कर लिए गए हैं ;

और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) लघु उद्योगों को उनकी क्षमता के आधार पर बड़े उद्योग एककों के समान, समान उद्योगों के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमा के अन्दर कच्चा माल आवंटित करने का सिद्धांत रूप में निश्चय किया गया है ।

तकनीकी सहायकों के पदों का भरा जाना

1370. श्री भागीरथ भंवर :

क्या **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में अब तक तकनीकी सहायकों के कितने पदों को भरा गया है और अभी कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग में तकनीकी सहायक के लिये न्यूनतम शैक्षक अर्हताएं क्या हैं ; और उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो केवल मैट्रिक पास हैं और इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या तकनीकी सहायक का कोई पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को दिया गया है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति में छै वरिष्ठ तकनीकी सहायक और विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग (विशेष) में एक अवर तकनीकी साहयक के पद हैं । वरिष्ठ तकनीकी सहायक के छै पदों में से दो को भर लिया गया है तथा चार अभी रिक्त हैं । अवर तकनीकी सहायक के पद को कृषि मंत्रालय से एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से भरा गया है ।

(ख) वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं ; इन्जीनियरिंग विज्ञान में स्नातक की उपाधि है ।

अवर तकनीकी सहायक के भर्ती नियमों को अभी तक नहीं बनाया गया है । उपस्थित जो व्यक्ति इस पद पर कार्य कर रहा है वह मैट्रिक है तथा उसे कृषि मंत्रालय से एक ऐसे अवसर पर लिया गया है जब कि विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग की स्थापना की जा रही थी और जिसे एक अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता थी ।

(ग) नहीं श्रीमान जी । परन्तु अनुसूचित जाति अनुसूचित वर्ग के योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना को रिक्त पदों को भरने के समय ध्यान में रखा जायेगा ।

सरकारी कोटे से स्कूटर लेने के लिये पात्रता

1371. श्री भागीरथ भंवर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये क्या न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया है जो गैर-प्राथमिकता आधार पर सरकारी कोटे से स्कूटर लेने के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन की सीमा को गत 10–15 वर्षों के दौरान दो तीन बार बढ़ाया गया है और जिस के परिणामस्वरूप अनेक आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के स्कूटर लेने के कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये स्कूटरों के कोटे की प्रतिशतता आरक्षित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनका न्यूनतम वेतन 350 रुपये प्रति मास (भत्ता सहित) है आवेदन के पात्र हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बिना बारी के आधार पर स्कूटरों के आवन्टन का अलग से कोई कोटा नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने म कथित कदाचार

1372. श्री सत्य चरण बेसरा :

श्री राम भगत पास्वान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने में कदाचार की शिकायतें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने में कदाचार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु ऐसे आरोपों की कुछ सामान्य शिकायतें कुछ व्यक्तियों को जो कि स्वतंत्रता संग्रामी नहीं हैं पेंशन दी गई है प्राप्त हुई है और उनकी जांच की जा रही है । सभी दावों को सावधानी से छानबीन करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृत की जाती है । उन व्यक्तियों को जो वास्तव में पात्र नहीं हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हतोत्साहित करने के लिये सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्रों की स्वीकृत मामलों का क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक प्रचार करने के लिए अनुदेश जारी किये गए हैं ।

फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों के बारे में प्रतिवेदन

1373. श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उस सचिव ने जो फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों के संबंध में तथ्यों का पता लगाने गये थे ; अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि भारत सरकार का कोई सचिव फिरोजाबाद व वाराणसी में हुए दंगों के तथ्यों

का पता लगाने के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मुख्य सचिव को मामले की जांच करने के लिये कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी जांच से सम्बद्ध किया जाय। तद्नुसार गृह मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव जांच कार्य में संलग्न है। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी गई है जो उनके विचाराधीन है ।

मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1374. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :**

श्री रोबिन काकोटी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम के मुख्य मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ती हुई अराजकता पर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां तो मिजोरम में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजोरम के मुख्य मंत्री ने 19 सितम्बर को एक आकाशवाणी प्रसारण में भूमिगत मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के कारण मिजोरम में बिगड़ती हुई विधि तथा व्यवस्था को स्थिति पर चिन्ता प्रकट की थी।

(ख) मिजोरम प्रशासन द्वारा विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं। भूमिगत विद्रोहियों की आम मुआफी की अवधि 30 सितम्बर को समाप्त हो गई है। मिजोरम के सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों के प्रति पूर्ण सतर्कता बर्ती जा रही है।

Lal Bahadur Shastri Academy of Administration

1375. Shri M.C. Daga :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(*a*) the purposes of Lal Bahadur Shastri Academy of Administration; and

(*b*) the concrete steps taken or proposed to be taken by the Academy to eliminate completely red-tapism, dis-honesty, inaction and complacency etc. from administration ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The purposes of Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, are—

(*i*) to provide post-entry foundational training to the new recruits to the All India Services and the Central Services, Class I to which recruitment is made through the combined competitive examination;

(*ii*) to provide professional training to IAS or probationers;

(*iii*) to organise refresher courses for I.A.S. officers of 6—10 year's seniority;

(*iv*) to provide for in-service training to middle level officers of the All India Services and Central Services, Class I as well as officers of State Governments and Public Undertakings;

(*v*) to conduct seminars and conferences of officers of senior level and create a forum for exchange of administrative ideas and experience;

(*vi*) to conduct field studies in public administration;

(*vii*) to publish teaching material for training officers in the discipline of public administration;

(*viii*) to publish articles, research papers, syndicate group reports-case studies, book reviews, notes and comments on various as, pects of public administration through the Academy's journal.

(*b*) While imparting training to the probationers and officers, the need for maintaining integrity in administration and for eliminating redtapism, inaction complacency, etc. is impressed upon them.

बेरोज़गार व्यक्तियों के लिये रोज़गार

1376. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के अन्त तक कितने लाख लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता है और अब तक कितने लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) बाकी बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3766/72)

भूतपूर्व नरेशों द्वारा सम्पत्तियों का बेचा जाना

1377. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व नरेश अपने परिवारों के कनिष्ठ सदस्यों के अधिकारों को वंचित करके सम्पत्तियों को बेच रहे हैं तथा बंधक रख रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या उनके परिवारों के कनिष्ठ सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार ने भतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति के रूप में घोषित सम्पत्ति के विक्रय अथवा अन्यथा निपटाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यदि भूतपूर्व नरेशों के परिवारों के कनिष्ठ सदस्यों का ऐसी सम्पत्ति में कोई दावा हो तो वे मामले में क्या उपयुक्त कार्यवाही करें यह सोचना उनका कार्य है।

कानपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में पुखरियां में पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के की मृत्यु

1378. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1972 में पुखरियां (कानपुर जिले) में पुलिस की हिरासत में एक हरिजन लड़के को पीट पीट कर मार दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक हरिजन लड़का श्री गौरी, निवासी-ग्राम पुखरियां थाना--भोगनीपुर, तीन डकैतियों में जो मई--जून, 1972 में हुई थीं ; अन्तर्ग्रस्त होने का संदिग्ध था । उसने दिनांक 10-8-72 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया था तथा 30 सितम्बर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था । 1-10-1972 को श्री गौरी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अधीन पुलिस ने गिरफ्तार किया था । गिरफ्तारी के दौरान श्री गौरी कुछ घायल हो गया था । क्योंकि वहां कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं था, अतः भोगनीपुर थाने में उसकी चिकित्सा एक प्राईवेट डाक्टर की सहायता से की गई थी । उसको दिनांक 2-10-1972 को पुखरियां डिस्पेन्सरी में भेजा गया। परन्तु वहां अफवा फैल गई कि थी कि श्री गौरी को पुलिस द्वारा मार दिया गया है । 5000 व्यक्तियों की भीड़ डिस्पैन्सरी में एकत्रित हो गई परन्तु श्री गौरी के जीवित होने का विश्वास दिलाने के बावजूद भीड़ ने घायल को चिकित्सा के लिए कानपुर नहीं ले जाने दिया । पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) अतिरिक्त पुलिस बल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे तथा भीड़ को, निष्पक्ष जांच करने तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया । इस पर भीड़ धीरे-धीरे तितरबितर हो गई । तब 2 अक्टूबर को 6. 30 बजे सायंकाल श्री गौरी को राजकीय अस्पताल कानपुर को भेजा गया तथा वहां उसको हर संभव अच्छी डाक्टरी सहायता दी गई । परन्तु 4 तारीख की प्रातः को उसकी मृत्यु हो गई ।

घायल गौरी को 1 अक्टूबर की रात्रि में कानपुर न भेजने की लिए भोगनीपुर थाने के थानेदार का पुलिस लाइन में स्थानान्तरण किया गया है । घटना में की जा रही मजिस्ट्रेट की जांच जारी है । उत्तर प्रदेश सरकार का विचार जांच के कार्य को राज्य गुप्तचर विभाग को सौंपने का है । राज्य सरकार से मामले पर आगे पत्र व्यवहार किया जा रहा है तथा पूर्ण तथ्यों की विस्तृत रिपोर्ट आनी है ।

1857 की हस्तलिपि पर आधारित कानपुर म "ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम"

1379. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर तथा अन्य शहरों में 1857 के ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन हेतु गीत तथा नाटक प्रभाग को 1857 की हस्तलिपि भेज दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदर्शन कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) तक "क्रांतिबीज 1857" नामक एक स्क्रिप्ट भुगतान पर गीत और नाटक प्रभाग के लिये तैयार की गयी थी । फिलहाल कानपुर में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । तथापि, 1857 की घटना उस "ध्वनि और प्रकाश" कार्यक्रम का एक अंग है जिसको 1972-73 के दौरान भारत की स्वाधीनता के 25वें वर्ष के समारोह के अंग के रूप में प्रथमतया देश के सात केन्द्रों में दिखाने की योजना है ।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग पर होने वाला वार्षिक व्यय

1380. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी ; और

(ख) इस आयोग के अनुरक्षण पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1964 ;

(ख) आयोग पर होने वाले वर्ष वार वार्षिक व्यय को क्रमशः इस प्रकार दिया जाता है——

वर्ष	(आंकड़े लाख रुपयों में)
1964—65	4.25
1965—66	9.45
1966—67	10.37
1967—68	11.65
1968—69	12.82
1969—70	13.84
1970—71	15.43
1971—72	15.86

भेजे गये पोस्ट कार्ड को 11 वर्ष के बाद प्रेषक को लौटाया जाना

1381. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्टूबर, 1972 के पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में बैंक आफटर इलैविन ईयर्स (ग्यारह वर्ष पश्चात् वापस) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक जांच कर ली गई है। यह पोस्टकार्ड 20—11—1961 को बंगलूर में पोस्ट किया गया था और 21—11—1961 को बल्लूर में इस की डिलिवरी कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने इसे 10—10—1972 को फिर से डाक में डाल दिया था। चूंकि जिसके नाम वह पत्र था वह व्यक्ति दिये गए पते पर नहीं मिला, इसलिए यह कार्ड प्रेषक को वापस कर दिया गया था।

(ग) ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए जिनमें डाक वस्तुएं दुबारा डाक में डाल दी जाती हैं उचित हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं

1382. श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यह घटनाएं किन कारणों से हुई हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, मनीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में 1–11–1970 से 31–10–1972 तक की दो वर्ष की अवधि में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है । शेष राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से सूचना अभी आनी है ।

दिल्ली में अवैध शराब पीने से मृत्यु

1383. श्री के० मलन्ना :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के दौरान दिल्ली में अवैध शराब पीने से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) सरकार ने दिल्ली के सम्बन्धित आबकारी तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 182 ;

(ख) बवेजा आयोग जिसने, जनवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1972 के महीनों के दौरान हुई शराब की दुःखद घटना के कारणों की जांच की थी, उसके लिए किसी को व्यक्तिगत जिम्मेवार नहीं ठहरा सके । किन्तु बवेजा आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित समिति जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए विचार कर रही है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक जिले के एक आबकारी अधिकारी, तीन थानेदारों तथा तीन आबकारी इन्सपेक्टरों को निलंबित किया गया था । विभागीय जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर एक आबकारी इन्सपेक्टर को छोड़कर उन सभी को बहाल कर दिया गया है । इन अधिकारियों का भी स्थानान्तरण किया गया है ।

सरकारी सेवा में आने हेतु स्नातकों के लिये आयु सीमा बढ़ाना

1385. श्री बनमाली पटनायक :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर भर्ती, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हायर सैकन्ड्री है, के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है परन्तु ऐसे पदों पर की भर्ती के लिए जिनके लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई है ; और

(ख) क्या स्नातकों की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है, यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) तथा (ख) लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों में भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हायर सैकन्डरी न होकर मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है, जब तक कि उन्हें हायर सैकन्डरी के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। भारत सरकार की संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशों के आधार पर श्रेणी III (अनुसचिवीय अराजपत्रित) पदों, साथ ही साथ लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों में सीधी भर्त्ती के लिये के ऊपरी आयु-सीमा में 21 से 25 वर्ष तक वृद्धि कर दी गई है और दिनांक 13 मार्च, 1972 को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए थे।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा इत्यादि की सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने वाली भर्त्ती तथा सेवाओं/पदों साथ ही साथ श्रेणी–II–सेवाओं में की जाने वाली भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक की डिग्री है, उसमें ऊपरी आयु सीमा में 26 वर्ष तक की वृद्धि कर दी गई है और 11 अप्रैल, 1972 को इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किए गए थे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस आधार पर सिफारिश भी की थी कि सरकार साथ ही साथ सेवा के लिए यह लाभप्रद होगा यदि ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने स्नातक डिग्री लेने के बाद अनुसंधान का पाठ्यक्रम शुरू किया है या जिन्होंने इंजीनियरी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में विशेष अध्ययन जारी रखा हो, उन्हें भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवा में प्रवेश के लिए अनुमति है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के पदों में जो कि श्रेणी –II (अनुसचिवीय अराजपत्रित) पद हैं और जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है और जिन पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है, उसमें भर्ती के लिए भी ऊपरी आयु सीमा में 24 से 25 वर्ष तक की वृद्धि कर दी गई है और 1 अगस्त, 1972 को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए थे।

भ्रष्टाचार के मामलों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों पर आरोप लगाया जाना

1386. **श्री जी० के० दास चौधरी :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार तथा कदाचार के अन्य मामलों पर राज्य वार कितने कितने अधिकारियों पर आरोप लगाये हैं ; और

(ख) इन मामलों में की गई जांच के क्या परिणाम निकले है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 15–11 1969 से 14–11–1972 की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार तथा कदाचार के अन्य आरोपों के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में 1,097 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए। उनके राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं––

राजस्थान	94
दिल्ली	89
पश्चिम बंगाल	77
हिमाचल प्रदेश	17

असम	30
तमिल नाडु	91
पांडिचेरी	2
बिहार	142
गुजरात	25
पंजाब	13
आन्ध्र प्रदेश	142
उत्तर प्रदेश	83
मेघालय	2
चण्डीगढ़	1
महाराष्ट्र	80
उड़ीसा	40
मणिपुर	2
हरियाणा	7
मध्य प्रदेश	84
त्रिपुरा	3
अरुणाचल प्रदेश	3
केरल	23
मैसूर	43
जम्मू तथा काश्मीर	4
योग	1097

(ख) उक्त (क) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से, 252 दण्डित किए गए हैं, 73 विमुक्त/सेवामुक्त कर लिए गए हैं और शेष 772 विभिन्न न्यायालयों में विचारण के लिये पड़े हुए हैं।

दिल्ली में आत्म-हत्याओं के मामले

1387. कुमारी कमला कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में (जुलाई 1972 तक) दिल्ली में आत्म-हत्याओं के मामलों की संख्या क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि में आत्म-हत्या का प्रयास करने वाले लेकिन अन्य लोगों द्वारा बचा लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वर्ष 1971 में 136 मामले, तथा वर्ष 1972 (जुलाई 1972 तक) में 99 मामले।

(ख) वर्ष 1971 में 66 मामले तथा वर्ष 1972 में (जुलाई 1972 तक) 65 मामले।

बिजली उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता

1388. श्री एम० कत्तमुतु :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा निजी बिजली उत्पादन केन्द्रों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता कितने किलोवाट है ; और

(ख) क्या यह वर्तमान आवश्कताओं की पूर्ति करता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत गृहों के लिये हाईड्रो और थर्मल दोनों प्रकार के जेनरेटिंग सहित टर्बाइन और जेनरेटरों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र में ही हो रहा है। दो सरकारी उपक्रमों अर्थात् भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० (हरिद्वार और हैदराबाद एककों) और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल में निर्मित शक्ति चालित जेनरेटरों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता (1972–73) निम्न प्रकार है--

(1) थर्मल पावर जेनरेटर्स और टर्बाइन्स	8.50 लाख किलोवाट
(2) न्यूक्लियर टर्बाइन	2.35 लाख किलोवाट
(3) हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जेनरेटर्स और टर्बाइन्स	3. 65 लाख किलोवाट

कुछ थोड़े से सेटों के मामले में कुछ विलम्ब को छोड़कर उपर्युक्त आर्डर के अनुसार उत्पादन होने से वर्तमान आवश्यकता बहुत कुछ पूरी हो रही है जो राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा डिलीवरी के पश्चात् उपकरण लगाने और उन्हें चलाने के अनुरूप होगा । थर्मल और हाइड्रो के लिये एच० ई० आइ० एल०, भोपाल और बी० एच० ई० एल० एककों द्वारा 1975–76 तक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिये उत्पादन बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है जो न्यूक्लियर टर्बाइनों के लिये 2.35 लाख कि०वा० के अलावा क्रमश: 27 लाख कि०वा० वार्षिक और 13 लाख किलो वाट प्रतिवर्ष है। इस आर्डर की क्षमता इतनी होगी कि आशा है कि इससे विद्युत क्षेत्र की प्रत्याशित आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जायगी।

पांचवी योजना के दौरान विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय स्रोतों का बढ़ाया जाना

1389. श्री राम सहाय पांडे

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ऐसे प्रयत्न कर रहा है कि पांचवीं योजना के दौरान देश अपने विकास कार्यों के लिए विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रहे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयोजन के लिए कौन से मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं ; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान विदेशी सहायता समाप्त करने के फलस्वरूप उत्पन्न कमी की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्रोत बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने की योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापना के अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दस्तावेज में उन बातों का उल्लेख होगा जिन पर योजना अवधि के दौरान आगे

कार्रवाही करनी जरूरी होगी। अंतिम रूप दिए जाने पर दृष्टिकोण दस्तावेज की प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्कूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंसों का जारी करना

1390. श्री राम सहाय पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित करने क लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ख) क्या नए कारखानों में से कोई कारखाना देश में सस्ते स्कूटरों का उत्पादन करेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) नए उद्यमियों को स्कूटर बनाने के लिये जारी किये गये 27 आशय पत्रों में से मैं० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, अहमदाबाद को जारी किये गये केवल एक आशय पत्र को ही अब तक औद्योगिक लाइसेंस में बदला गया है।

(ख) नए उद्योगों को अपने निर्धारित वार्षिक क्षमता तक पहुंचाने में अवश्य ही समय लगेगा। अतः इनके लिये निकट भविष्य में सुस्थापित निर्माताओं की अपेक्षा कम दरों पर स्कूटर बेचना संभव नहीं हो सकेगा।

देश में बन रहे टेलीविजनों सेटों की क्वालिटी में सुधार

1391. श्री राम सहाय पांडे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या देश में बनने वाले टेलीविजन सेटों की क्वालिटी में सुधार करके उनको विदेशी टेवलीविजन सेटों के मुकाबले का बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वर्तमान में, देश में बनाये जाने वाले टी० वी० सैट उच्च कोटि के हैं और विदेश में बने टी०वी० सैट से इनकी तुलना की जाती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जैसे इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, (इंजिल), हैदराबाद और अनुसंधान तथा विकास संगठन जैसे सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटियूट (सीरीस,) पिलानी और इंडिय स्पेस रिसर्च आरगेनाइजेसन (आई० एस० आर० ओ०)अहमदाबाद का इलैक्ट्रानिक्स सिस्टर्वस डिवीजन (इ० एस० डी०) टी० वी० सैटों की तकनालाजी के नियमित विकास तथा सुधार में लगे हैं। सम्बन्धित उद्योग कर्ताओं ने अपनी अनुसंधान तथा विकास सुविधायें स्थापित कर ली हैं और कर रहे हैं।

राज्यों को उनके कार्यों के अनुसार विकास कार्यों के लिए अनुदान

1392. श्री राम सहाय पांडे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को विकास प्रयोजनों के लिए अनुदान उनके द्वारा विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में किये गये कार्यों के आधार पर दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने तथा कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने अब तक इस प्रकार की कोई योजनायें तैयार नहीं की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जादवपुर, कलकत्ता में कृष्णा ग्लास फैक्टरी

1393. डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने कलकत्ता के निकट जादवपुर की कृष्णा ग्लास फैक्टरी को शीघ्र ही अपने अधिकार में लेने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 15 ए के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में (जो सरकार द्वारा अक्टूबर, 1972 में प्राप्त हुई है इस एकक का प्रबन्ध हाथ में लेने की सिफारिश की है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

औद्योगिक बस्तियों में "शेडों" का उपयोग

1394. डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां अभी तक स्थापित हुई हैं।

(ख) ऐसी बस्तियों के निर्माण पर केन्द्र ने तथा राज्यों ने कुल कितना धन व्यय किया है ;

(ग) क्या ग्रामीण बस्तियों में तैयार किए गए शैडों का केवल 39 प्रतिशत तक ही उपयोग हो पाया है जबकि नगरीय बस्तियों में केवल 25 प्रतिशत शैड ही बेकार पड़े हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने इन शैडों का पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 465.

(ख) 31 मार्च, 1971 तक 45.02 करोड़ रु०/1971-72 में (अस्थायी) 2.84 करोड़ रु०/1972-73 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय 5.08 करोड़ रु०।

(ग) ग्रामीण तथा शहरी बस्तियों में शेडों के अवसित होने का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

	तैयार शेड	अवसित शेड	प्रतिशत
ग्रामीण बस्तियां	1937	1141	59
शहरी बस्तियां	2489	1914	77

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उद्यामियों के लिये ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक बस्तियों में शेडों को अधिकार में लेने के हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली

पानी आदि और विशेष प्रोत्साहन तथा प्रेरणायें प्रदान करें। राज्य सरकारों को भविष्य में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से पूर्व तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराने की भी सलाह दी गई है। औद्योगिक बस्तियों के शेडों के उपयोग तथा सामान्य कार्य पर लघु उद्योग विकास संगठन तथा योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक योजना के विचार विमर्श के दौरान सावधिक समीक्षा की जाती है।

कागज के मुल्य पर नियंत्रण

1395. डा०रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए कागज उद्योग को अनेक रियायतें जैसे कच्चे माल के लिए कम भाड़ा, कुछ उत्पादन शुल्कों में छूट, रायल्टी की कम दर आदि, होने के बावजूद कागज के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कागज के मूल्य पर नियंत्रण करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) मिल से बाहर निकलते समय की कागज की कीमतें अधिकतर स्थिर रही हैं लेकिन अस्थायी और स्थानीय कमी के कारण खुदरा विक्रेताओं/डीलरों द्वारा अधिक कीमत लेने के बारे में शिकायतें मिली हैं। इस समय इस वस्तु पर नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Welfare Schemes for Scheduled Castes in Fifth Plan

1396. Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether Government have allocated funds for scheduled castes welfare schemes in the Fifth Five Year Plan ; and

(*b*) If so, the amount of funds to be provided to each State for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) The Fifth five Year Plan is under formulation. However, the 'Approach' document will be finalised shortly.

The subject of specific allocation of funds for the various sectors of development including the welfare schemes for Scheduled Castes will be consider at the appropriate time.

(*b*) Does not arise.

Auto Telephone Exchange in Gaya

1397. Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether there is no automatic Telephone Exchange in Gaya District of Bihar : and

(*b*) If so, the time by which an automatic telephone exchange is likely to be set up there ?

The Minister of Communications (Shri H.M. Bahuguna) : (a) It is presumed that this question relates to the Gaya Township. At present there is no automatic exchange at Gaya.

(*b*) The owners of the land selected for setting up an automatic exchange, have filed a writ petition in the Patna High Court. After this is settled and the Deptt. gets possession of the land, it is likely to take about five years to commission the automatic exchange.

तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र में समृद्ध यूरेनियम का उपयोग

1398. **श्री राम भगत पास्वान :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर के परमाणु ऊर्जा केन्द्र में समृद्ध यूरेनियम-235 का उपयोग हो रहा है ;

(ख) क्या यह समृद्ध यूरेनियम ईंधन आयात किया जाता है और यह प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन से दुगनी कीमत का है ; और

(ग) यदि हां, तो ईंधन के रूप में केवल प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक संवर्धित यूरेनियम का आयात किया जाता है। पैदा हुई बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए संवर्धित यूरेनियम ईंधन की कीमत नैसर्गिक यूरेनियम ईंधन की कीमत की तुलना में लगभग दुगनी पड़ती है।

(ग) तारापुर के रिऐक्टर सामान्य जल से मंदित एवं ठंडे किये जाते हैं। इस प्रकर के रिऐक्टर नसर्गिक यूरेनियम से नही बनाये जा सकते।

लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण

1399. **श्री राम भगत पास्वान :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैलीविजन सेटों का केवल लघु क्षेत्र में निर्माण करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1400. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निकट भविष्य में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उन्हें किन किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में भी एक संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) तारापुर परमाणु बिजलीघर, जो चालू हो चुका है, के अलावा तीन और परमाणु बिजली घरों की स्थापना देश में निकट भविष्य में किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) ये बिजलीघर क्रमश: रावतभाटा (राजस्थान) कलपक्कम (तमिलनाडु) तथा नारौरा (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किये जायेंगे ।

(ग) दक्षिणी विद्युत क्षेत्र (जिसमें मैसूर भी शामिल है) में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में निर्णय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद लिया जा सकेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान देना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर): मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ;

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी और उसके परिणामस्वरूप कपड़ा मिलों, इंजीनियरी एककों तथा रक्षा उत्पादन कारखानों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने के समाचार ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति इस समय कठिन है । ऊर्जा की औसतन 24.3 मिलियन यूनिट दैनिक आवश्यकता के विरुद्ध आगामी आठ महीनों में दैनिक औसतन उपलब्धता 21 मिलियन यूनिट होगी । इस प्रकार दैनिक कमी 3.3 मिलियन यूनिट है । इस समय, प्रति दिन 1.1 मिलियन यूनिट की राहत 0.7 मिलियन यूनिट बिहार से तथा 0.4 मिलियन यूनिट मध्य प्रदेश से सम्भव हो पाई है । इससे प्रति दिन की कमी को 1.1 मिलियन यूनिट तक पूरा करने में सहायता मिली है । इस समय, पीक क्षमता में भी कमी है । राज्य में लगभग 1500 मैगावाट पीक आवश्यकता के विरूद्ध उपलब्धता केवल लगभग 1100 मैगावाट है, जिससे दोनों में 400 मैगावाट का अंतराल पड़ जाता है । इसे लोड के रोस्टर बनाकर तथा पीक लोड पर प्रतिबंध लगा कर पूरा किया जा रहा है । राज्य के बृहद जल-विद्युत संचयन परियोजना रिहांद से उपलब्धता में कमी होने के अतिरिक्त, वर्षा के न होने के परिणामस्वरुप, राज्य में विद्यमान सूखा स्थितियों के कारण भी, नलकूपों और अन्य कृष्य उपभोक्ताओं से, जिन्हें समस्त उपलब्ध भू-जल को रबी फसल के लिए काम में लाना पड़ता है, बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी हो गई है ।

पीक को कम रखने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य प्रधिकरणों ने अगस्त, 1972 में औद्योगिक उपभोक्ताओं की छुट्टियों को भिन्न भिन्न दिनों में करने, उपभोग में 25% कटौती तथा दुकानों और व्यापारिक संस्थापनाओं के सांयकालीन कार्य घंटों में कमी करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे ।

उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरणों ने 18–11–72 से शहरी इलाकों में, सतत प्रगति, उद्योगों हस्पतालों, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों जल सप्लाई जैसे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, प्रति दिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक, उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई में कटौतियां कर दी हैं। इस समय के दौरान सभी नलकूपों तथा अन्य कृष्य उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की जाएगी। यह व्यवस्था केवल 30 नवम्बर, 1972 तक ही चालू रहेगी जिसके बाद शहरी इलाकों में घरेलू और अन्य उप भोक्ताओं को भी विद्युत सप्लाई पुनः चालू करने का प्रस्ताव है। बहरहाल औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दोपहर 2 बजे से 8 बजे सांय तक विद्युत कटौती लागू होगी। इस समय के दौरान नलकूपों को विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी। इन घंटों के अतिरिक्त ग्राम्य क्षेत्रों में नलकूपों को विद्युत सप्लाई 18 घंटों के लिए दी जाती रहेगी। 8 बजे प्रातः से 2 बजे दोपहर तक की यह कटौती, कपड़ा मिलों तथा इंजीनियरी यूनिटों पर जो कि एक दिन में दो शिफ्टों में कार्य करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ओबरा ताप-विद्युत केन्द्र विस्तार में 100 मैगावाट की प्रथम यूनिट के प्रचालन पर, जो कि जनवरी, 1973 में प्रत्याशित है, स्थिति में सुधार होना अपेक्षित है।

श्री एस० एम० बनर्जी :स्वतंत्रता के 25 वर्ष पश्चात् भी और केन्द्र में अत्यन्त शक्तिशाली सरकार होने के बावजूद तथा राज्यों में भी मजबूत सरकारों के होते हुए, राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गया है और उत्तर प्रदेश में तो संकट अत्यन्त गंभीर है।

लगभग 600 पंजीकृत बड़े, मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र के कारखाने ठप्प पड़े हैं जिससे उत्पादन और मजदूरी की हानि हो रही है। बड़े कारखानों को एक पारी बन्द करनी पड़ी है। देश की सभी वस्त्र मिलों में तीन पारियां तक चलती हैं। कानपुर नगर में ही सभी वस्त्र मिलों को एक पारी समाप्त करनी पड़ी है जिससे 25000 नियमित कर्मचारी बेकार हो गए हैं और उन्हें आधा वेतन मिलेगा जब कि बेकार हुए अस्थायी कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा।

कानपुर में चार रक्षा उत्पादन कारखाने हैं और उन्हें बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रक्षा उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन 650 मिलियन वाट है जबकि प्रतिष्ठापित क्षमता 1499 मिलियन वाट है। बिड़लाओं की कम्पनी हिन्दालको को 50 प्रतिशत मिलियन यूनिट बिजली दी जा रही है जिसे बढाने का आश्वासन भी दिया गया है। उन्हें 1.99 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है जबकि उत्पादन व्यय 8.5 पैसे है और आम लोगों को 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है।

उत्तर प्रदेश को बदरपुर से अधिक बिजली देने का आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा बनारस, मुरादाबाद और अन्य स्थानों पर भी बिजली की कमी है जिससे हजारों कर्मचारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। यदि मंत्री महोदय वहां जा कर समस्या का समाधान नहीं करते तो गम्भीर श्रमिक संकट पैदा हो जायेगा।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बिजली का संकट है। इस समय कुछ सुधार हुआ है। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है, दैनिक कमी 3.3 मिलियन यूनिट है। जिसमें से बिहार और मध्य प्रदेश 1.1 मिलियन यूनिट कम ले रहे हैं। इस प्रकार कल

कमी 2 मिलियन यूनिट ही रह जाती है। यह उत्तर प्रदेश की कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत है, जो ज्यादा नहीं है। इस समय सिचाई में पम्पों को दिन भर चलाया जा रहा है जबकि 30 नवम्बर से वे इसमें 6 घंटे की कमी कर सकेंगे।

कानपुर में 10 वस्त्र मिलें दो पारियों में कार्य कर रही है,। अब वे रविवार को भी कार्य किया करेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम छुट्टी के दिन कार्य करने को तैयार नहीं है।

डा० के० एल० राव : वर्तमान बिजली संकट में हमें ऐसा करना पड़ सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह संकट जानबूझ कर सरकारों ने पैदा किया है।

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने वक्तव्य में बताया है, इस वर्ष संकटप्रद स्थिति है। पन-बिजली का उत्पादन बहुत घट गया है। रिहन्द परियोजना में सामान्य मात्रा से आधा ही पानी है। वास्तव में उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से अच्छी है। बदरपुर में उत्पादन शुरू होने पर एक तिहाई बिजली उत्तर प्रदेश को दी जायेगी।

हिंडल कंपनी को लिये जाने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री एम० एस० बनर्जी : 400 मिलियन वाट टरबाइन जेनरेटरों के आयात करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर क्या निर्णय लिया गया है।

डा० के० एल० राव : उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur): The Hon. Minister has referred to six hour cut,whereas in fact tube wells are not working, drinking water is not available and the crops are effected by drought. Why does not the Minister order a cut in electric supply to the Birlas which is being given to them at lower rate than the cost of production and keep these factories running which were forced to close down due to power shortage ? What is the reaction of the Government to the proposal for nationalization ?

डा० के० एल० राव : ट्यूबवेल्स को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। परन्तु संकट का सामना करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार 30 नवम्बर से इसमें 6 घंटों की कमी करना चाहती है।

श्री एस० एम० बैनर्जी : आप दर क्यों नही बढ़ाते।

डा० के० एल० राव : वहां अलमुनियम का उत्पादन होता है जिसका स्वयं बिजली के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अतएव मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्हें चेयरमैन, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड से सूचना मिली है कि ट्यूबवैल बिजली की कटौती से प्रभावित नहीं हुए है। यह कहां तक ठीक है। उसी व्यक्ति ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यदि 400 मिलियन वाट की थर्मल परियोजना को अनुमोदन दे दिया होता तो 1975 से परिस्थिति में सुधार आ सकता था।

प्रकाशित समाचारों के अनुसार हरदुआ गंज और पंकी बिजली केन्द्र मरम्मतें न हो पाने के कारण बन्द पड़े हैं। क्या सरकार ने उन्हें चालू रखने का कोई प्रयत्न किया है ?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश सरकार का 400 मेगावाट मशीनोंके आयात का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है। निर्णय न लिया जाने का कारण यह है कि हम देशी निर्माण की नीति के लिये वचनबद्ध हैं। हम इन मशीनों को जितना भी सम्भव हो सके देशमें ही निर्मित करना चाहते हैं।

हरदुआगंज की मशीनों को शीघ्र मरम्मत करने का कार्य चल रहा है। बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि अगले सप्ताह तक उसके चालू हो जाने की संभावना है। पंकी में एक यूनिट का ब्लेड टूट गया है जिसकी मरम्मत करनी पड़ेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 1972

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (7वां संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1161 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3752/72)

महालेखापरीक्षक के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स और ट्रावनकोर लिमिटेड के पिछले प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन — केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)—के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

भाग नौ—हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3753/72)

भाग दस—फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या ए० टी० —3754/72)

भाग बारह—लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा व्यापक मूल्यांकन के लिये न लिये गये उपक्रमों में पाई गई भिन्न-भिन्न अनियमितताएं और कम्पनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3755/72)

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1957 के संवर्ग अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 9 वां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का 15वां संशोधन जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 409 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु और सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 421 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 433 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का बारहवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तेरहवां संशोधन विनियम 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 447 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 448 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) अठारहवां संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 449 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवा संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1045 में प्रकाशित हुये थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1736/72)

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का ग्यारहवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1046 में प्रकाशित हुये थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1091 में प्रकाशित हुये थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1092 में प्रकाशित हुये थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 14 अक्टूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1316 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3751/72)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं —

(एक) कि लोक सभा द्वारा 13 नवम्बर, 1972 को पास किये गये केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 13 नवम्बर, 1972 को पास किये गये खादी और अन्य हाथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) संशोधन विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1970-71

19वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत शासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1970–71

श्री के० आर० गणेश : मैं वर्ष 1970–71 के बजट (सामान्यों) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

मुल्की नियमों के बारे में

RE: MULKI RULES

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने व्यक्तियों की जानें गई हैं । मुझे पता चला है कि 17 व्यक्तियों की जानें गई हैं । इसलिये मने कहा था कि दो दिन के भीतर इस पर निर्णय लिया जाये ।

इस संबंध में निर्णय करना तथा उस निर्णय को स्वीकार तथा कार्यान्वित करने का दायित्व केन्द्र सरकार पर है । अन्यथा स्थिति पुनः नियंत्रण से बाहर हो जायेगी । इस समय स्थिति क्या है

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि सरकार इसका हल ढूंढने में बहुत कठिनाई अनुभव करती है तो वह इस पर संसद में विचारार्थ पेश करे ताकि हम भी कोई उपयुक्त सुझाव दे सकें। आखिर हम लोग केवल तमाशा देखने वाले तो नहीं बने रह सकते। इस संसद् का भी तो इस मामले में कुछ दखल है।

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आंध्र प्रदेश में होने वाली घटनाओं पर मुझे बेहद अफसोस तथा दुख है। मेरे पास इस समय पूरी जानकारी तो नहीं है कि मैं इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी कर सकूं परन्तु सभी लोगों से चाहे वे तेलंगाना के हों अथवा किसी अन्य क्षेत्र के हों सब से मेरी अपील है कि वे सभी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही छोड़ दें क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। हम इस मामले में पूरी तरह सचेत हैं परन्तु इस समय लोग इतने उत्तेजित हैं कि किसी प्रकार का कोई निर्णय करने से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। इसीलिये मेरे सहयोगी श्री चव्हाण लोगों से मिलकर कोई समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब वे लोग केन्द्र से निर्णय देने को कह रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही कोई निर्णय दिया जाये। जहां तक निर्णय को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किये जाने तथा क्रियान्वित किये जाने का प्रश्न है, हम दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और मंत्री मण्डल ने कहा है कि वे लोग ऐसा अवश्य करेंगे। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तो गारंटी नहीं दी जा सकती।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : श्रीमन् यह प्रश्न हमारे क्षेत्र से संबंधित है इसीलिये मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश के मंत्रियों ने कहा है कि यदि उक्त हल उनके क्षेत्र के हित में नहीं निकला तो वे त्याग पत्र दे देंगे। तो फिर केन्द्र के निर्णय को क्रियान्वित वे कसे करेंगे। अतः कोई ऐसा हल निकाला जाये जो दोनों पक्षों को सन्तुष्ट कर सके। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर सभा में एक पूरी चर्चा हो।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम स्टेट बैंक आफ इंडिया के चीफ कैशियर पर लगाये गये आरोपों तथा उनकी वर्खास्तगी के आदेशों के बारे में जानकारी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में आप नियमित रूप से प्रश्न की सूचना दीजिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न पूछने में तो 10-15 दिन लगगे और श्री मलहोत्रा द्वारा दिये गये उत्तर से बहुत सी रहस्यपूर्ण बातों का पता लगाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम यहां कई बार चर्चा कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मुझे याद पड़ता है गत सत्र के दौरान उत्तर के समय श्री चव्हाण ने कहा था कि इस बारे में जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने तथा कोई निर्णय लिय जाने पर सभा को सूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी ऐसा ही याद पड़ता है। मैं सभा की कार्यवाही से पता लगा कर मंत्री महोदय से सूचना देने को कहूंगा। अब श्री गोमांगो।

———

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969–70 के 19वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF THE COMMISSON FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापूत) : हमें बताया गया है कि हमारे विकास के लिये बहुत कुछ किया गया है। परन्तु क्या किया गया है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि 18 वर्ष में 153 करोड़ रुपया खर्च किया गया है जिसका अर्थ यह है कि एक आदिवासी पर एक वर्ष में विकास के लिये केवल दो रुपये खर्च किये गये। परन्तु वस्तुतः तो उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं हुआ। क्या इसी प्रकार हमारी समस्याएं हल होंगी। सरकार हमारे क्षेत्र से करोड़ों रुपये कर के रुप में वसूल करती है। इसके अतिरिक्त बिचौलिये भी बहुत सा धन ले जाते हैं और इस प्रकार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 30 रुपये का भार पड़ता है। इसी प्रकार वनों से भी सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये से भी अधिक हमारे क्षेत्र से लेती है। इस प्रकार हम लोग तो अपने ही घरों में गुलाम तथा भिखारी बनकर रह जाते हैं।

हमें बताया गया है कि हमारे लिये एक नई योजना तैयार की गई है परन्तु 50,000 करोड़ रुपये की नई योजना में से हमें क्या मिल रहा है। वस्तुतः तो हमें केवल मौखिक शुभ कामनायें ही मिल रही हैं। सच तो यह है कि पांचवीं योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर केवल 225 करोड़ रुपये अर्थात् अनुसूचित जन जातियों पर केवल 120 करोड़ रुपया अर्थात् पांच वर्ष में प्रति व्यक्ति केवल 30 रुपया खर्च किया जायेगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति पर एक वर्ष में केवल 6 रुपये खर्च किये जायेंगे। इस प्रकार तो हमारे ऊपर और अधिक बोझ पड़ जायेगा। कहा गया है कि राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के अधीन हमारे विकास पर खर्च करेंगी। परन्तु उड़ीसा तो बहुत ही निर्धन राज्य है। वहां जनजातियों का प्रतिशत 24 है। वह क्या करेगा ?

स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी योजना आयोग आदिवासियों की समस्या का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं कर पाया है। उनके पास न तो पूरे आंकड़े हैं और न ही तो पूरा विवरण है। उक्त जानकारी बिना कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। यही कारण है कि हम लोग इतने समय तक उपेक्षित रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 7 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं तथा पिछड़े हुए हैं। हमारे लिये अपेक्षाकृत अधिक कुछ किये जाने की आवश्यकता है। संविधान में भी यही कहा गया है। हमारी समस्याओं को हल करने के लिये 50,000 करोड़ रुपये की योजना में से 50000 करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह निर्धन राज्यों की सहायता करे।

25 वर्ष की आजादी के बाद भी कोरापूत जिले में केवल 15 स्नातक व्यक्ति ही पाये गये हैं। सवारस लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता केवल 2 है।

बड़े खेद का विषय है कि आदिवासियों की नग्नता का कलात्मका की आड़ लेकर व्यापार किया जा रहा है। वहां फोटो खींचने की अनुमति देकर वहां की संस्कृति का उपहास करते हुए धन कमाया जा रहा है। आप जानते हैं कि वहां के लोगों के स्नानागार तो खुले आकाश के नीचे नदियां हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिये।

वहां प्रशासन को सुदृढ़ बनाना केन्द्र सकार का दायित्व है। आजकल वहां सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि के सर्वेक्षण के नाम में बाहर के व्यक्ति हमें अपनी भूमि से निकाल बाहर कर

रहे है हम नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या हैं तथा हम फिर वापस जाकर जंगल के उत्पादों को एकत्रित करते फिर रहे हैं। परन्तु वहां भी जंगल के संरक्षकों का डण्डा हमारे सिर पर रहता है। अब यह संसद ही बताये कि हम क्या करें कहां जायें ? हमारे आदिवासियों को जंगलों में खदेड़ा जा रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सरकार यह स्पष्ट रुप से बताये कि हम लोगों के अधिकार क्या हैं तथा उनका सम्मान करने के लिये उत्पादन शुल्क संबधी तथा औद्योगिक नीतियों का पुनरीक्षण किया जा सके ताकि उनका शोषण बन्द हो। पांचवीं योजना के दौरान भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिये रचनात्मक और ठोस कार्य किये जाने चाहियें तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शोषकों तथा प्रशासन द्वारा आदिवासियों का शोषण न हो।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : श्रीमन् कल प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की समस्या को सरकार एक राष्ट्रीय समस्या मानती है। आर्थिक समस्याओं के हल के लिये हमने एक योजना आयोग गठित किया है परन्तु फिर भी हम एक शक्तिशाली आयोग का अभी तक गठन नहीं कर पाये हैं।

आयोग के आयुक्त की शक्तियां कम कर दी गई हैं। उपायुक्तों के 17 पद समाप्त कर दिये गये हैं। हमारा अनुरोध है कि उपरोक्त पदों को पुनः बहाल किया जाये ताकि वे संबंधित मामलों को गंभीरता से निपटा सकें।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय तथा राज्य के कार्यालयों में इन समुदायों के लिये आरक्षित पद भरे नहीं जाते हैं तथा आश्चर्यजनक बात है कि प्रायः हर क्षेत्र में आरक्षित पदों पर भी वस्तुतः उक्त समुदायों के लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है। अन्य लोग लाभ उठा जाते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी साथ ही पेश की जानी चाहिये। ताकि हमें मालूम हो जाये कि उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है।

इन समुदायों पर अनेक प्रकार के अत्याचारों के समाचार मिलते रहते हैं। इनके लोगों की सेवा शर्तों, पदोन्नतियों, भर्ती आदि के संबंध में भी अनेक शिकायतें हैं। इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम निश्चय ही यह कहने के अधिकारी हैं कि इन समुदायों के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है और सरकार ही इसके लिये उत्तरदायी ठहरायी जायेगी। यहां संसद सदस्यों को इस संबंध में अपनी विचारधारा व्यक्त करनी चाहिये।

कुछ सदस्यों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि स्वाधीनता के 25 वर्ष के बाद भी आदिवासियों की दशा इतनी दयनीय है। परन्तु इससे भी अधिक अश्चर्य की बात यह है कि छूआछूत के विरोधी महात्माबुद्ध के 2500 वर्ष बाद तथा हर वर्ष भारत में उनकी जयन्ती मनाये जाने के बावजूद भी देश से अब तक छूआछूत का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की सेवा शर्तों की स्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके लिये आरक्षित पदों के कोटे का जानबूझकर दुर्विनियोग किया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ लोग इन जातियों से संबंधित न होने पर भी किसी न किसी प्रकार स्वयं को इन जातियों का घोषित करके अनुचित लाभ उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक जिले के अतिरिक्त जिलाधीश श्री सुशील दत्त के बारे में केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसे ही मामले संबंधी जांच कर रही है। ऐसे ही अनेक मामले हैं और लगता है कि आयुक्त तथा सरकार ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच नहीं करती। मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों क विरुद्ध तत्काल जांच तथा कार्यवाही की जानी चाहिये। यह भी सच है कि कुछ मामलों में उचित कार्यवाही भी की गई है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, There is no quorum in the House.

Mr. Speaker : The bell is being rung; and now quorum is there. However, it is not worthwhile to raise the question of quorum every now and then. You are aware that some Hon. Members are attending certain meetings of certain Committees and they will have to rush up on hearing the bell thereby disturbing the proceedings of these meetings. After all there is no Parliament in the world which maintains quorum at every moment. However, I have just put my individual view. It is upon you to agree with me or not.

Shri Hukam Chand Kachwai : Congress has come to this House with 365 Members and it is the duty of the ruling Congress to maintain quorum. But they are here only 30 in number :

Mr. Speaker : Let the hon. Member see to his own position before pin pointing others. There are only three members of his party and none of the leaders.

Shri Hukam Chand Kachwai : In all we are 21 in the House and out of this number 3 are there while Congress members are not in that proportion.

श्री शक्ति कुमार सरकार : अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिये निर्धारित कोटे तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में मैं आपका ध्यान इस सभा के सचिवालय की ओर भी दिलाना चाहता हूं । यहां भी संविधान के अनुसार निर्धारित कोटे तथा अन्य सेवा शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है। आप इस बारे में उचित कार्यवाही करें । न मालूम यह सच है कि नहीं कि उस सचिवालय के एकमात्र अनुसूचित जाति के राजपत्रित कर्मचारी की सेवायें समय से पूर्व समाप्त कर दी गई है । मेरी जानकारी के अनुसार उसका दोष यही था कि वह संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आया अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति का व्यक्ति था । कृपया इस संबंध में जांच करें ।

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाये जो कि यद्यपि 1969–70 से संबंधित है तथापि वर्ष 1972 के अन्त में विचारार्थ रखा गया है । इसका तुरन्त विचार किया जाना चाहिये तथा साथ ही यह बताया जाना चाहिये कि इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ताकि हमें मालूम हो कि उक्त विषय को कितना महत्व दिया गया है । आयुक्त के हाथ मजबूत किये जायें तथा उनके अधिकारों को कम नहीं किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा ही शेष रह गया है । मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : लगभग एक घंटा ।

Mr. Speaker : We will accommodate speakers within half an hour.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास आठ सदस्यों के नाम हैं। प्रत्येक सदस्य पांच मिनट में अपने भाषण को समाप्त करके सहयोग दें।

Shri Ram Bhagat Paswan (Reserve) : Inspite of the efforts of the Prime Minister the condition of Harijans in villages is pitiable. Even after 25 years of independence these people are being mal-treated in various ways. Very few of them are in fact enjoying their rights : They have to work hard throughout the day and are paid in kind. The laws enacted by the government have proved ineffective. I stress upon the Government to implement its schemes for Harijan welfare.

'Dusad' community is very poor and 99 percent of their population is landless. It is included in the list of Scheduled castes. But the Delhi Administration has deleted its name. This may please be looked into.

Mere putting ceiling on land would not do. There should be ceiling on urban land also.

The stipends being granted to Harijan students is insufficient. Moreover these are given after the examinations are over. These things should be looked into.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात कई सदस्य कह चुके हैं। आप कोई नई बात कहें।

Shri Ram Bhagat Paswan : The quota for services was fixed twenty fives years ago. The number of reserved seats should be raised. The Government should consider forming of a separate culture Ministry.

Shri Chhotey Lal (Chail) : Before 1971 Lok Sabha elections the greatest trouble was that of nexalities. The Prime Minister tried to cure them with the tablets of socialism and 'Garibi Hatao'. But if the land is not given to landless Harijans, and they are not provided with enjoyment and social injustice is not done away with, the nexalities may again reappear. It would poision the whole social body and an operation would become necessary.

The study team for the welfare of scheduled castes, scheduled Tribes and backward classes for the fourth plan may continue to such study in respect of fifth plan as well.

Shri Bhole Raut (Bagaha) : Sympathy is expressed for scheduled Castes and scheduled tribes every year by congress and as well as opposition M.P's. But prectically nothing has been done so far.

A welfare committee for investigating the conditions of scheduled Castes and Scheduled Tribes was formed 4 years ago. That committee conducted on

the spot study of various Ministries, Departments and Public undertakings. That enquiry has revealed that these classes have been provided with 2 percent seets and in a few cases upto 5 per cent. It is stated in this regard that an circular issued by the Prime Minister to the Chief Ministers in this connection has no value.

The standard of these classes is determined on the basis of the conditions of 600 Scheduled Caste and Scheduled Tribe M.P., M.L.As and class I officers of these classses.

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को अवसर देने के लिये आप शीघ्र समाप्त करें।

Shri Bhole Raut : Immediately after the announcement of Bihar Government that fellow land would be allotted to the landless labourers, bogus settlements of that land in favour of big Zamindars was made. An M.L.A. of Bihar was shot down from discussing their conditions in the Assembly. The Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, should be kept by the Prime Minister at the centre and by the Chief Minister at the State level.

Among the Scheduled Castes there are 'lowest among the law' who do the job of cleanliness. Nothing substantive has been done to improve their condition. I suggest that something may be done for their betterment.

Shri Pratap Singh (Simla) : Congratulate the Commission for submitting it 19th report. If the Government can implement it, report it would be a very great thing. The fact is that whatever done for their welfare, it remains in papers alone.

The Commissioner has stated that the Departments do not give replies to their letters in spite of repeated reminders. The Commissioner should be given powers so that it may get the required information.

The proposed land reforms are not going to be of any help to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Government should ensure that these classes are benefitted by the proposed reforms.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill was promised by the Government. The Castes left earlier may be included in this Bill.

The condition of Harijans in hilly regions is worst. The Government should attend to their conditions. The condition of education loans and labour. is also worst in these regions. These problems should also be attended to.

Shri Ram Surat Prasad (Bansgeen) : The suggestion given by the Commissioner at page 442 of this report, if implemented, would solve most of the problems of these classes. This is a national problem and should be tackled at national level.

The stipends being given to the Scheduled Caste students are inadiquate.

The Central Government is doing something to complete reservation of high posts for them but so far as states are concerned nothing is being done. I wish that the Central Government may keep a check on the State Governments in the matter.

The Harijans do not get justice in the matter of consolidation of land holdings. They get inferior lands for superior ones. Their houses should not be included in the process of consolidation.

The misuse of central grants for Harijan Welfare by States may be prevented.

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय यदि दो मिनट में अपनी बात करें तो उत्तम रहेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूच बिहार) किंग मार्टन लूथर ने सही कहा है कि दलित लोग "जीवन से ऊब चुके हैं और मृत्यु से भयभीत हैं।" यदि सरकार हरिजनों के जीवन स्तर को उनकी शिक्षा को और उनके सामाजिक वातावरण को सुधारे योजनाओं में नया दृष्टिकोण अपनाएं तो उनका कुछ भला हो सकता है। योजना पर इन वर्गों की स्वीकृति ली जाये तो यह उनके द्वारा योगदान का सा महत्व रखेगा। इससे योजनाओं की क्रियान्विति में भी लाभ होगा।

Shri Paripoornanand Paimali (Tehri Garhwal) : There have been so many reports anc. it has become necessary that we may have a re-appraisal of these reports to find out if the programmes are implemented or not.

There should be a cadre of special officers that should work under the supervision of the Commissioner and the recommendations be implemented by that cadre formed of scheduled castes and scheduled tribes.

The persons practising untouchability should be severely dealt with. In Jaunsaur region thousands of girls enter prostitution houses even today. The Government has opened Ashrams for their children but no financial provision have been made for them so far.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : This matter that various castes have been left outside the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was discussed in the previous Lok Sabha and for that purpose a Committee was formed. A report was also submitted and a Bill too was submitted. When I asked as to when the bill could be introduced, an assurance was given that shortly it was likely to be introduced.

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : We have not given any such assurance.

Shri Hukam Chand Kachwai : You can see the records. The officers entrusted with this job exploit these classes. A lot of statistics are given in black and white but in fact no progress has taken place.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The Prime Minister in her speech did not drew the attention towards the basic matters.

So long as Harijans and Adivasis are made economically self-reliant others would continue to exploit them.

Of late it was said that ceiling laws for the states would be enacted by December. But I find that in Bihar land consolidation laws are being given preference over the ceiling laws. If the Government is sincere to help Harijans and Adivasis then these people should be given due share in services, allotted lands and granted loans from Banks for starting industries.

The amount of stipends given is also too small. It should be raised.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The social condition of Harijans is better today than it was 20 years ago. So far as the economic progress is concerned the National Agriculture Commission had given services suggestion for the improvement of their economic position. These suggestions can help the depressed classes. The Development Commissioner is seriously considering all these matters. If all these suggestions are implemented the condition of this poor society had chances to improve.

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं वादविवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं। उनके द्वारा रखे गये विचारों का ध्यान से अध्ययन किया जायेगा। इस बारे में सदस्य मुझे पृथक रूप से भी मिल सकते हैं। आज यह कहना कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आम प्रवृत्ति बन गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन वर्गों की स्थिति सर्वथा: संतोषजनक नहीं है। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की हालत में किये गये प्रयत्नों से होने वाले सुधार गौण नहीं हैं। इन आर्थिक सुधारों से उनका स्तर ऊंचा हुआ है। और उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं, अतएव उनकी मागें भी बढ़ रही हैं।

Shri T. Sahal (Karolbagh) : I have a point of order. As the Hon. Minister has stated that their status has been raised. Will he give a statement that what percentage of recommendations of the commissioner of scheduled castes and scheduled tribes have been implemented ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं समझता हूं वास्तव में उनकी हालत में सुधार आया है।

Shri Hukam Chand Kachwai: In what directions the improvements have taken place ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को पर्याप्त समय मिल गया है। अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। यदि आप समझते हैं कि मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई गलत बात है तो इसके लिये आप के पास दूसरे रास्ते हैं। श्री कछवाय के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं किया जायेगा।

***श्री हुकुम चन्द कछवाय :**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक ही सदस्य मंत्री के वक्तव्य के बीच में पुन: पुन: प्रश्न पूछता है तो यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है।

***श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम)** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बीच में बार बार अंतर बाधाएं करना उचित नहीं है। भाषण के मध्यान में एक दो प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं जानना चाहता हूं कि किन बातों में प्रगति हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बता देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि शांति से भाषण को सुनें।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैंने तथ्य और आंकड़े दिये हैं। मेरा कथन है कि सुधार हुए है परन्तु जो कार्य अभी करने को शेष हैं वे बहुत अधिक हैं। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो प्रगति बहुत धीमी रहेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ वर्गों को कतई लाभ नहीं पहुंचा है।

इसलिये पांचवी योजना के दौरान हमारा प्रयत्न केवल चालू कार्यों को रखना ही नहीं अपितु इस कार्यक्रम में अपेक्षित वर्गों को सम्मिलित करना भी है। इसी दृष्टिकोण से नये समुदायों को लिया जा रहा है और पांचवी योजना में विकासात्मक मार्ग को अपनाया जा रहा है ताकि जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उन्हें शीघ्र सहायता मिल सके।

हमारा ध्यान कुछ आदिम जातियों के शोषण की ओर दिलाया गया है। ऐसी घटनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंचाई और कृषि उपक्रमों को प्राथमिकता देने का भी विचार है। हमारा विभाग, योजना आयोग तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि पर्याप्त धन दिया जाये ताकि अपेक्षित वर्गों के लिये सुधार कार्य हाल में लिये जा सकें।

मैंने बताया था कि समाज कल्याण और पिछड़े वर्गों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और हमने पाया कि सभी राज्य सरकारें परिस्थितियों को सुधारने के लिए दृढ़ हैं। परन्तु अस्पृश्यता के मामले पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ससद की संयुक्त समिति इस बारे में संशोधनों पर विचार कर रही है और मैं समझता हूं कि इस बारे में प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।

जब तक अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती तब तक वे समान अधिकार प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकते इसलिये योजना आयोग तथा अन्य सभी केन्द्रीय मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिये सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता है कि उनके लिये पोषाहार की व्यवस्था की जाये। वर्ष 1970—71 में 6.80 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये पोषाहार की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिससे 3.40 लाख बच्चे आदिम जाति क्षेत्रों तथा 3.40 लाख बच्चे नगरों की गंदी बस्तियों के थे। यह लक्ष्य 96 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया गया है। यह परिस्थिति पूर्णतः संतोषजनक तो नहीं है। परन्तु कुछ कार्य अवश्य किया गया है। मुझे आशा है कि इस दिशा में पांचवी योजना में शत प्रतिशत कार्य किया जा सकेगा।

छात्रवृत्तियों को बढ़ाने का संकेत प्रधान मंत्री ने किया है। मैं इस बारे में सदन को आश्वासन देता हूं कि उन्हें अवश्य ही बढ़ाया जायेगा।

इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि अनुसूचित जातियों को उच्च शिक्षा देने की सुविधाए दी जायें। किन्तु यह प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब मैट्रिक पूर्व शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया

जाये । मैं कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा पाने वाले 31 लाख व्यक्तियों में 1.9 लाख अथवा 6 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है ।

अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 12 प्रतिशत है जबकि छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या निश्चित रूप से 6 प्रतिशत से भी अधिक है ।

दूसरी ओर अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति अंधकारमय है । उनके प्रत्येक छात्र को मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति पाने का अधिकार है । तो भी उनके छात्रों की संख्या एक प्रतिशत है जबकि उनकी जन संख्या 7 प्रतिशत के लगभग है । अतएव उनके लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। परन्तु यह प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब राज्य सरकारें मैट्रिक पूर्व शिक्षा पर विशेष ध्यान दें ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि केन्द्रीय योजनाओं को केन्द्र द्वारा चलाया जाये । परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि धन संबंधी वचनबद्धता वित्त मंत्रालय को देनी होती है ।

कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की शक्तियों क कम किये जाने के बारे में विचार व्यक्त किये हैं । आयुक्त के कार्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है । कोई भी सरकार उसकी शक्तियों को कम नहीं कर सकती । आयुक्त को उसके सांवैधानिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त समाज कल्याण की कुछ और योजनाएं भी सौंपी गई हैं ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आयुक्त को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है । सरकार इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

सरकारों तथा मंत्रालयों को स्पष्ट आदेश हैं कि वे आयुक्त द्वारा मांगी गई सूचनाओं आयुक्त को दें । गोपनीय फाइलों को छोड़कर अन्य मिसलें आयुक्त के अधिकारियों को दिखायी जा सकती हैं ।

संसदीय समिति की शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं । सरकारी कर्मचारी समिति को अपने विचार दे सकते हैं अथवा नहीं इस पर अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं ।

श्री एस० एम० सिद्धय्या (चामराजनगर) समाज कल्याण विभाग के साथ परामर्श द्वारा मंत्री मंडलीय सचिवालय ने एक नोट समिति को भेजा है जिसकी समाज कल्याण विभाग को जानकारी है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह मामला समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं आत है ।

श्री आर० डी० भंडारे : क्या वे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों को अभ्यावेदन दे सकते हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जी हां, आयुक्त को ।

श्री डी० बसुमातारी (कोकराझार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संसदीय समिति ने एक कार्यवाही समिति गठित की है । उसमें केवल कर्मचारी हैं । इसका मंत्रालय द्वारा स्वागत किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया है ।

प्रो० नुरुल हसन : जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है हम इस मामले की जांच करेंगे । सरकार इस बात को भी देखेगी कि संसदीय समिति के काम में कोई रुकावटें न आयें ।

जहां तक बेगार का संबंध है इसें संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत निषिद्ध किया गया है। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो इस समस्या के हल के लिए सरकार को अखिल भारतीय कानून बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सरकार को पता है कि इस समस्या को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता अतः इसके उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

कई सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पेय जल सुविधाएं देने, भूमि देने आदि की बातें की हैं। यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भूमि की चकबन्दी आदि में भी इन व्यक्तियों को कठिनाइयां न हों। सरकार यह जानती है कि यह सभी महत्वपूर्ण मामले हैं अतः इनके बारे में समुचित कार्यवाही करने की दिशा में सरकार अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

सरकार सदस्यों के इस सुझाव पर भी विचार करेगी कि समाज कल्याण विभाग को एक स्वतन्त्र मंत्रालय में गठित किया जाए और प्रधान मंत्री स्वयं इसे अपने अधीन लें। परन्तु सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रधान मंत्री को बहुत से अन्य राजनैतिक तथा प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ता है अतः इस बारे में सन्देह है कि इस मन्त्रालय के कार्य के लिए, यदि यह मन्त्रालय बनाया जाये, तो प्रधान मंत्री पर्याप्त समय निकाल पायेंगे। प्रधान मंत्री पहले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की अध्यक्ष हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रधान मंत्री, जिस मामले में आवश्यकता समझी जायेगी विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान देती रहेंगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : **

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। मैंने श्रीमती सहोदरा बाई का नाम पुकारा है।

Smt. Sahodrabai Rai (Sagar) : There should be one more Minister to look after the work of this Department. Centre is providing funds to states for the programmes related to welfare of Scheduled Castes/Tribes, but these are not being utilized properly. Centre should depute officers to look into it. Government should also see to it that students belonging to Scheduled Castes/Tribes passing in 3rd division get employment. While touring the country Prime Minister should see the conditions of Harijans and tribals in all provinces. Reservation quota should be fulfilled.

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं करें प्रश्न पूछें।

Smt. Sahodrabai Rai : I also want to know.

उपाध्यक्ष महोदय : यह भाषण है। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : **

श्री के० एस० चावड़ा : शिक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने का आश्वासन दिया है। यह वृद्धि कब से लागू की जायेगी?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Shri Hukam Chand Kachwai : (**Morena**) When the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill which lapsed with the previous Lok Sabha would be re-introduced?

श्री आर० डी० भण्डारी (बम्बई महम) : माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि सरकारी कर्मचारी भी अनुसूचित जाति / जनजाति आयुक्त के पास शिकायतें भेज सकते हैं । यह संवैधानिक स्थिति है । क्या आयुक्त संविधान के अन्तर्गत इन समुदायों को दिये गये अधिकारों और संरक्षणों के उल्लंघन के बारे में प्राप्त शिकायतों की भी जांच कर सकता है ।

Shri Chandrika Prasad (Belia) : Harijan Committees should be set up at District level.

श्री भोला राउत (बगहा) : सर पर रख कर गन्दगी ढोने की प्रथा को सरकार कब तक समाप्त करेगी ?

श्री एस० के० सरकार (जयनगर) : प्रवरता के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में सरकार का, पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बी० एस० मूर्ति :(अमलापुरम) : क्या सरकार ने हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ?

श्री डी० बसुमातारी : (कोकराझार) : माननीय मंत्री ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-शक्ति वाली जिस समिति का उल्लेख किया है वह कब नियुक्त की गई थी ?

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक-सेवा आयोगों के अध्यक्ष पद पर वर्तमान अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से प्रवरता के आधार पर, किसी को नियुक्त करेगी ? क्या सरकार जनजातीय लोगों से गैर-कानूनी रूप से गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित भूमि को वापस दिलवाने के बारे में कोई कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार मिडिल स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक नम्बर प्राप्त करने वाले हरिजन तथा जनजातीय छात्रों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रिहाइशी माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रबन्ध करेगी ?

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh)-Delhi) : What action Government propose to take to check the de-reservation of posts reserved for Scheduled Castes/Tribes?

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : क्या केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे अनुदानों को देश की बहुत सी नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा रहा है ?

Shri Chotey Lal (Chail) : Scheduled Castes and Scheduled Tribes people form Agricultural Labour. Govt. should take action to increase their wages. How long they will suffer ?

प्रो० नुरुल हसन : बहस में बहुत सी बातें उठाई गई हैं । मैं सब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता । जो तथ्य मेरे पास हैं वह मैं बता रहा हूं । शेष बातों के बारे में सदस्य प्रश्नों की सूचना दें । तब जानकारी उपलब्ध करवा दी जायगी । जहां तक कृषि श्रम का संबंध है सरकार इस बारे में विचार कर रही है और अगली योजना में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जायगी। फालतू

भमि के प्रश्न को भी उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा आयुक्त को भेजे जा रहे अभ्यावेदनों आदि के कारण कोई कठिनाई नहीं होगी। इस मामले का कार्मिक विभाग से संबंध है जो कि प्रधान मंत्री के अधीन है। आयुक्त के कार्य के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कई माननीय सदस्य उठे–

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर वह कुछ बातों का ही उत्तर दे सकते हैं।

कई माननीय सदस्य उठे –**(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(अन्तर्बाधाएं) **

अब हम प्रतिस्थापित प्रस्तावों पर विचार करेंगे। यदि कोई सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है तो वह सदन की अनुमति मांग ले। मैं सभी प्रतिस्थापित प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखूंगा यदि कोई सदस्य अपने प्रस्ताव पर अलग से मतदान चाहता है तो वह बता दे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने प्रतिस्थापित प्रस्ताव संख्या 10 पर अलग से मतदान चाहता हूं।

श्री शम्भुनाथ : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव 11 वापस लेना चाहता हूं।

श्री एस० एम० सिद्धय्या : मैं अपने प्रतिस्थापित प्रस्ताव संख्या 8 पर मतदान नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री शम्भुनाथ अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 11 वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शम्भुनाथ : जी हां।

प्रतिस्थापन प्रस्तान संख्या 11 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Substitute Motion No. 11 was, by leave, withdrawn

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं भी अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 5 वापस लेना चाहता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Substitute Motion No. 5 was, by leave, withdrawn

श्री अनन्त प्रसाद धूसिया : मैं भी अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 4 वापस लेना चाहता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Substitute Motion No. 4 was, by leave, withdrawn.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं भी, अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव 9 वापस लेना चाहता हूं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 9, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Substitute Motion No. 9 was, by leave, withdrawn.

श्री एस० एम० सिद्धय्या : (चामराजनगर) : मैं भी अपने प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 8 के लिए अनुरोध नहीं कर रहा हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 8, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Substitute Motion No. 8 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब भी श्री रामावतार शास्त्री का प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 10 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Substitute Motions No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब तीन और प्रतिस्थापन प्रस्ताव हैं। मैं उन्हें इकट्ठे ही मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 3, 6 तथा 13 मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए

Substitute Motion No. 3, 6 and 13 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 1972-73

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1972-73

श्री जगदीश भट्टाचार्य (धारल) : अनुदानों की जो अनुपूरक मांगे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत हैं उनमें से बहुत सी मदों पर व्यय पहले से किया जा चुका है। अतः यह चर्चा दिखावा मात्र है और स्थिति को कानूनी रूप देने के लिए है। अनुपूरक बजट में 15.16 करोड़ रुपये की अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गई हैं। यह कोई कम राशि नहीं है। यदि रेल प्रशासन अपने खर्चे में मितव्ययता करता है तो सामान्य बजट में रेलवे के लिए जो व्यवस्था थी उससे भी यह खर्चा पूरा हो सकता था।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwari in the Chair

रेल मंत्रालय का कार्य निष्पादन सराहनीय नहीं रहा है। बजट में भी तृतीय वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के खर्चे की व्यवस्था थी परन्तु अब कहा जा रहा है कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि हो गई है। यह बढ़ोत्तरी कीमतों में हुई है वृद्धि और जीवन-निर्वाह सूचकांक की लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। वास्तव में मंहगाई भत्ता बढ़ाने के स्थान पर मूल्यों को स्थिर रखा जाना चाहिये।

देश में रेल यातायात का ठप्प हो जाना आज देश में एक सामान्य बात है। रेल पटरियों के ठीक न होने के कारण गाड़ियों की गति धीमी करनी पड़ती है। इससे गाड़ियों को पहुंचने में असाधारण विलम्ब होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रेल इंजिन ठीक नहीं होते। पूरी जांच के बिना ही इंजिन गाड़ियों में लगा दिये जाते हैं। इस प्रकार की बातें रुकनी चाहियें।

अनुपूरक बजट में कुछ लाइनों के विकास का उल्लेख है परन्तु इसमें पूर्वी प्रदेश को कोई स्थान नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल के लोग निरन्तर यह मांग कर रहे हैं कि सरकार मार्टिन बर्न रेल लाइन को अपने अधिकार में ले। इससे 2000 श्रमिकों को फिर से नौकरी मिलेगी और साथ ही हर-रोज कलकत्ता आने वाले हजारों लोगों को भी राहत मिल जायेगी। पिछले चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस लाईन को सरकार अपने अधिकार में लेगी परन्तु इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के "लोको रनिंग" कर्मचारियों की कुछ पुरानी मांगें हैं। उनके आन्दोलन करने पर भी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई। हड़ताली कर्मचारियों के साथ सख्ती का व्यवहार किया जा रहा है।

इसी प्रकार का व्यवहार चितरंजन के "लोको" श्रमिकों के साथ भी किया जा रहा है। वहां पर कर्मचारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जा रहा है, निलम्बित किया जा रहा है और मनमाने ढंग पर उनको स्थानान्तरित किया जा रहा है। स्थानान्तरण के कुछ मामले कलकत्ता उच्च-न्यायालय में ले जाए गए तो न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। परन्तु इसके बावजूद भी उन्हें कार्य पर नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी ओर कटिहार के कुछ रेलवे कर्मचारी एक पुलिस अधिकारी और एक अन्य अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग कर रहे हैं परन्तु उस मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हमने यह बात रेल मंत्री के ध्यान में भी लाई है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I am thankful to Shri Qureshi.

Shri Mahat Deepak Singh Shakya (Kasganj) : Sir, On a point of order there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The quorum bell is being rung . . . Now there is quorum. The Hon. Member may continue.

Shri Bibhuti Mishra: I am thankful to Shri Qureshi for his broadcast that Government is considering to construct Naraina Bridge, which was destroyed in 1923, on the river Gandak. Broadgauge railway line is being laid from Muzaffarpur to Gorakhpur and Barabanki. I suggest that this railway line should be extended to pass through this bridge touching Motihari and Batiah. This will reduce the distance by 48 K. meters and will also open the border area along Nepal. This is very important, because there should be broadgauge railway line along the border road.

There is no Express Train from Baghaha to Muzaffarpur. That is why the people of North Bihar and Champaran are put to great difficulty to catch Assam Mail as they have to reach at Barauni. Therefore an Express Train should be provided for the people in this area.

There is a long pending demand to establish an office of Railway Public Service Commission in Bihar. Bihar is the second largest State in India and there is no office of the Railway Public Service Commission there. In order to enable the people of Bihar to get job in the railways, office of the Railway Public Service Commission should be established in Bihar.

There is more scope for improvement in the steamer service from Mahendraghat to Palejaghat. Educated people of Bihar are not getting even class III and class IV jobs. I, therefore, request the Government that there should be a fixed quota in services for the people of Bihar according to their population. Moreover quota in services should be fixed for different States according to their population.

People in the interior areas of the State of Bihar are very backward. The backward areas should be developed and should be brought to the level of more advanced areas. More express railway services should be provided in these areas so that ticketless travel in the passenger trains may be reduced.

It is proposed to construct a road bridge over Ganga. I request that this bridge should be a road-cum-rail bridge so that people of North and South Bihar and those of Uttar Pradesh may be benefited and also both the Northern and Southern parts of Bihar will have an opportunity to have direct contact.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Railway Vigilance Department is working under Railway Board. Under the influence of the Officers of Railway Board Vigilance Department can not go against these Officers. Therefore the Railway Vigilance Department should be made an independent authority and it should not have any contacts with the Railway Board. This is very important for its impartial and independent investigation against the corrupt Railway Officers.

Demand for bonus of the railway employees cannot be suppressed any longer. It is high time for the Government to grant their demand for bonus at the rate as has been fixed for industrial workers because railways are earning a lot of profit.

Railways are earning comparatively more profit from passengers travelling in Third Class. But the facilities and amenities provided in the third class coaches in trains are rather less. Therefore, more facilities should be given to these passengers. The general condition of third class compartments in trains, like public conveniences, drinking water etc. and waiting rooms at stations should be improved properly.

Railways have to suffer huge damage due to floods every year in the country. Government should take some permanent measures so that heavy loss to railways, and its property may be saved from floods.

There is no over bridge at Morena Station. The passengers have to bear great difficulties for want of this over bridge. A railway over bridge should be constructed at Morena Station.

There is a narrow gauge line from Gwalior to Sopur Kala. There is no proper arrangement for light and water in this train, moreover this train runs very slow. This narrow gauge line should be converted into broad gauge line.

All the railway Stations in Gwalior Region have become very old and their general condition is deteriorating. All these railway stations should be developed and the Hon. Minister should look into this matter. Guna-Maksi railway line should be connected with Shivpuri and Sopur-Kala railway line with Swai-Madhopur. By doing so these areas will be developed.

There are a large number of private railway lines operating in the country even today. I want that the Government should take over these private railway lines.

There is no proper arrangement for the security of the passengers in the railways. Incidents of loot and molestation of women in the trains are reported in the newspapers. Immediate steps should be taken to ensure complete security of the passengers travelling in the trains.

Some Railway Unions have not been recognised. Government have instructed the General Managers and Divisional Superintendents not to receive memoranda from these Un-recognised Unions. This policy is causing great harm. The General Manager of the South Central Railway refused to take memorandum from the loco running staff as a result of which they resorted to strike. This policy of the Government should be changed.

Signal and Micro-Wave system is being introduced but because of lack of efficient staff and proper facilities the functioning of this new system has not proved successful.

There is great malfunctioning in the catering system in the railways throughout the country. The main reason of this malfunctioning is that a large number of licences have been given to one contractor who does not work himself but employs other persons and thus makes profit. The Hon. Minister should look into this matter.

The Railways passes issued to the Hon. Members of Parliament should not be misused.

Some of the railway trains have been shown in the railway time table but actually they are not running. For instance a train from Patna to Dhanbad *via* Gaya has been shown in the Railway time table but this train is not running. I request the Hon. Minister to clarify the position regarding false railway time table.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : रेल मंत्रालय में निकम्मे अधिकारियों के कारण सरकार के ही सबसे बड़े उपक्रम रेलों को अब हानि हो रही है।

हम बिहार के लोगों की बहुत पुरानी मांग है कि बिहार में भी रेलवे सेवा आयोग का कार्यालय होना चाहिए, क्योंकि बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। किन्तु खेद है, रेलवे मंत्रालय इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस मंत्रालय में निहित स्वार्थ व्यक्ति है।

बिहार राज्य के चार बड़े नगरों में से एक भागलपुर भी है। किन्तु भागलपुर होकर कोई तेज रेल गाड़ी नहीं चलती। दिल्ली से हावड़ा तथा इससे आगे जो भी मेल या एक्सप्रैस रेलें चलती हैं, वे भागलपुर होकर नहीं जातीं। भागलपुर के लोग अनेक वर्षों से मांग कर रहे हैं कि भागलपुर होते हुए एक एक्सप्रैस अथवा मेल रेल गाड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिये। रेलवे विभाग ने केवल एक ही

तेज गति वाली गाड़ी चलाई है, जो यहां के लोगों की मांग पूरी नहीं कर सकती। आसाम, बिहार, मनीपुर और त्रिपुरा से निर्वाचित सब संसद सदस्यों को रेल मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आसाम, मेल को भागलपुर होकर चलाया जायेगा। किन्तु यह अभी किया नहीं गया है। दिल्ली-एक्सप्रैस, तूफान एक्सप्रैस, बम्बई बाई-वीकली, जनता एक्सप्रैस, सभी एक्सप्रैस गाड़ियां कियूल होकर जसिदिह जाती हैं किन्तु ये गाड़ियां कियूल से हावड़ा तक के क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी नहीं कर सकतीं। वातानुकूलित सैलून रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले रेल अधिकारियों ने देश के इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए भागलपुर और इसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों में गम्भीर असन्तोष व्याप्त हो गया है। यदि कटिहार के लोगों के आन्दोलन से डर कर आसाम मेल का मार्ग बदलने के अपने निर्णय को मंत्री महोदय बदल सकते हैं, तो मंत्री महोदय को यहां के लोगों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। यदि यहां के लोगों की कठिनाईयों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग आन्दोलन कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग आन्दोलन करें, परन्तु अब मेरे वश की बात नहीं रही। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां के लोगों की मांगों की जांच करें। तेज गति की जो एक रेल गाड़ी की व्यवस्था की गई है वह तेज गति की बिल्कुल नहीं है। यह गाड़ी पटना से भागलपुर तक की दूरी 7 घन्टे में तय करती है। एक पूरा दिन बीत जाता है।

अतः पटना से सियालदाह तक बरास्ता जेसिदिह अप्पर इण्डिया एक्सप्रैस और बरास्ता भागलपुर तूफान मेल चलाई जानी चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, in the supplementary demands for grants (Railways) Rs. 9·55 crores have been demanded for payment of interim relief to the Central Government employees. But the most important is the report of Third Pay Commission. Government should expedite submission of the report of the Third Pay Commission, because there is great discontentment and resentment among the railway employees. The report of the Third Pay Commission will help in removing this resentment among the railway employees.

Secondly I want to draw the attention of the Government to the growing demand for bonus by the railway employees. Government should give bonus to the railway employees and also to the P. & T. employees; otherwise there will be wide spread agitations in the Country.

From this supplementary demand it is quite evident that there is widespread corruption in the railways. The Railway Employees' Unions and Federation have already drawn the attention of authorities this evil but they have not cared for this. Not only that, these Unions have offered their services in eradicating corruption from Railways. Therefore, Railway authorities should seek the Co-operation of all the Railway Employees' Unions in eradicating corruption and corrupt practices, which have made railways suffer heavy losses.

So far as railway canteens are concerned, there is lot of malfunctioning and bungling there. The General Manager of N. F. Railway, ignoring the orders of the Hon. Minister, have renewed a contract to run the canteens in Katihar. This contractor is a discredited one. This matter should be looked into so that the Canteens may function properly.

Rs. 2·67 crores have been demanded for the repairs of railway lines of Western Railway only. This is discrimination with the other Railways. The other Railways have also suffered loss due to floods. There should be planned scheme for the repairs of railway tracks particularly in the backward regions.

There is shortage of Gangmen and running staff. The number of Gangmen should be increased for proper maintenance of rail tracks.

Memoranda of the Un-recognised Unions should also be received by the Railway auhorities and due consideration should be given to their just demands, otherwise railway employees will go on strike and resoıt to agitations.

The running staff is compelled to work for moıe than 8 hours. They should not be compelled to work for longer hours. There is break in service of nearly 6 thousand railway employees of Western Railway because they were on strike. All kind of intimidation should be stopped and the actions taken against them should be withdrawn.

All the Unions of railway employees should be combined into one Union Unless this is done all the railway Unions should be recognised. Only then railways can function properly.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि पिछले 5 या 6 वर्षों से रेलवे का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है । फिर भी कुछ सुधार हुआ है ।

रेलवे विभाग द्वारा प्रतिवर्ष यह दावा किया जाता है कि उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है । उनका कहना है कि उन्हें ढुलाई के लिये माल यातायात तथा यात्री उनकी आशा के अनुसार नहीं बढ़े हैं। इसलिये बढ़ते हुए खर्चे को पूरा करने के लिये उन्हें रेल के किराये और माल–भाड़े में वृद्धि करनी पड़ती है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है जब कि घाटा होना आरम्भ हो गया है । यह तो सही है कि देश में यातायात बढ़ गया है, कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है, किन्तु रेलवे बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं माल डिब्बों की सप्लाई सुनिश्चित ढंग से नहीं की जाती । एक ओर तो रेलवे विभाग यह शिकायत करता है कि उन्हें ढुलाई के लिये पर्याप्त माल नहीं मिल रहा है किन्तु दूसरी ओर निर्यात करने वाले लौह अयसक कोयला तथा सीमेंट उद्योगों की यह शिकायतें हैं कि उन्हें माल डब्बे नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण उन्हें निर्यात के लक्ष्य पूरे करने में बहुत कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं । और उनको निर्यात कार्य में हानि हो रही है। यह बात समझ में नहीं आती। माल डिब्बों की सप्लाई सुसंगठित ढंग से नहीं होती है। इसमें कुछ असंगति है। जब तक रेलवे में इस स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक रेलवे की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अतः मंत्री महोदय को रेलवे के कार्यकरण तथा माल यातायात को निपटाने तथा ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिये इसका पुनर्गठन करना चाहिये जिससे जनता की शिकायतें दूर की जा सकें और ढुलाई के लिये बढ़े हुए माल को प्राप्त कर व्यय पर नियंत्रण किया जा सके ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छः वर्ष पूर्व परिचालन कुशलता तथा अर्थव्यवस्था के आधार पर दक्षिण–मध्य जोन का गठन किया गया था। किन्तु प्रकाशित हुए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के भीतर इस जोन ने और अधिक जटिलताएं उत्पन्न कर दी हैं और इससे रेलव को हानि उठानी

पड़ी है । मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार रेलवे में कार्यकुशलता कम हो गई है और शोलापुर डिविजन को, जो पहले ही छोटी थी, इसे मध्य रेलवे से हटा कर इसके कुछ भाग को बम्बई डिविजन में जोड़कर और कुछ भाग को भुसावाल डिविजन में जोड़कर, और भी छोटा कर दिया गया है । जिससे इसे बहुत हानि हुई है इसका परिणाम यह हुआ है कि जो डिविजन पहले ही छोटी थी, उसे और भी छोटा कर दिया गया है। अब चार डिविजन बन गई हैं, जिनमें शोलापुर डिविजन सब से छोटी है ।

यह बात सच है कि रेलवे में माल यातायात बहुत कम हो गया है । 1964–65 की तुलना में यह घटकर केवल 18 प्रतिशत रह गया है। अनेक बार अभ्यावेदन भी दिए गए हैं ।और लोगों में बहुत उत्तेजना है । चार पृथक डिविजन बनाए रखने से न तो रेलवे का कोई हित सिद्ध होता है और न ही इसमें उस क्षेत्र को लाभ होता है । और न ही लोगों को लाभ हुआ है । अतः रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे या तो इस मामले पर विचार करें और या इसे रेलवे बोर्ड की विशेषज्ञ समिति और उस क्षेत्र के कुछ सदस्यों के पास भेजें जिससे हम सब मिल बैठकर इसका कोई समाधान निकाल सकें ।

***श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि)** : मांग संख्या 15 में मिया भोय न्यायाधिकरण के पंचाट का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि पंचाट की विभिन्न मदों का क्रियान्वयन प्रगति पर है। यह हर्ष की बात है। रेलवे उप मंत्री द्वारा उक्त पंचाट को रेलवे कर्मचारियों पर लागू न करने की घोषणा से रेलवे कर्मचारियों के बीच होने वाले असंतोष की कल्पना की जा सकती है । श्री खाडिलकर द्वारा दिया गया वक्तव्य देश के कर्मचारियों को होने वाले 8.33 प्रतिशत बोनस लाभ के विरुद्ध है। एक ओर तो केन्द्रीय श्रम मंत्री श्रमिकों के कल्याण के लिये कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरी ओर उपमंत्री उक्त पंचाट को रेलवे प्रशासन पर लागू न कर श्रमिक विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं।

उक्त पंचाट को वर्ष 1973–74 में पूर्णतया लागू किया जाना चाहिये । जब केन्द्रीय सरकार ने गैर–सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने के लिये संविधिक उपबन्ध बना लिया तो फिर रेलवे कर्मचारियों को उनके खून पसीने से कमाये गये लाभ का समुचित भाग देने से इंकार नहीं किया जाना चाहिये । यदि रेलवे को हानि होती है तो वह कर्मचारियों के असहयोग के कारण नहीं होती बल्कि रेलवे में फैले कुप्रबन्ध और उसके अकुशल कार्य से होती है रेलवे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं।

मुझे इस बारे में शंका नहीं है कि यदि रेलवे को होने वाली हानि को कम करन का प्रयास किया जाये तो रेलवे मंत्रालय अपने कर्मचारियों को बोनस देने में समर्थ हो सकता है । अतः रेलवे को होने वाली हानि को न्यूनतम किया जाना चाहिये ।

टोन्डियारपेट मार्शलिंग यार्ड, इरोड लोको वर्कशाप और एस० एण्ड० टी० वर्कशाप के विस्तार और मद्रास-निरिवेलौर लाइन पर बिजली लगाने के लिये तमिलनाडु की जनता रेलवे मंत्री को धन्यवाद देती है ।

कोयले की कमी के कारण अधिक से अधिक गाड़ियों और विशेषकर नीलगिरी एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाये जाने चाहिये ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*English translation of the speech delivered in Tamil.

रेलवे के हाथ में केन्द्रित शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । यह प्रसन्नता की बात है कि 30 नवम्बर को महाप्रबन्धकों का सम्मेलन बुलाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ की गई है । उक्त सम्मेलन में किये गये निर्णय को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

मद्रास में भूमिगत रेलवे पद्धति के बारे में एक अधिकारी नियुक्त किया गया था । इस विशिष्ट अधिकारी की कार्य कुशलता के कारण इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है । उक्त अधिकारी को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाना चाहिये । जिससे उक्त कार्य उचित रूप से किया जा सके ।

रेलवे में भोजन-यान में बहुत घटिया किस्म का खाना सप्लाई किया जाता है । ऐसा कहा जाता है है कि रेलवे के खान–पान विभाग को भारी हानि हो रही है । इस समस्या का समाधान खान–पान सेवा को समाप्त करके नहीं बल्कि भोजन की किस्म में सुधार करके और उसे उचित दर पर सप्लाई करक किया जाना चाहिये । रेलवे मंत्री को इस बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये ।

Shri mati Sahodrabai Rai (Sagar) : A railway line should be constructed between Sagar and Chattarpur and it should be extended upto Panna.

A railway station should be built at Ishwarbare. The people of that area have to face great difficulties without it,

Proper ammenities should be provided for passengers going from Sagar to Bahaolia.

Railway wagons are not made available to the people of my constituency for sending goods outside. The Government should look into this matter.

An overbridge should be constructed at Makronia Station.

The demand of the railway employees regarding bonus should be accepted. So that their discontentment may be removed.

Amenities like light and water should be provided in passenger trains. The wages of Harijans and Adivasis should be raised in Railways and they should be made permanent.

A railway line should be laid between Sagar and Vati Devari and it should be extended upto Burman and Narsinghpur.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : रेलवे के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने सम्बन्धी योजना आरम्भ करने के लिये मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि नई योजना के अन्तर्गत रेलवे के कार्य में पर्याप्त सुधार होगा ।

रेलवे मंत्री को कर्मचारियों की मांगों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । रेलवे कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने के सम्बन्ध में रेलवे मंत्री को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिये ।

सरकारी और गैर–सरकारी और ओद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये । यदि रेलवे मंत्री इस बारे में हिचकिचाहट से काम लेंगे तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

बिहार में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बहुत समय से मांग की जा रही है ।

इस मांग को रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था लेकिन मंत्रालय में हुए परिवर्तन से सारी योजना बदल गई है। इस मांग पत्र पर पुन: विचार किया जाना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय एक एक्सप्रैस गाड़ी को साहिबगंज लूप के रास्ते चलाने पर विचार करेंगे ।

एक उद्योग के लिये एक संघ होना चाहिये । देश में कार्मिक संघ आन्दोलन का इतिहास यह बताता है कि जो लोग एकता की बात करते हैं वे तब तक कभी एकता स्वीकार नहीं करते जब तक उनका इसमें कोई स्वार्थ निहित न हो । सब कर्मचारियों को महासंघ में कार्य करने का अधिकार होना चाहिये किसी व्यक्ति को रेलवे की ईमानदारी पर सन्देह नहीं करना चाहिये :

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : हमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहिये चाहे वह बिहार अथवा महाराष्ट्र अथवा तेलगांना अथवा उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में हो । अथवा अन्य किसी स्थान पर।

यह खेद की बात है कि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक रेलें नहीं पहुंची हैं । कोंकन तथा पश्चिमी तट के अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वहां रेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें । अतः पश्चिम तट रेलवे को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । उक्त योजना की क्रियान्विति के लिये धन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति है और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को पहले ही लिख दिया है कि अकाल राहत कार्य के रूप में पश्चिम तट रेल का कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिये । मैं मुख्य मंत्री के सुझाव का पूर्ण समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि रेलवे मंत्री एक स्पष्ट आश्वासन दें कि अकाल राहत कार्य के रूप में इस लाइन का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों को भी 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये । सिकन्दराबाद डिविजन में दक्षिण मध्य रेलवे के उन पांच कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापिस लिये जाने चाहिये जिनके विरुद्ध 1960 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मुकदमा चलाया गया था ।

श्री घामनकर (भिवंडी) : महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति है और लगभग 15 लाख व्यक्ति सड़कों और परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं । लेकिन उन्हें जानकारी अथवा उसके बाद काम देना सम्भव नहीं ।

कोंकन रेलवे लाइन को कुदाल तक बढ़ाये जाने से कोलावा और रत्नगिरी दोनों जिले मिल जायेंगे ।

अगामी महीनों में वहां सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी । रेलवे अधिक जल वाले क्षेत्रों से पानी लाकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाकर इस मामले में सहायता कर सकती है ।

दिवा–बेसिन रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर जब इस सम्बन्ध में कार्य किया जाये तो मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस कार्य के लिये कृषि भूमि का प्रयोग न किया जाये ।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : A railway line should be from Satna to Reva *via* Bhauhari and Singrauli should be laid. A rest house should be constructed for persons going to Raipur for purchases.

Provision for promotion should be made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in railways.

An over bridge should be constructed at Sahdol.

Sahdol is rich in Coal. But railway wagons for transportation of coal are not made available. The Government should make arrangement for providing railway wagons so that the closed industry may work again.

Shri R. P. Yadav (Madhopura) : The Railway Board should be abolished.

There has been constant demand for linking Bihasi Gang to Samti Bakhtiarpur. But nothing has been done in this direction.

The route of Assam Mail should not be diverted because it is the only train linking Assam and North Bihar to Delhi.

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Provision has already been made in the current Budget for converting meter gauge line from Barabanki to Smastipur into a broad gague line, but nothing has been done so far in this regard. I want to know when this work will be undertaken and completed?

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : There cannot be any progress of the development work until shortage of railway wagons is removed. The Railway Department is fully responsible for the little progress in this connection.

Khalilabad city is an important industrial area on North Eastern Railway in Uttar Pradesh.

'1-Down' and '2-Up' trains should be halted there. A platform should be constructed on the north side of the station. The Railway Minister should look into the grievances of the Station Masters.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन को बन्द न करने सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग पर क्या कोई विचार किया गया है ?

तलवारा से मुकेरियां तक की लाइन भी अभी तक रेलवे विभाग को नहीं सौंपी गई है जिसके फलस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि हो रही है ।

चालीस संसद् सदस्यों ने तलवारा और नांगल बांध को मिलाने वाली रेलवे लाइन खोली जाने के अनुरोध के बारे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय रेलवे के "फायरमैन एण्ड ड्राइवर यूनियन" को मान्यता दें । रेलवे के कर्मशियल कलर्कों के वेतन स्तरों में पिछले 20 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है । इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

गोधरा और अहमदाबाद के बीच भी सीधी लाइन होनी चाहिये । इस बीच लाइन बनी है । अतः सरकार को शीघ्र ही इस पर गाड़ी चलानी शुरू करनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त लुनाबाड़ा जाने वाली लाइन को भी मालापुर और मेडेसा होते हुए उदयपुर तक बढ़ाया जाना चाहिये ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मंत्री महोदय मंगलौर और हसन के बीच वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर इसे तिपतुर होकर बंगलौर तक बढ़ाने पर विचार करेंगे ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The question of railway crossing is arising at the places where work of consolidation of holdings is going on. The Government should change its policy on level crossing.

All the bridges should be converted into rail-cum-road bridges. In addition, Chandigarh should also be connected through broad gauge line.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : आसाम मेल आसाम के लोगों के लिये है। और इसके लाभ उन्हें मिलने ही चाहिये। आसाम मेल फरक्का बांध होकर जानी चाहिये। जिससे 8 घंटे समय की बचत हो जाये। अधिक किराये और फासले के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मुझे आशा है कि रेल मंत्री आसाम के लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान देंगे।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Ninety per cent replies to the MPs letters received from the Railway Ministry, are generally in 'No'. These letters should be examined instead of giving the replies in negative.

It is not known as to how the railway authorities have assumed that there is no passenger traffic at Bassi railway station on the Western Railway, without stopping the train there. The time-table of the passenger trains which runs between Ajmer and Delhi should be changed as suggested previously. The demand of running shuttle train between Alwar and Jaipur has not so far been met by the authorities.

Mr. Chairman : All the questions raised so far relate to discussion on general budget. You are discussing the supplementary Budget at this time.

Shri Nawal Kishore Sharma : This is the only time when we can discuss such issues.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : I want to know the reasons for which employees terminated during the term of Shri Hanumanthaiya have now been re-instated by Shri Pai, the present Minister. There should be some national policy for goods wagons. What steps are being taken by the Railway Ministry in this regard?.

Will the Minister also try to increase the speed of 55 and 56 down which runs between Delhi to Buxer.

श्री पी० एम० सईद (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमह) : मैं जानना चाहता हूं कि मंगलौर और बम्बई को कब तक जोड़ा जायेगा क्योंकि हमारी पैदावार की मार्केटिंग का इससे गहरा सम्बन्ध है।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : क्या मैं जान सकता हूं कि आपटा से कुंडल के बीच रेल लाइन कब तक खोली जायेगी ? बम्बई के लिये भूमिगत रेलवे का सर्वेक्षण कार्य अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया है ?

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : The contract system in railway catering units should be abolished and the cases of individuals should be considering for running the canteens.

श्री बी०के० दासचौधरी (कूचबिहार) : मैं जानना चाहता हूं कि जलपाईगुड़ी से हल्दीबाड़ी के बीच वाली लाइन की जो 1968 में बाढ़ से नष्ट हुई थी कब तक मरम्मत की जायेगी ? जलपाईगुड़ी से आगे यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं है ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री बी०एन० रेड्डी (निरयालगूड़ा) : आन्ध्र प्रदेश में बीबीनगर से नदाकुडे के बीच रेल लाइन बिछाने सम्बन्धी योजना क्या बनाई जा चुकी है ? मेरा निर्वाचन क्षेत्र बिना रेल लाइन के है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : सन् 1960 की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में जो कर्मचारी निकाले गये थे उनमें से केवल 5 ऐसे हैं जिन्हें अब तक वापिस नौकरी में नहीं लिया गया है। क्या मंत्री महोदय इस ओर विशेष-ध्यान देंगे।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : 1972—73 के रेलवे बजट में 32.53 करोड़ रुपये की बचत का प्रस्ताव है। आय लगभग 18 करोड़ रुपये बढ़ी है किन्तु इसके साथ ही आय में भी बजट अनुमानों से 39 करोड़ रुपये की बृद्धि हुई है। कई वर्षों से कर्मचारियों के वेतन, कोयला और इंधन के मूल्य तथा रेलवे प्रणाली के कार्यसंचालन की लागत सभी में बृद्धि होती चली आ रही है।

मिघमेई निर्णय और वेतन आयोग द्वारा अंतरिम राहत की सिफारिश के फलस्वरूप इस वर्ष हमें वेतनों के भुगतान की समस्या का सामना करना है।

मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि भारतीय रेलों द्वारा आज की तुलना में अधिक माल की ढुलाई की जा सके। माल डिब्बों की स्थिति को सुधारने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं। हमने ऐसे भी प्रयत्न किये हैं कि मरम्मत वाले माल डिब्बों को कर्मशालाओं में भेज दिया जाये। माल डिब्बों के लिये गैर सरकारी क्षेत्र के पास क्रयादेश भेजने के लक्ष्य में परिवर्तन किया गया है। और इसके साथ ही अपनी कर्मशालाओं में माल डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्यों में भी परिवर्तन किया जा रहा है।

सूखा पड़ते ही हमें योजनायें बनानी पड़ती हैं क्योंकि खाद्य निगम और कृषि मंत्रालय के सहयोग से हमें खाद्यान्नों को राज्य सरकारों को सौंपना पड़ता है जिससे मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि न हो। उर्वरकों को ले जाने के लिये भी हम प्राथमिकता देते हैं जिसमें हमें सफलता मिली है। 90 से 95 प्रतिशत तक सीमेंट की ढुलाई भी हमने की है। इस्पात मंत्रालय से हमने कोयला नियंत्रण को लागू करने के लिये अनुरोध किया है ताकि सभी कार्यों के लिये देश के सभी भागों में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। चालू वर्ष में अप्रैल से नवम्बर तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हमने लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त माल की ढुलाई की है। केवल अक्तूबर के महीने में ही हमने गत वर्ष अक्तूबर की तुलना में 20 लाख टन अधिक माल की ढुलाई की है।

अब यह मालूम करने का प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे प्रणाली में कौन से दोष उत्पन्न हो गये हैं। हमने अब रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ा दिये हैं ताकि इन माल डिब्बों को बुक कराने और हमारे द्वारा माल ले जाने की गडबड़ी करने का प्रलोभन न रहे। हमने यह भी निर्णय किया है कि 1 दिसम्बर से स्थान शुल्क और बिलम्बन शुल्क में शीघ्रता से 158 रुपये प्रति माल डिब्बा प्रति दिन की दर से बढ़ाकर 211 रुपये किया जाये। रेलवे अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। ताकि बेलिग को जो रेलवे की जिम्मेदारी है और जिसे वह विभाग इस समय कर रहा है, 30 दिन से कम करके 7 दिन कर दिया जाये।

चोरी के कारण प्रतिवर्ष 13 करोड़ रुपये की हानि होती है। यह सच भी है कि हमें इसे रोकने के लिये 14 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। 13 करोड़ रुपये में से 5 अथवा 6 करोड़ रुपये की हानि

होती है और शेष हानि माल को दोषपूर्ण ढंग से उतारने चढ़ाने के कारण हमें मुआवज़े के रूप में देने के कारण होती है ।

बिना टिकट यात्रा के बारे में चर्चा की गई । इससे 20 से 25 करोड़ रु० प्रति वर्ष रेल को घाटा होता है । ये आंकड़े वर्ष 1968 के दौरान दिये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित हैं । बिना टिकट यात्रा करने वालों में 9 प्रतिशत छात्र थे और भिखारियों, कृषकों और छोटे व्यापारियों की संख्या क्रमशः 12 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 23 प्रतिशत थी । इस बारे में लोगों की आदतों में सुधार होना चाहिये । इस प्रकार की बिना टिकट यात्रा को रोकने की रेलवे प्रशासन की जिम्मेवारी है ।

जंजीर खींचने को दण्डनीय अपराध बना दिया गया है और इसके लिये 250 रु० के जुर्माने और कैद की सजा देने की व्यवस्था की गई है, फिर भी प्रतिदिन 800 बार रेलगाड़ियां रोकी जाती हैं । अभी तक हम यात्री रेलगाड़ियों के ही ठीक समय आने-जाने पर जोर देते रहे हैं, परन्तु अब मालगाड़ियों के भी ठीक समय पर और तेज गति से चलने पर भी जोर दिया जायगा । नई रेल लाइनें चलाने और अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करने सम्बन्धी सदस्यों के सुझावों को तभी क्रियान्वित किया जा सकता है, जबकि रेल-विभाग घाटे से लाभ कमाने की स्थिति में आ जाय ।

कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि रेल लाइन के आ जाने से पिछड़ापन दूर हो जाता है । लेकिन ऐसा है नहीं, कहीं कहीं 50 अथवा 100 वर्ष से रेल लाइन है, मगर पिछड़ापन अभी तक दूर नहीं हो सका है । सीमिति संसाधनों के होते हुए, जनता को यह सोचना होगा कि उन्हें रेलवे लाइन चाहिये अथवा कोई उत्पादक कारखाना चाहिये । कोंकण रेलवे में मैं व्यक्तिगत रुचि रखता हूं । मैंने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है कि रत्नगिरी जिले में क्या वे उर्वरक कारखाना अथवा अल्म्युनियम संयंत्र जैसे किसी उद्योग की स्थापना करने के इच्छुक हैं, अन्यथा रेल लाइन से कोई भी लाभ नहीं होगा । कोंकण रेलवे की स्थापना तो होगी, परन्तु उसमें समय तो लगेगा । मैंने रेलवे बोर्ड से यह कहा है कि लाइनें लाभप्रद हों और उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि अगर किसी रेलवे में 10 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो उसे स्थायी नहीं समझा जाना चाहिये । ट्रकों से प्रतिस्पर्धा करने की दृष्टि से रेलवे प्रशासन को घाटे वाली लाइनों में स्पेशल भाड़े की दरें निर्धारित करनी चाहियें ।

किसी भी योजना में लगभग एक-तिहाई व्यय श्रम के उपर व्यय करना पड़ा है । अगर योजना आयोग यह समझता है कि इससे रोजगार में वृद्धि होती है और श्रम पर व्यय रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से होगा, तो इससे देश के विभिन्न भागों में विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है । इसलिये ठेकेदारों को काम देने के स्थान पर श्रमिकों को संगठित करना होगा और रोजगार-प्रधान योजनायें बनानी होंगी ।

रेलवे बोर्ड की भी आलोचना की गई है । यह भी मांग होती रही है कि प्रशासन कार्य तकनीकी व्यक्तियों को सौंपा जाय । रेलवे बोर्ड में तकनीकी व्यक्ति ही हैं और वहां एक भी आई० ए० एस० अथवा आई० सी० एस० अधिकारी नहीं है । इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

मैं यह भी देख रहा हूं । कि रेलवे बोर्ड के कितने निर्णय संचालन सम्बन्धी हैं और कितने नीति-निर्धारण सम्बन्धी हैं । मैं यह भी चाहता हूं कि अधिकारों को अधिक से अधिक विकेन्द्रीकृत किया जाय जिससे महाप्रबन्धक तत्काल निर्णय ले सकें और रेलवे-बोर्ड नीति निर्धारण संस्था का कार्य करें ।

भारतीय रेल प्रणाली सर्वाधिक बड़ी व्यवस्था है । इस समय हम 2030 लाख टन माल की ढुलाई कर रहे हैं । पांचवी योजना के अन्त तक 3000 लाख टन तक भारवहन क्षमता के विस्तार

होने की सम्भावना है। हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। हमारे सामने यह भी समस्या है कि 17 1/2 लाख कर्मचारियों और वैगनों आदि का किस प्रकार अधिकतम उपयोग किया जाय।

कुछ सुझाव मेरे पास इस आशय के आते हैं कि प्रभागीय कार्यालय अथवा अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाय। शोलापुर के माननीय सदस्य ने यह कहा है कि शोलापुर डिविजन को सिकन्दराबाद के साथ जोड़कर गलती की गई है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया तर्क-संगत और औचित्यपूर्ण बात करें। मैं सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के लिये तैयार हूं। संसद सदस्यों से प्राप्त प्रत्येक पत्र का मैंने उतर देने का प्रयास किया है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : रेलवे ने उत्तर देने की नई विधि अपनाई है। वे पत्र के साथ नोट लगा देते हैं।

श्री टी० ए० पाई : इस प्रथा को मैंने अब बदल दिया है। संसद सदस्यों को, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अपने पत्रों का उत्तर पाने का अधिकार है। अधिकारियों को मैंने बता दिया है कि नकारात्मक उत्तर देने के बजाय संसद सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से परामर्श किया जाय और निर्णय के प्रभावों के बारे में बताया जाय।

संसद के सत्र के दौरान मुझे प्रतिदिन 4000 पत्र मिलते हैं और मैं उन सबका रेलवे बोर्ड से उत्तर नहीं दे सकता वे पत्र मुझे महाप्रबन्धकों और अन्य अधिकारियों के पास भेजने पड़ते हैं।

गैर-मान्यताप्राप्त। यूनियनों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़ी यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के बारे में हमारी एक श्रम-नीति है। सदन अगर चाहे, तो उस नीति को बदल सकता है। (व्यवधान)

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : आप कैसे यह निर्धारण करते हैं कि अमुक यूनियन बड़ी है अथवा नहीं? (व्यवधान)

श्री टी० ए० पाई : अगर कोई शिकायतें हों तो मैं उन पर विचार करने के लिये तैयार हूं। रेल मंत्री सारे कर्मचारियों का प्रतिनिधि होता है।.... (व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena) :

Mr Chairman : The speech of Members, speaking without my permission should not be recorded.

श्री टी० ए० पाई : रेल मंत्री होने के नाते मुझे सभी कर्मचारियों की सहानुभूति और समर्थन चाहिये। अगर कोई कर्मचारी मेरे ध्यान में कोई शिकायत लाता है, तो मैं उस पर विचार करूंगा। इस समय दो बड़ी यूनियनें हैं। मैं चाहता हूं कि यूनियन एक ही हो, ताकि वह कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व को भलीभांति निभा सके।

जनता, व्यापारियों और कर्मचारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर हमें विचार करना चाहिये। कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जनता को कम से कम तकलीफ हो। मैं यह सुझाव मानने के लिये तैयार हूं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और क्षेत्र के संसद सदस्यों को आपस में परामर्श करके समस्याओं का हल ढूंढ़ना चाहिये।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

कुछ माननीय सदस्य बिहार में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। अगर आप केवल कार्यालय चाहते हैं, तो पटना में पहले से ही है कलकत्ता लोक सेवा आयोग का शाखा कार्यालय है। मैं चाहता हूं कि सदस्य मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करें और बतावें कि वे वहां क्यों अलग से एक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं। इस विषय पर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। (व्यवधान) . . . अगर आप यह सोचते हैं कि बिहार से पर्याप्त मात्रा में भर्ती नहीं हो रही है, और वहां रेलवे सेवा आयोग की स्थापना से समस्या सुलझ जायेगी, तो आप हमसे इस बारे में विचार विमर्श करें।

श्री ए० पी० शर्मा : कुछ कठनाईयां हैं। हम इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे।

श्री टी० ए० पाई : मैं यह चाहूंगा कि हमारे संगठन का अखिल भारतीय स्वरूप बना रहे।

एक माननीय सदस्य ने अनुसूचित जातियों के लिये बेहतर प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया है। अनुसूचित जातियो के लिये निर्धारित कोटे की पूर्ति करने के लिये मैंने सफाई वाले कर्मचारियों को गिनती करने से निकाल दिया है।

खान-पान की व्यवस्था के बारे में सुझाव दिये गये हैं। आज व्यापक पैमाने पर खान-पान की व्यवस्था करने की समस्या हमारे सामने है। हम विभिन्न रेलवे में विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर रहे है, जिससे लोग अधिकाधिक संतुष्ट हो सकें।

कुछ सदस्यों का सुझाव था कि ठेकदारों के स्थान पर खानपान की विभागीय व्यवस्था होनी चाहिये। मैं सारे देश में जलपान व्यवस्था की एक ही प्रणाली रखने का समर्थक नहीं हूं। अगर कर्मचारियों की सहकारी समितियां जलपान व्यवस्था संभालने के लिये तैयार हों, तो मैं उन्हें यह व्यवस्था सौंपने के लिये तैयार हूं। मैं इस शिकायत की भी जांच करूंगा कि एक ही ठेकेदार दस स्टेशनों पर जलपान व्यवस्था संभाल रहा है (व्यवधान)

श्री राम धन (लालगंज) : श्री हनुमन्तैया द्वारा हटाये गये कुछ अधिकारियों को फिर से वापस लिया गया है ?

श्री टी० ए० पाई : श्री हनुमन्तैया ने यह नहीं कहा था कि वे किसी को बर्खास्त कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में यह कहा गया था कि अतिरिक्त सदस्यों के बजाय बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किये जा सकते हैं। अतिरिक्त सदस्यों को अधिक दायित्व सौंपकर मैंने निश्चित कार्य उन्हें सौंपे हैं और उन्हें कुछ सहायता प्रदान कर दी है मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके वेतन के बराबर उनसे काम अवश्य लिया जायगा।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : किसी भी विवाद में मेरे नाम का उल्लेख नहीं किया जाय। मैंने प्रधान मंत्री को पत्र भी लिखा था।

श्री टी० ए० पाई : इन नियुक्तियों के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और ये नियुक्तियां प्रशासन के हित में हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : According to the orders of Railway Board, the catering stalls should be given to the persons belonging to the Scheduled Castes. He has not replied to this point.

Mr. Chairman : He would sent you a letter later on.

सभापति महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों मांगे की मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following supplementary demands for grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	88,000
2	विविध व्यय	5,54,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	1,28,05,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	5,52,35,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	3,14,45,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	1,85,000
8	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	13,95,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	5,80,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	39,26,000
14	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि	2,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	4,53,85,000

विनियोग (रेल) सं० 4 विधेयक 1972

Appropriation (Railways) No. 4 Bill 1972

रेल मन्त्री श्री टी० ए० पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972—73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972—73 के सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि म स कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री टी० ए० पाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972–73 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है : कि खण्ड 1–3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड–1–3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1—3 were added to the Bill

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The Schedule was added to the Bill.

विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री टी० ए० पाई : मै प्रस्ताव करता हू :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा वृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 1972/ 2 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, November, 23, 1972/Agrahayana 2, 1894 (Saka).

M/S14LSS—490—13-2-73—GIPS